बुधवार,
२४ फरवरी, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बुधवार, २४ फ़रवरी १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पठीसीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भोटिया व्यापारियों को रायफ़िलें

*३०३. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार ने ७५ इटैलियन रायफ़िलें भोटिया व्यापारियों को आत्मरक्षा के लिये दी हैं ;

(ख) क्या यह व्यापारी अपनी रायफ़िलों को तिब्बत ले जा सकते हैं ;

(ग) क्या गरटोक में कोई प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ; तथा

(घ) क्या यह तथ्य है कि कैमरे, रायफ़िलें, पिस्तौलें तथा रिवाल्वर तकलाकोर के चीनी प्रधान कार्यालय में जमा करा देने पड़ते हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) १६० इटैलियन रायफ़िलें कई वर्षों में व्यापारियों को बेची गई थीं।

(ख) और (ग)। तिब्बत में हथियारों का ले जाया जाना वहां के अनुज्ञापन विनियमों पर निर्भर है।

(घ) जी हां।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय प्रचलन क्या है ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस मामले सम्बन्धी किसी अन्तर्राष्ट्रीय विधि का मुझे ज्ञान नहीं है, परन्तु मेरा विचार है कि इस प्रकार के मामलों में स्थानीय विधियां तथा विनियम अवश्य लागू होने चाहियें।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि यह जो बन्दूकें बांटी गई हैं बेकार साबित हुई हैं और उनके लिये जो कारतूस दिये गये हैं वह बेकार साबित हुए हैं ? क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह तो पुरानी इटैलियन रायफ़िलें हैं, और मुझे भय है कि वह बहुत अधिक अच्छी अवस्था में नहीं हैं।

पोत-निर्माण

*३०४. **श्री झूलन सिन्हा**। क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री उन सुविधाओं के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे जो पोत-निर्माण को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भारत के पोत निर्माताओं को आवश्यक वस्तुओं की प्रदाय तथा पूंजी के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : पोत-निर्माण उन उद्योगों में से है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विकसित किये जाने के लिये सुरक्षित रखा गया है।

परन्तु इस में छोटे पोत जैसे मोटर-चालित नावें, वाष्पचालित नावें, भारवाहक नावें इत्यादि सम्मिलित नहीं हैं। इन उद्योगों को सामान्यतः जो सुविधायें दी जाती हैं उनमें अपेक्षित कच्चे माल का प्रदाय, उन वस्तुओं तथा संघटक भागों को, जो देश में उपलब्ध नहीं है आयात करने के हेतु अनुज्ञप्तियों का दिया जाना इत्यादि सम्मिलित हैं। सरकार नियमानुसार, किसी तरह की पूंजी सहायता नहीं देती है।

श्री झूलन सिन्हा : जिस गति से यह उद्योग विकसित हो रहा है, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के निर्दिष्ट अवधि में प्राप्त हो जाने की कोई सम्भावना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे यह निवेदन कर देना चाहिये कि यह विषय पूर्ण रूप से वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि नौवहन का सम्बन्ध यातायात से है और पोत-निर्माण का उत्पादन से है। क्योंकि यह प्रश्न मुझे भेजा गया था, मैंने अपनी सम्पूर्ण योग्यता से उस का उत्तर देने की चेष्टा की है।

अध्यक्ष महोदय : क्या उत्पादन मंत्री सहायता कर सकते हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : वर्तमान समझौता के अनुसार, पोत-निर्माण योजना के लक्ष्य के प्रायः ८० प्रतिशत के पूर्ण हो जाने की प्रत्याशा है।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि विशाखापटनम पोत-निर्माण घाट में उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : फ्रान्सीसी विशेषज्ञों द्वारा प्रेषित विचार योजना की पोतघाट के संचालक पर्षद् तथा सरकार द्वारा बहुत सावधानी से जांच की गई है। कोई १८० लाख रुपये की लागत के एक विस्तार कार्यक्रम की स्वीकृति हाल ही में सरकार द्वारा दी गई है। तीसरी गोदी (वर्थ) बना दी गई है। चौथी और पांचवीं गोदियां बन रही हैं और प्रतिवर्ष छै से आठ जहाज तक बनाने के लिये पोतघाट को सक्षम बनाने के निमित्त और भी कई कार्यवाहियां की गई हैं।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या नौवहन समवायों ने यह मांग की थी कि बढ़े हुये टन भार के लिये वित्त-पोषण सम्बन्धी शर्तों का उदारीकरण कर दिया जाये, और क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस प्रश्न का उत्तर परिवहन मंत्री द्वारा दिया जाना चहिये।

कपास मूल्य नियंत्रण

*३०५. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार ने कपास के मूल्य पर से नियंत्रण हटा लेने के प्रश्न पर विचार किया है; तथा

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने चालू फ़स्ल में कपास के मूल्यों पर नियंत्रण जारी रखने का निर्णय किया है।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं उन महत्व-पूर्ण कारकों को जान सकता हूं जिनके कारण नियंत्रण लगाया गया, और क्या वह अब भी वर्तमान हैं अथवा उनमें से कोई समाप्त हो हो गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नियंत्रण जारी रखने का यह निर्णय काफी पहले किया गया था—गत वर्ष जून में किसी समय किया गया था—और नियंत्रणों का अर्थ है न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों का निर्धारण। यदि मूल्य न्यूनतम मूल्य से भी कम हो जाते हैं तो सरकार पर क्रय करने का दायित्व है। क्योंकि यह आश्वासन दिया गया था, हमारे चाहने पर भी नियंत्रण को फ़स्ल के बीच हटा नहीं सके। आगे की नीति इस वर्ष के मध्य किसी समय निश्चित की जायेगी। जहां तक कपास के लाने ले जाने पर लगाये गये नियंत्रण का सम्बन्ध है, "क", "ख" तथा "ग" श्रेणियों के सम्बन्ध में अनुज्ञप्तियों को काफ़ी अधिक उदार कर दिया गया है, परन्तु तो भी वैयक्तिक मिलों को कपास का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में कुछ सीमा तक नियंत्रण अभी भी रखा गया है।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं सन् १९५३ में रहा बाजार मूल्य का रुख़ जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: सन् १९५३ में रहा बाज़ार मूल्य का रुख़ उसी प्रकार का रहा है। वह फ़स्ल के शुरू में काफी कम था। वह बढ़ता रहा है। अब जटीला जैसी निश्चित किस्म का मूल्य न्यूनतम से काफी ऊंचा है और वह ७०० रुपये से ७२० रुपये तक है। कभी कभी वह थोड़ा बहुत कम हो जाता है। मूल्यों का रुख साधारणतः चढ़ने की ओर ही है। क्या वह बढ़ कर अधिकतम सीमा से भी परे निकल जायेंगे, यह मैं नहीं बता सकता हूं।

श्री के० जी० देशमुख: मैं जान सकता हूं कि क्या कपास उत्पादकों अथवा कपास के व्यापारियों की ओर से मांग की गई थी अथवा सरकार यह कार्यवाही स्वयं ही कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कौन सी कार्यवाही ? मैं समझा नहीं।

श्री के० जी० देशमुख : कपास के मूल्य में वृद्धि।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमने नियंत्रण उठाया नहीं है। वह अब भी है।

श्री गाडगील : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार की कपड़े के मूल्य को अपनियंत्रित करने तथा कच्चे माल के नियंत्रित करने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को अतीव हानि उठानी पड़ती है और उत्पादकों को लाभ होता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्थिति वस्तुतः यह है कि यह दोनों चीजें एक दूसरे से इस कारण एक दम सम्बन्द्ध नहीं है क्योंकि हमें उत्पादकों को और अधिक कपास उगाने के लिये प्रोत्साहित करना है। जितनी हमारी आवश्यकता है उसको देख हमारे पास कमी है। इसलिये १२ लाख गाठें प्रतिवर्ष हमको आयात करनी होती हैं, और जबतक कि हम वह न्यूनतम मूल्य न बतायें जिस पर उत्पादक को विश्वास हो कि वह अपनी कपास को बेच सकेगा, तो खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के मेरे परामर्शदाताओं द्वारा यह अनुभव किया जाता है कि कपास के उत्पादन का यह अब जैसा चढ़ता हुआ रुख नहीं रहेगा।

श्री बोगावत : मैं जान सकता हूं कि कपास के मूल्य में इस निरन्तर वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इतना तो मैं नहीं बता सकता हूं। कपास इस समय वायदे के सौदों के अन्तर्गत आ गई है और अब केवल प्रत्याशा ही की जा सकती है। जैसे ही हम ने यह घोषणा की कि हम अमरीकन कपास के आयात की अनुमति देने जा रहे हैं, मूल्य तीस रुपये गिर गये। मंडी के इस उतार

चढ़ाव को किसी कारण विशेष से सम्बद्ध करना मेरे लिये कठिन है।

रसायन उद्योग

*३०६. **श्री नानादास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सल्फ्यूरिक ऐसिड (गंधक का तेज़ाब), सोडा कास्टिक, तरल क्लोराइन, ब्लीचिंग पाऊडर, सुपरफौसफेट और बाइ-क्रोमेट्स के उत्पादन के लिये सम्पूर्ण स्थापित सामर्थ्य क्षमता; तथा

(ख) उपरोक्त उद्योगों में इस समय कितने प्रतिशत सामर्थ्य-क्षमता बेकार पड़ी है, और उसका क्या कारण है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५६]**

श्री नानादास : विवरण से प्रतीत होता है कि रसायन उद्योग की सम्पूर्ण स्थापित सामर्थ्य-क्षमता का ४० से ८० प्रतिशत माल उत्पादित वस्तुओं की मांग की कमी के कारण उपयोग में नहीं लाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इन वस्तुओं की पर्याप्त मांग के मार्ग में क्या बाधा उत्पन्न होती है, और सरकार ने इन बाधाओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाइयां की हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य से विवरण का निर्देश करूंगा, जिसमें वे कारण बतलाये गये हैं, जो माननीय सदस्य द्वारा रखे गये प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

श्री नानादास : क्या भारतीय रसायन निर्माता संघ ने बेकार पड़े हुये सामर्थ्य-क्षमता का उपभोग करने के कुछ उपायों का सुझाव दिया था; उनमें से एक यह था कि ऐसे उद्योगों के लिये जिनके हेतु उच्च विशेषज्ञ टैकनीक (प्रविधिविज्ञता) और बहुत पूंजी की आवश्यकता होती है, तथा स्थानादि रूप से उपलब्ध नहीं हो सकती है, विदेशी पूंजी पर नियंत्रण किया जाये ? यदि ऐसी बात है, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं समझ सकता कि इस विशिष्ट सुझाव का वर्तमान सामर्थ्य-क्षमता के अनुपयोग से क्या सम्बन्ध है, क्यों कि मैं ऐसा नहीं समझता कि विदेशी पूंजी उन वस्तुओं के उत्पादन में, जिनमें उत्पादन इतना अधिक नहीं होता है, जितना कि होना चाहिये, किस प्रकार प्रतियोगिता में आती हैं ?

श्री मेघनाद साहा : देशी वस्तुओं की मांग कम होने का क्या यह भी एक कारण उन वस्तुओं का मूल्य विदेश से आने वाली उसी वस्तु के मूल्य से बहुत अधिक होना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह प्रसिद्ध आर्थिक सिद्धान्त है कि जब मांग कम होती है तो इस प्रकार की मांग की कमी में वस्तु का मूल्य बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। मैं समझता हूं कि उस दृष्टिकोण से माननीय सदस्य, जो विज्ञान के अध्यापक हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं।

श्री मेघनाद साहा : देशी मूल्यों को विदेशों में प्रचलित मूल्यों के साथ मिलाने के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस मामले पर लगातार विचार किया जा रहा है। विदेशों में प्रचलित मूल्यों के साथ देशी मूल्यों को मिलाना सदैव संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि तब तो प्रशुल्क संरक्षण की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हम मानते हैं कि हमारे उत्पादन एकक इतने कुशल नहीं हैं जितने कि विदेशों के हैं। इसलिये उद्योग को विकसित होने देने के निमित्त हमें थोड़े अधिक मूल्य स्वीकार करने पड़ते हैं। हमारा सम्बन्ध केवल इस बात से है कि क्या अधिक

मूल्य खपत के लिये घातक सिद्ध तो नहीं होते हैं । इस दृष्टिकोण से सरकार मूल्यों की ध्यानपूर्वक जांच करती है ।

श्री केलप्पन :-क्या हम अब भी इन रसायनों का आयात करते हैं , और यदि हां, तो कितनी मात्रा में ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : रसायनों को १५० श्रेणियों के अन्तर्गत रखा जा सकता है ।

श्री केलप्पन : मेरा आशय इन रसायनों से है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सोडा कास्टिक हमें आयात करना होता है, क्योंकि बहुत कमी की पूर्ति करनी होती है । हम गंधक का तेजाब आयात नहीं करते हैं, किन्तु हम गंधक आयात करते हैं। हम सुपरफौसफेट या बाईक्रोमेटस का आयात नहीं करते हैं ।

सरकारी कपड़े की खरीद

*३०७. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२ और १९५३ में क्रमशः राष्ट्रपति भवन और सरकारी कार्यालयों में प्रयोग के लिये कितने मूल्य का कपड़ा खरीदा गया ;

(ख) इस क्रम में सम्मिलित खादी वस्त्र का मूल्य;

(ग) किन अभिकरणों के द्वारा यह कपड़ा खरीदा गया था ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :

(क)

	रुपये
१९५२ लगभग	६.६५ लाख
१९५३ लगभग	३.१४ लाख

(ख) १९५२ ०.२८ लाख रुपये
१९५३ २.०२ लाख रुपये

(ग)

(१) नियंत्रक, सरकारी कताई तथा बुनाई केन्द्र , जालन्धर ।

(२) अखिल भारतीय चर्खा संघ, बम्बई ।

(३) सहायता तथा कल्याण युक्त परिषद्, करनाल ।

(४) भारतीय सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली ।

(५) अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग मण्डल, बम्बई ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : जो खादी खरीदी गई थी, क्या वह शुद्ध खादी थी, अर्थात हाथ से कती और हाथ से बुनी हुई थी अथवा क्या इस खरीदारी में मिश्रित गुण प्रकार की खादी भी सम्मिलित थी ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से खादी का अर्थ है हाथ से कता और हाथ से बुना ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : मैं यह जानना चाहता था कि क्या दिये गये आंकड़े शुद्ध प्रकार की खादी के हैं, अथवा क्या मिश्रित प्रकार की खादी भी उन में सम्मिलित की गई है ।

सरदार स्वर्ण सिंह : खादी से मेरा मतलब हाथ से कती और हाथ से बुनी गई खादी से था । जो आंकड़े मैंने बताये हैं वे शुद्ध खादी के हैं ।

श्री दाभी : राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों की वर्दियों के लिये कितनी खादी खरीदी गई थी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरे पास वर्दियों सम्बन्धी आंकड़े नहीं हैं । परन्तु यदि केवल राष्ट्रपति भवन से सम्बन्धित आंकड़े चाहियें तो मैं बता सकता हूं । सन् १९५२ में राष्ट्रपति भवन का कुल खर्च १६,९४४ रुपये था, जिसमें से ३,१७५ रुपये खादी खरीदने

के लिये खर्च किये गये थे। सन् १९५३ में कपड़े का कुल मूल्य ६,३०८ रुपये था, जिसमें से खादी खरीदने के लिये ५,४३३ रुपये खर्च किये गये थे।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह प्रमाणित खादी थी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जानकारी उपलब्ध नहीं है, परन्तु ऐसा निश्चय कर लिया गया था कि वह हाथ से कती और हाथ से बुनी हुई थी।

घानी" तेल उद्योग

*३०८. **श्री दाभी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग मण्डल की उस सिपारिश के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है जिसका यह अभिप्राय था कि सरकार को समस्त सरसों के बीजों तथा देश में पैदा होने वाले अन्य भक्षणीय तिलहनों को घानी तेल उद्योग के लिये सुरक्षित रखना ही चाहिये; तथा

(ख) यदि हां तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

श्री दाभी : बोर्ड की सिपारिश सरकार के पास कब भेजी गई थी और किसी निर्णय पर पहुंचने के लिये सरकार कितना और समय लगायेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ठीक तिथि तो नहीं बता सकता कि यह सिपारिश कब प्राप्त की गई थी, क्योंकि बोर्ड से लगातार पत्रादि आते रहते हैं। परन्तु वर्तमान स्थिति का वर्णन करते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का मुख्यतया सम्बन्ध तेलों और तिलहनों से है, और वह तिलहन समिति के द्वारा अपना कार्य करता है। इस मामला का उसको निर्देश कर दिया जायेगा। मुझे पता है कि बहुत हाल ही में उस मंत्रालय द्वारा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के एक प्रतिनिधि, योजना आयोग और इस बोर्ड के सदस्य की एक बैठक हुई थी, और यह निर्णय किया गया था कि मामले का अध्ययन किया जाना चाहिये तथा इस तदर्थ समिति के विचार के लिये एक टिप्पणी तैयार की जानी चाहिये।

श्री दाभी : क्या मैं ऐसा समझ सकता हूं कि सरकार की स्थिति यह है कि वह इस बोर्ड की सिपारिश को स्वीकार करे या न करे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझ से इस प्रश्न का निश्चित उत्तर प्राप्त करने की माननीय सदस्य की उत्सुकता को मैं अच्छी तरह समझता हूं, किन्तु मैं उत्तर देने में असमर्थ हूं।

हैदराबाद में पाकिस्तानी यात्री

*३०९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि अल्प अवधि दृष्टांक लेकर बहुत से पाकिस्तानी पर्यटक हैदराबाद में आ गये हैं और वे अब वहां ठहरने के निमित्त अवधि बढ़ाये जाने की प्रार्थना कर रहे हैं; तथा

(ख) यदि ऐसी बात है, तो इस प्रकार की प्रार्थनाओं के लिये साधारणतः क्या कारण बताये जाते हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां।

(ख) कई कारण बता कर अवधि बढाने की प्रार्थना की जा रही है, जिनमें बीमारी, निकट सम्बन्धियों के विवाह, गृह-

कार्यों का सुलझाना इत्यादि सम्मिलित हैं। कई व्यक्तियों ने भारत में स्थाई रूप से ठहरने के लिये अवधि बढ़ाये जाने की प्रार्थना की है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : पिछली बार कितने व्यक्तियों ने दृष्टांक के बढाये जाने की प्रार्थना की थी ?

श्री अनिल के० चन्दा : १५ अक्तूबर १९५१ से ३१ दिसम्बर, १९५३ तक, कुल मिला कर पाकिस्तान से हैदराबाद में १४३८ व्यक्ति आये हैं। इस संख्या में से ९०२ व्यक्ति हैदराबाद शहर में आये थे तथा ४३० व्यक्ति जिलों में आये थे। अवधि बढ़ाये जाने के ३४१ प्रार्थना पत्र थे, जिनमें २३५ को मंजूरी दी गई है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : कितने व्यक्ति वापिस लौट गये हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह तो सीधा सा हिसाब है। १४३८ व्यक्ति आये और उनमें से ३४१ ठहरना चाहते थे। केवल २३५ व्यक्तियों को ठहरने की अनुमति दी गई है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या सरकार ने इन में से कुछ व्यक्तियों की राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त किया है ?

श्री अनिल के० चन्दा। यदि माननीय सदस्य यह प्रश्न गृह-कार्य मंत्रालय से पूछें, तो उनको संतोषजनक उत्तर मिल सकता है।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : भारत में किसी व्यक्ति को अधिक से अधिक कितने समय तक ठहरने की अनुमति दी गई थी ?

श्री अनिल के० चन्दा : नियम इस प्रकार हैं; ये व्यक्ति सामान्यतया 'ग' दृष्टांक लेकर आते हैं। यदि अवधि समाप्त होने के पश्चात वे अधिक समय तक ठहरना चाहते हैं, तो वे राज्य अधिकारियों से अवधि बढ़ाये जाने की प्रार्थना करते हैं। ज़िलाधीशों को ३० दिन तक अवधि बढ़ाने का अधिकार है। अधिक अवधि बढ़ाये जाने के लिये प्रार्थना पत्र राज्य सरकार के पास प्रस्तुत किये जाते हैं, जो प्रवेश तिथि से कुल एक वर्ष तक के समय की अवधि बढ़ा सकती है। निस्सन्देह, एक वर्ष से अधिक किसी व्यक्ति को ठहरने की अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : मेरा प्रश्न यह था कि "भारत में किसी व्यक्ति को अधिक से अधिक कितने समय तक ठहरने की अनुमति दी गई थी ?"

श्री अनिल के० चन्दा : मैं ने बता दिया है कि एक वर्ष से अधिक कोई भी ठहर नहीं सकता है।

पारपत्र

*३११. **श्री राधा रमण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५३ में विदेश यात्रा के लिये कितने व्यक्तियों को पारपत्र दिये गये थे ; तथा

(ख) किन भिन्न भिन्न आधारों पर पारपत्र नहीं दिये गये थे ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) पहली मार्च से आरम्भ हो कर ३१ अगस्त, १९५३ को समाप्त होने वाले छै महीनों में ४१,३९७ व्यक्तियों को पारपत्र दिये गये थे। वर्ष के शेष छै महीनों की संख्या जो कि संभवतः लगभग उतनी ही होगी, भारत सरकार के पास तुरन्त ही उपलब्ध नहीं है, परन्तु यदि फिर भी माननीय सदस्य को यह सूचना चाहिये, तो मैं इसे राज्य सरकारों के पास से मंगा लूंगा।

(ख) मुझे निश्चित रूप से यह नहीं मालूम है कि माननीय सदस्य किन विशेष पारपत्रों की ओर निर्देश कर रहे हैं, परन्तु मैं यह बतादूं कि पारपत्र के लिये दिये गये प्रत्येक आवेदन-पत्र पर उसके अपने गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है। आमतौर पर पारपत्र न देने के दो मुख्य आधार ये हैं (१) जब सरकार यह समझती है कि किसी व्यक्ति विशेष को विदेश में जाने की अनुमति देना देश के हित में नहीं होगा, और (२) यदि यह पाया जाये कि प्रार्थी अपनी प्रस्तावित यात्रा को करने में आर्थिक रूप से असमर्थ है।

श्री राधा रमण : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि उल्लिखित काल में कितने व्यक्तियों को पार पत्र देने से इन्कार किया गया था ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या किसी दल विशेष के साथ राजनैतिक संबन्धों का होना सरकार के लिये पारपत्र न देने का उचित आधार है ? यदि नहीं, तो चीन की यात्रा करने के इच्छुक प्राध्यापकों को सरकार द्वारा पारपत्र क्यों नहीं दिये गये थे ?

श्री अनि के० चन्दा : मैं अपने उत्तर म उन दो कारणों की चर्चा कर चुका हूं जिन के आधार पर आमतौर पर पारपत्र नहीं दिय जाते हैं। म प्रत्येक मामले के गुणावगुण की चर्चा नहीं कर सकता हूं।

श्री भागवत झा अजाद : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि यह निर्णय कौन अधिकारी करता है कि अमुक व्यक्ति को किसी देश की यात्रा करने की अनुमति देना देश के हित में नहीं है ? क्या वह अधिकारी जिलाधीश है अथवा अन्य कोई ?

श्री अनिल के० चन्दा : अन्तिम रूप से सरकार निर्णय करती है।

ऐंसफाल्ट बिटूमेन

*३१२. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत द्वारा प्रतिवर्ष ऐंसफाल्ट बिटूमेन की कितनी मात्रा आयात की जाती है ; तथा

(ख) नये तेल साफ करने वाले कारखानों से, जब वे उत्पादन आरम्भ कर देंगे, इस उत्पाद की कितनी अनुमानित मात्रा के प्राप्त होने की आशा की जाती है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी दुबे) : (क) वर्ष १९५२ और १९५३ में क्रमश: १,४०,६७८ टन और १,२५,२७३ टन ऐंसफाल्ट (बिटूमेन) भारत में आयात किया गया था।

(ख) आशा की जाती है कि वर्मा-शेल का तेल साफ करने का कारखाना प्रति वर्ष लगभग १,५०,००० टन ऐंसफाल्ट (बिटूमेन) उत्पादित करेगा। भारत में जो दो अन्य तेल साफ करने के कारखाने बनाये जा रहे हैं, उनसे यह उत्पाद प्राप्त नहीं हो सकेगा।

श्री एन० एम० लिंगम : सरकार का सारे राष्ट्रीय और राज्य के राज-पथों की सतह को तारकोल से काला करने का जो कार्यक्रम है, उसको ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार यह समझती है कि देश में जो उत्पादन होगा उस से हमारी आवश्यकतायें भली प्रकार पूरी हो जायेंगी ;

श्री आर० जी० दुबे : जी हां, श्रीमान्। वर्ष १९५५ में उत्पादन १,५०,००० टन होगा जब कि उस वर्ष की आवश्यकतायें १,३६,९५८ टन की हैं।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं कहना यह चाहता था कि हम लोग अपनी सड़कों की कुल लम्बाई के एक भाग को ही तारकोल से काला कर रहे हैं । ऐसफाल्ट (बिटूमेन) के बढ़े हुये उपयोग को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार यह समझती है कि तेल साफ करने के खानों में होने वाले उत्पादन से हमारी मांग पूरी हो जायेगी ?

श्री आर० जी दुबे : जी हां, श्रीमान् । निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय द्वारा इन सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात यह हिसाब लगाया गया है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन : क्या यह आशा की जाती है कि बिटूमेन दक्षिण आर्काट के लिगनाइट प्रोजेक्टर से एक उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त हो सकेगा ?

श्री आर० जी दुबे : जी नहीं, श्रीमान्; अभी इसका उत्तर देना कठिन है ।

धोतियां

०३१४. पंडित डी० एन० तिवारी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ६० प्रतिशत से अधिक धोतियां न बनाने के नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में कोई मुकदमा चलाया गया है; तथा

(ख) अध्यादेश के प्रख्यापन्न और उसके उपरांत सुसंगत अधिनियम के पारित होने के बाद अपराधी मिलों से अब तक कितना अतिरिक्त कर वसूल किया गया या उन पर लगाया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) २६ अक्टूबर, १९५३ से ३१ दिसम्बर, १९५३ तक के काल में वसूल किया गया अतिरिक्त कर ३,२२,००० रुपये था ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं जान सकता हूं कि १९५३ में विधि के उपबंध का उल्लंघन कितनी मिलों ने किया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, समीक्षा काल, अर्थात २६ अक्टूबर से ३१ दिसम्बर, में १२ १/२ प्रतिशत से कम उत्पादन करने वाली मिलों की संख्या ३५ और १२ १/२ प्रतिशत से अधिक उत्पादन करने वाली मिलों की संख्या १० है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इन मामलों में दण्डात्मक उत्पादन शुल्क लगाया जाता है ।

श्री टी० एन० सिंह : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि जिन मिलों ने विधि का उल्लघंन किया है, क्या उनसे बाद के महीनों में उत्पादन घटाने के लिये कहा गया है ताकि वर्ष भर की प्रतिशतता ज्यों की त्यों रहे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : निर्धारण तिमाही के आधार पर किया जाता है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं जान सकता हूं कि क्या वसूल किया गया अतिरिक्त कर ग्रामीण उद्योगों को दे दिया गया था अथवा उसे सामान्य राजस्व में सम्मिलित कर दिया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, जहां तक मुझे ज्ञात है, वह भारत की संचित निधि में जाता है ।

भाखरा-नांगल परियोजना

***३१५. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय सरकार भाखरा-नांगल परियोजना के प्रत्यक्ष लाभों का एक सर्वेक्षण कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का क्षेत्र और उद्देश्य क्या है; तथा

(ग) उसमें व्यय कितना होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) । प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या अन्य परियोजनाओं के प्रत्यक्ष लाभों का सर्वेक्षण भी किया जा रहा है ?

श्री हाथी : सर्वेक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है, न कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि क्या इस परियोजना के निश्चित समय से पूर्व पूरे हो जाने की आशा की जाती है, और यदि हां, तो सिंचाई के लिये पानी और विद्युतकरण के लिये विद्युत के उपलध होने की कब तक आशा की जाती है ?

श्री हाथी : उसका कार्य योजनानुसार चल रहा है । परियोजना १९५९-६० तक पूरी हो जायेगी ; उसकी प्रथमावस्था १९५४ तक पूर्ण हो जायेगी ।

श्री सी० भट : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रत्यक्ष लाभों के सर्वेक्षण का नर्बदा आदि जैसी अन्य परियोजनाओं पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

श्री हाथी : प्रत्येक परियोजना की अपनी अलग परिस्थितियां होंगी और उनका निश्चय उसके अपने गुणावगुणों के आधार पर करना होगा और भिन्न भिन्न परियोजनाओं के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती है ।

नजर अली मिल्स, उज्जैन

*३१८. **श्री राधेलाल व्यास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २३ दिसम्बर, १९५३ को नजर अली मिल्स, उज्जैन के बन्द किये जाने के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३५४ के बारे में दिये गये उत्तर को निर्दिष्ट करने की कृपा करेंगे और बतायेंगे कि :

(क) मध्य भारत सरकार से होने वाले पत्र व्यवहार का क्या परिणाम निकला ?

(ख) नजर अली मिल्स कब से बन्द है; तथा

(ग) बेकार हुए मजदूरों को रोजगार देने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नजर अली मिल्स, उज्जैन, के कार्य संचालन के संबन्ध में एक अनौपचारिक जांच की गई थी , जिससे यह प्रकट हुआ कि उस मिल की मशीनें पुरानी और घिसी हुई थीं और यह कि मिल के सामने आर्थिक कठिनाइयां थीं ;

(ख) २१ सितम्बर, १९५३;

(ग) मैं समझता हूं कि यह मामला मध्य भारत सरकार के विचाराधीन है ।

श्री राधेलाल व्यास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि उस मिल को कितनी आर्थिक सहायता की आवश्यकता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आर्थिक सहायता का ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि सारी मिल पुरानी और टूटी फूटी दशा में हैं ।

श्री एन० एल० जोशी : मैं जान सकता हूं कि कितने श्रमिक बेकार हो गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मेरे पास निश्चित सूचना नहीं है ।

निष्क्रान्त सम्पत्ति

*३१९. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री १० दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९१९ के उत्तर की ओर

निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, १९५३ में कुछ श्रेणियों की निष्क्रान्त सम्पत्तियों के दावों के निबटारे के सम्बन्ध मेंभारत और पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों के बीच जो समझौता हुआ था उसके सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : अक्टूबर, १९५३ में कराची में हुये सम्मेलन में किये गये निर्णयों का पाकिस्तान सरकार ने भी अनुमोदन किया है । ये निर्णय मुख्य रूप से प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों से ही सम्बन्धित है जिनका उद्देश्य दावों के पुष्टिकरण के कार्य की गति को बढ़ाना है और ये क्रियान्वित किये जा रहे हैं ।

केन्द्रीय दावा संगठन में कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है और विभिन्न राज्य सरकारों को पुष्टिकरण के कार्य में शीघ्रता करने के लिये विशेष निदेश जारी किये गये हैं ताकि यह कार्य ३० जून, १९५४ तक, जोकि दावों के पुष्टिकरण सम्बन्धी कार्य की समाप्ति के लिये समझौते में उपबंधित अंतिम तिथि है, समाप्त हो जाये ।

श्री गिडवानी : क्या पाकिस्तान सरकार इस बात के लिये तैयार हो गई है कि एक ऐसे निष्क्रमणार्थी से, जो कि दूसरे देश से चल सम्पति की पुनः प्राप्ति के लिये आये, आय कर चुकता करने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र न मांगा जाये ?

श्री ए० पी० जैन : श्रीमान्, मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध उन दावों से है जिनके सम्बन्ध में दावा संगठनों के द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जा रही है और वे दावे निवृति वेतन, भविष्यनिधि वेतन, छुट्टी का वेतन तथा प्रतिभूति निक्षेप आदि हैं । अतः किसी के आने और आय कर चुकता करने के प्रमाण-पत्रों के लेने का कोई प्रश्न नहीं है ।

दूतावास

***३२०. श्री के० सी० सोधिया : क्या** प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ के दौरान में विदेशों में कितने नये दूतावास खोले गये तथा उनका स्तर क्या है ;

(ख) क्या किसी दूतावास को बन्द कर दिया गया था या किसी का स्तर ऊंचा कर दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे दूतावासों के नाम क्या हैं ; तथा

(घ) ऐसा करने के क्या कारण थे ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) १९५३ में कोई नया दूतावास बाहर नहीं खोला गया ।

(ख), (ग) तथा (घ) । कोई दूतावास बन्द नहीं किया गया । लिस्बन में स्थित भारत के लिगेशन तथा काशगर स्थित महावाणिज्य दूतालय बन्द कर दिये गये थे क्योंकि उनसे कोई लाभ नहीं होता था । राजनीतिक कारणों वश बर्न और बग़दाद स्थित भारत के लिगेशनों को राजदूतावास के स्तर पर लाया गया ।

डा० सुरेश चन्द्र : स्पेन में दूतावास बन्द करने के क्या कारण थे ?

श्री अनिल के० चन्दा : स्पेन में कभी भी हमारा दूतावास नहीं रहा ।

डा० सुरेश चन्द्र : हमारा एक लिगेशन था ; वह भी तो दूतावास ही था ।

श्री अनिल के० चन्दा : स्पेन में किसी लिगेशन के होने का मुझे ज्ञान नहीं है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या स्पेन से हमारा कोई दौतिक सम्बन्ध नहीं था ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमारा कोई दूतावास वहां नहीं था।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : तो कैसा सम्बन्ध है ?

श्री अनिल के० चन्दा : न हमारा कोई दूतावास है न लिगेशन और न ही कोई महावाणिज्य दूतालय।

श्री एच० एन० मुकर्जी : वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट में, अब से दो वर्ष पहले इस बात का उल्लेख किया गया था कि बारसीलोना में एक लिगेशन खोला जायेगा। क्या वह विचार छोड़ दिया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मेरे विचार में माननीय सदस्य को ठीक ठीक याद नहीं है। वहां पर एक वाणिज्य-दूतालय स्थापित करने का उल्लेख किया गया था।

भारत में विदेशी फर्में

*३२१. **श्री धूसिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पंजीबद्ध कितनी विदेशी फर्में इस समय कार्य कर रही हैं ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके नागरिकों ने इनमें पूंजी लगाई है ;

(ग) इन उद्योगों में लगे हुए कितने व्यक्तियों को १००० रुपये या इसमें अधिक वेतन मिल रहा है ; तथा

(घ) भाग (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति भारतीय हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख)। भारत के विदेशी दायित्व तथा परिसम्पत्त की गणना के सम्बन्ध में रिज़र्व बैंक के प्रकाशन पृष्ठ ७०-७३ में यह सूचना दी हुई है। इस प्रकाशन की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है।

इस संबंध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान ११ जून १९५२ को माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने बतलाया था कि विभाजन से अब तक भारत में २२ विदेशी फर्में पंजीबद्ध हुई हैं जिनमें से २० इंग्लैण्ड, १ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा १ स्वीट्ज़रलैन्ड की हैं।

(ग) तथा (घ) गत वर्ष एक विवरण, जिसमें भारत में काम करने वाले विदेशियों के सम्बन्ध में सूचना दी हुई थी, माननीय सदस्यों में परिचालित किया गया था। विवरण की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५७**] किन्तु विदेशी फर्मों की भारतीय सहायक कम्पनियों में काम करने वाले विदेशियों और भारतीयों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एस-४८/५४**]

श्री धूसिया : भारत में कुल कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई है तथा उसके मुकाबले में भारतीय पूंजी कितनी बैठती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैं बतला चुका हूं १९४८ तक की सूचना इस पुस्तक में उपलब्ध है तथा मैं ने इस सम्बन्ध में वह सूचना भी दे दी है जो वित्त मंत्री ने जून, १९५२ में सदन में दी थी। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि वित्त मंत्री द्वारा बतलाई गई अवधि में जो पूंजी लगी है वह लगभग १८·२६ करोड़ रुपये है।

डा० राम सुभग सिंह : कुछ समय पहले भारत सरकार ने भारत में समस्त विदेशी फर्मों को एक परिपत्र भेजा था जिसमें उसने यह सूचना पूछी थी कि उन फर्मों में कितने भारतीय काम करते हैं। क्या समस्त विदेशी फर्मों ने वह सूचना

भारत सरकार को दे दी है, और यदि नहीं, तो भारत सरकार इन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: पिछली बार सदन के सदस्यों को जो सूचना दी गई थी उसका आधार वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई पूछताछ से प्राप्त सूचना दी थी। अन्त में हम ने यह देखा कि वे फर्में जिन्होंने उत्तर नहीं दिये थे या तो थीं ही नहीं या उनमें कोई योरोपियन काम नहीं करता था। एक या दो मामलों में हमें उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ी थी। क्योंकि आंकड़ा संकलन अधिनियम के अन्तर्गत सदन ने मेरे मंत्रालय को इस प्रकार की सूचना संग्रह करने का अधिकार दिया है, इसलिये, हम ने विस्तृत सूचना मांगने का निश्चय किया है तथा इस शीर्ष के अन्तर्गत सूचना देने के लिये विभिन्न फर्मों को नोटिस भेज दिया है। इस सूचना के प्राप्त होने तथा तरतीबवार लगाने में समय लगेगा और जैसे ही मैं ऐसा कर सकूंगा निस्सन्देह मैं अपनी जांच के परिणामों को सदन के समक्ष रख दूंगा।

डा० राम सुभग सिंह: माननीय मंत्री ने अभी बतलाया कि एक या दो फर्मों के विरुद्ध, जिन्होंने सूचना नहीं दी थी, कार्यवाही करनी पड़ी। क्या मैं जान सकता हूं कि किस प्रकार की कार्यवाही की गई थी।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: कदाचित्, यह तो मालूम ही है कि वैध अधिकारों के न रहते हुए भी मंत्रालय के पास ऐसे अधिकार तो हैं ही जिनसे वह इस प्रकार की फर्मों से अपनी बात मनवा सकता है और हम ने अपना प्रभाव डाल कर उन्हें भी ऐसा ही करने पर तैयार कर लिया।

सामुदायिक विकास खंड

***३२२. श्री बी० के० दास:** क्या **योजना** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कितने सामुदायिक विकास खंडों में कुटीर-उद्योगों के विकास का काम शुरू किया गया है ;

(ख) कौन-कौन से नये मुख्य उद्योग चलाये गये हैं और कौन कौन से फिर से आरंभ किये गये हैं ; तथा

(ग) यह काम किस प्रकार से किया जा रहा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) ४१ सामुदायिक परियोजनायें और ३० सामुदायिक विकास खंड।

(ख) एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५७]**

(ग) (१) विद्यमान उद्योगों के विकास पर ज़ोर दिया जाता है।

(२) गांवों में कुशल मज़दूरों के सहकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाता है।

(३) राज्य सरकारों द्वारा प्रशिक्षण तथा टेकनिकल सहायता दी जाती है।

श्री बी० के० दास: क्या कारण है कि प्रत्येक राज्य में केवल एक सामुदायिक परियोजना में ही विकास कार्य शुरू किया गया है ?

श्री हाथी: एक में नहीं बल्कि ४१ में। प्रत्येक राज्य में एक से अधिक खंड हैं ; और इन राज्यों को कुछ विशेष क्षेत्र छांटने पड़ते हैं। इसलिये उन के पास इसके लिये जितने कर्मचारी आदि हैं उनसे सारे खंडों में एक साथ काम शुरू करना संभव नहीं।

श्री बी० के० दास: मेरा प्रश्न यह था : प्रत्येक परियोजना में केवल तीन खंड

हैं, और जैसा मैं माननीय मंत्री के उत्तर से समझता हूं, केवल एक परियोजना में विकास कार्य शुरू किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि केवल एक सामुदायिक परियोजना में वह काम क्यों शुरू किया गया है, दूसरी परियोजनाओं में क्यों नहीं।

श्री हाथी: मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। चीज़ यह है कि हरेक राज्य में एक से ज्यादा खंड हैं और राज्य सरकार के पास इसके लिये जितने कर्मचारी आदि हैं उनसे विभिन्न राज्यों के प्रत्येक खंड पर एक साथ काम कराना संभव नहीं। इसलिये, उन्होंने कुछ खास खंडों को ही चुना है।

श्रीमती इला पालचौधरी : इन विकास खंडों के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल में कितने नये उद्योग आरम्भ किये हैं और कितने फिर से चालू किये गये हैं ?

श्री हाथी: खास राज्यों के बारे में मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

श्री एस० एन० दास : सहकारी समितियों द्वारा कहां कहां कुटीर-उद्योग शुरू किये गये हैं और उन्होंने कुल कितनी पूंजी लगाई है ?

श्री हाथी: आम तौर से सामुदायिक परियोजनाओं के अन्तर्गत सहकारी समितियां को प्रोत्साहन दिया जाता है और उन्हें तथा उनके द्वारा चालू किये उद्योगों को ऋण भी दिया जाता है। आय-व्ययक में प्रत्येक खंड के लिये लगभग १·५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। सहकारी समितियों को जो ऋण दिया गया है, उसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री बी० के० दास : इस बात को देखते हुए कि खादी तथा ग्राम-उद्योग बोर्ड ने सारे देश में ग्राम-उद्योगों के विकास का काम हाथ में लिया है, मैं जान सकता हूं कि क्या इन्होंने अपने काम के लिये इनमें से कोई खंड चुने हैं ?

श्री हाथी: मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है, परन्तु इस विषय में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से बात चीत हुई थी और शायद उन्होंने कुछ कार्यवाही की है।

कोलम्बो योजना और यूनेस्को के अन्तर्गत प्रशिक्षित अधिकारी

*३२३. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोलम्बो योजना और यूनेस्को टेकनिकल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत जितने सरकारी अधिकारियों ने प्रशिक्षण ग्रहण किया था उनमें से कितनों को उसी काम में लगा दिया गया है जिसके लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : इन योजनाओं के अन्तर्गत नौ अधिकारियों ने प्रशिक्षण ग्रहण किया था और इन सब को उसी काम में लगा दिया गया है जिसके लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: प्रशिक्षण के लिये अधिकारी चुनने में क्या सरकार किसी नीति का अनुसरण कर रही है ?

श्री हाथी: जी हां।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : वह नीति क्या है ?

श्री हाथी: चुनाव बहुत सी बातें देख कर किया जाता है – संबंधित अधिकारी की योग्यता, नौकरी का रिकार्ड और अनुभव आदि।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: क्या यह सच है कि चुनाव के मामले में कुछ ही राज्यों से राय ली गई थी और बाक़ी

सब राज्यों को छोड़ दिया गया था और इस विषय में बहुत ज्यादा भेद-भाव किया जाता है ?

श्री हाथी : जी नहीं, यह सच नहीं है ।

श्री टी० एन० सिंह : प्रशिक्षित कर्मचारियों में से, जो वापिस आ गये हैं, कितने सिंचाई परियोचनाओं में नियुक्त हुए हैं और कितने सिंचाई संबधी प्रशासनिक कार्य में ?

श्री हाथी : नौ अधिकारियों में से आठ तो अधिकतर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में ही काम कर रहे हैं और एक शायद दामोदर घाटी निगम में ।

अंग्रेज़ी सेना में गोरखों की भर्ती

***३२४. श्री साधन गुप्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ज़िला दार्जिलिंग के धूम और जालापहाड़ स्थानों में अंग्रेज़ी सेना में गोरखों की भर्ती के लिए कोई केन्द्र हैं ;

(ख) क्या इन केन्द्रों में से किसी में अंग्रेज़ी सेना के पदाधिकारी और अन्य पदधारी नियुक्त हैं ;

(ग) यदि ऐसा है तो इन केन्द्रों में से प्रत्येक में क्रमशः उन की क्या संख्या है ;

(घ) क्या इन केन्द्रों को बाज़ार भाव से कम भावों पर राशन, ईंधन मिट्टी का तेल, डी० डी० टी० पैट्रोल, तथा अन्य वस्तुएं दी जाती हैं ;

(ङ) यदि 'हां' तो इन वस्तुओं का संभरण कौन करता है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) धूम में कोई केन्द्र नहीं है । जालापहाड़ में एक संस्थापना है परन्तु इसे भर्ती केन्द्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता और वह अस्थायी है । अंग्रेज़ी सेना के लिये गोरखों की भर्ती अब केवल नेपाल के इलाके में होती है ।

(ख) तथा (ग) । जालापहाड़ में सात अंग्रेज़ी पदाधिकारी हैं ।

(घ) तथा (ङ) । भारतीय सेना संभरण दल अपनी दरों पर राशन और ईंधन का संभरण करता है । उनकी दरें सामान्यत : बाज़ार भाव से अधिक होती हैं । अंग्रेज़ी सेना पेट्रोल भारतीय सेना द्वारा नहीं वरन् बाज़ार से लेती है ।

श्री साधन गुप्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि सरकार ने यह निश्चय करने के लिए क्या पग उठाये हैं कि ये केन्द्र भर्ती के लिए प्रयोग किये जा रहे हैं अथवा नहीं ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमें निश्चय है कि हमारे इलाके में गोरखा सिपाहियों की अंग्रेज़ी सेना में भर्ती नहीं होती ।

श्री साधन गुप्त : मैं जान सकता हूं कि क्या जून १९५३ में इस केन्द्र को ४०० गेलन पेट्रोल २ रुपये ६ आने अथवा २ रुपये ५ आने प्रति गेलन की दर से दिया गया जब कि बाज़ार भाव २ रुपये १० आने था ?

श्री अनिल के० चन्दा : जहां तक हमें जानकारी है धूम में अंग्रेज़ी सेना की संस्थापना अपना पेट्रोल बाज़ार से लेती है । परन्तु मैं इस अभिकथन की अवश्य जांच करूंगा जो माननीय सदस्य ने किया है

गोआ

***३२५. डा० एन० बी० खरे :** क्य **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में बहुत सी बड़ी सार्थों की नाम मात्र शाखायें हैं जिनका चोरी छिपे माल ले जाने और

आय-कर से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि गोआ से बड़ी मात्रा में अमरीकन डालर आदि विदेशी मुद्रा सरकार की जानकारी के बिना भारत में चोरी छिपे लाई जाती है ; और

(ग) क्या सरकार को विदित है कि कुछ सार्थ जो मध्य प्रदेश में खान खोदने का कार्य करते हैं, वे इस ढंग से सरकार को बहुत से राजस्वों से वंचित कर रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) कुछ भारतीय सार्थों की शाखाएं गोआ में हैं परन्तु सरकार के पास ऐसी जानकारी नहीं कि ये शाखाएं वहां इस लिए स्थापित की गई हैं कि उन द्वारा चोरी छिपे माल ले जाया जाये अथवा आय-कर से बचा जाए ।

(ख) यह सच है कि सरकार द्वारा उपाय किये जाने पर भी गोआ से काफी माल गुप्त रूप से भारत लाया जाता है और यह संभव है कि इस माल के साथ डालर मुद्रा भी लाई जाती हो । परन्तु ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि अमरीकन मुद्रा की बहुत मात्रा गुप्त रूप से भारत लाई जा रही है ।

(ग) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं ।

डा० एन० बी० खरे : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस विषय की जांच करेगी ?

श्री अनिल के० चन्दा : किस विषय की ?

डा० एन० बी० खरे : भाग (ख) तथा भाग (ग) के संबंध में ।

श्री अनिल के० चन्दा : जहां तक चोरी छिपे माल लाने का संबंध है सरकार का सदा यह प्रयत्न रहा है कि गुप्त रूप से माल लाने की रोक थाम की जाए ।

मिल के कपड़े पर उपकर

*३२६. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५३ में मिल के कपड़े पर उपकर के रूप में कितनी राशि वसूल हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : ५,५६,०७,००० रु०

श्री शिवमूर्ति स्वामी : १९५३ में हस्तकरघा उद्योग की सहायता के लिये कितना रुपया खर्च किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कुल ३,५०,००,००० रुपये नियत किये गये थे ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या हस्त-करघा उद्योग का सुधार करने के लिये सरकार कोई विशेष कदम उठा रही है । ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां श्रीमान्, हम ऐसा सदैव ही करते हैं । हस्तकरघा बोर्ड स्थिति से परिचित है और राज्य सरकारों के सहयोग से नहीं केवल कई योजनायें बनाई गई हैं अपितु वह मंजूर भी करली गई हैं और उन में से कई कार्यान्वित भी की गई हैं ।

श्री मुनिस्वामी : खादी के विकास के लिये कितनी राशि अलग रखी गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :- खादी के विकास के लिये कुछ राशि अलग रखने का कोई प्रश्न नहीं । मेरा विचार है कि लगभग १,९३,००,००० रुपये खादी के लिये नियत किये गये हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या हस्तकरघा उद्योग की सहायता के लिये पहले नियत की गई राशि के इलावा कुछ और रुपया मंजूर करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं प्रश्न का मतलब नहीं समझ सकता । यदि और धन की आवश्यकता हो तो हम यह मालूम करते हैं कि और धन दिया जा सकता है या नहीं । सरकार को किसी ऐसी बात का ज्ञान नहीं और न ही वह इस समय कोई विशेष सुधार देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

श्री बी० एस० मूर्ति: मंत्री ने बताया कि ५ करोड़ रुपये नियत किये गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह रुपया हस्तकरघा उद्योग के लिये ही व्यय किया जायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस वर्ष ३,५०,००,००० रुपये नियत किये गये हैं ।

श्री सारंगधर दास: क्या सरकार हस्तकरघों तथा अन्य उपकरणों में प्रयोग करने के निमित्त यांत्रिक उपाय ढूंढने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है, ताकि उत्पादन बढ़ जाये और लागत में कमी हो जाये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : चालू करघों में सुधार करने के लिये विभिन्न राज्य केन्द्रों में प्रयोग किये जा रहे हैं । मेरा विचार है कि कई स्थानों पर इस समय काम में लाये जाने वाले करघों में सुधार किया गया है । मैं ने हाल ही में आन्ध्र के एक सहकारी बुनाई केन्द्र में देखा कि उस समिति ने बुनकरों से सुधारे गये करघों का उपयोग करवाया है जिन से अधिक मात्रा में कपड़े का उत्पादन होता है ।

सिनेमा फिल्में

***३२७. श्री रघुनाथ सिंह: क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की **कृपा करेंगे:**

(क) क्या भारत में सिनेमा के लिये काम आने वाली फिल्में बनाई जाती हैं ;

(ख) भारत को हर वर्ष ऐसी कितने फुट फिल्म की आवश्यकता होती है ;

(ग) वर्ष १९५३ में आयात की गई ऐसी फिल्मों की क्या कीमत थीं ; तथा

(घ) भारत में सिनेमा के लिये ऐसी कितने फुट फिल्में बनाई जाती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : (क) उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) लगभग २० करोड़ फुट ।

(ग) १,८१,९८,००० रुपये ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

श्री रघुनाथ सिंह : भारत में कितने कारखाने हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कोई कारखाना नहीं । मैं ने कहा कि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है ।

श्री शिवनंजप्पा : क्या मैसूर सरकार ने एक कारखाना खोलने के बारे में सुझाव भेजे हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय मुझे मैसूर सरकार के किसी ऐसे सुझाव की कोई सूचना नहीं ।

श्री एस० एल० द्विवेदी : क्या भारत में फिल्म बनाने का कोई कारखाना खोलने के बारे में सरकार विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, श्रीमान, सरकार फिल्म बनाने का एक कारखाना खोलने पर विचार कर रही है । विदेशी टेकनिकल विशेषज्ञों से इस बात पर बात

चीत चल रही है कि हमारे लिये एक उचित ढंग का कारखाना खोलना सम्भव है या नहीं ।

हीराकुड श्रमिकों की हड़ताल

*३२८. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हीराकुड के श्रमिकों की हड़ताल के क्या कारण हैं ;

(ख) उन की क्या मांग है ;

(ग) कितने श्रमिक हड़ताल पर हैं ;

(घ) क्या इस हड़ताल से हीराकुड के निर्माण कार्य पर कुछ दुर्प्रभाव पड़ा है ; तथा

(ङ) सरकार किस हद तक श्रमिकों की मांग पूरी करने में समर्थ है ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ). हीराकुड बांध परियोजना पर हुये श्रमिक अनबन तथा आंशिक हड़ताल के बारे में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५८]**

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : मालूम होता है कि परियोजना श्रमिक संघ को परियोजना प्राधिकारियों ने मान्यता नहीं दी है । इसके क्या कारण हैं ?

श्री नन्दा : वहां दो संघ हैं । जो पहिले रजिस्टर हुआ है उसको मान्यता दी गई है । दूसरा बाद में रजिस्टर हुआ और उसको मान्यता नहीं दी गई है ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : मैं जान सकता हूं कि जिस संघ को मान्यता नहीं दी गई है उस में कितने श्रमिक हैं ?

नन्दा : प्रार्थना-पत्र देने के समय इस संघ ने श्रमिकों की संख्या ५८ बताई थी । बाद में जब इन से कहा गया कि अन्तिम श्रमिक संख्या बतायें तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया ।

श्री एल० जोगश्वर सिंह : परियोजना क्षेत्र में सम्पत्ति को क्या क्या क्षति पहुंचाई गई और इस प्रकार कितनी अनुमानित हानि हुई है ?

श्री नन्दा : एक झौंपड़ी और एक कार्यालय को क्षति पहुंचाई गई और कुछ अभिलेख नष्ट कर दिये गये । अनुमानित हानि के बारे में मुझे जानकारी नहीं है । परन्तु कोई ज्यादा हानि नहीं हुई है ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : मार्च १९५३ में क्या झगड़ा था जिसके फलस्वरूप कुछ श्रमिक काम से हटाये गये थे ?

श्री नन्दा : वह मशीनरी को निम्नतम 'गेयर' पर चलाकर खराब करना चाहते थे । साथ ही उन पर आज्ञा का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया था ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार सारी परियोजनाओं पर काम करने वाले मजदूरों तथा मिस्तरियों को एक ही वेतन अथवा एक ही दर की मजूरी देने की व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है ?

श्री नन्दा : शायद माननीय सदस्य को मालूम होगा कि मजूरी की दरों के प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है ।

गणतन्त्र दिवस समारोह सम्बन्धी प्रलेखीय चलचित्र

*३२९. **डा० सत्यवादी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के सम्बन्ध में कितने प्रलेखीय चलचित्र तैयार किये गये और किन किन विषयों पर;

(ख) इनमें से प्रत्येक पर पर अलग अलग कितना रुपया खर्च किया गया; तथा

(ग) गत वर्ष इस समारोह पर कितने प्रलेखीय चलचित्र बनाये गये थे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) दो चलचित्र बनाये जा रहे हैं; एक में समारोह के अवसर पर की गई कवायद, सांस्कृतिक झांकियां, आतिशबाजी तथा रोशनी और दूसरे में लोकनृत्यों के चित्र लिये गये हैं ।

(ख) इन पर किये गये व्यय के आंकड़े अभी नहीं बताये जा सक ते।

(ग) दो ।

डा० सत्यावादी : क्या इन फिल्मों के अलावा और भी तस्वीरें सरकारी तौर पर इस मौके पर ली जाती हैं ?

डा० केसकर : और किसी तरह की डाकुमेन्टरी तस्वीर नहीं बनती हैं, लेकिन हां, उस वक्त जब कि यह रिपब्लिक परेड वगैरह हुई तो न्यूज डिवीजन ने उसकी न्यूज रील के लिये कुछ तस्वीरें जरूर ली हैं ।

डा० सत्यवादी : इन तस्वीरों के अल्बम पब्लिक के लिये हासिल हो सकते हैं ?

डा० केसकर : फिल्म के अल्बम तो बनते नहीं हैं ।

श्री एन० एल० जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन दो प्रलेखीय चलचित्रों पर कितना व्यय हुआ ?

डा० केसकर : शायद माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को नहीं सुना है । मैंने कहा था कि इस समय व्यय का अनुमान बताना संभव नहीं है क्योंकि ये चित्र अभी अभी लिये गये हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि गणतंत्र दिवस के सारे समारोहों का चित्रण किया गया है ।

डा० केसकर: केन्द्रीय सरकार के मुख्यालय के ।

पंडित डी० एन० तिवारी : गतवर्ष कितना खर्च हुआ था ?

डा० केसकर : अगर आप सवाल का नोटिस देंगे तो मैं जरूर आप को इस बात का पता दूंगा ।

गंडक परियोजना

*३३०. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि कुछ संसद् सदस्यों ने प्रधान मंत्री को योजना आयोग द्वारा परीक्षण के लिये गंडक परियोजना के बारे में एक ज्ञापन भेजा था; तथा

(ख) यदि हां, परियोजना की शीघ्र कार्यान्विति की व्यवहार्यता, मितव्ययता तथा वांछनीयता के बारे में परीक्षण का फल क्या रहा ?

योजना तथा सिंचाई मंत्री (श्री नन्दा): (क) जी हां ।

(ख) बिहार सरकार द्वारा बनायी गई ब्यौरेवार परियोजना अभी योजना आयोग के पास नहीं आई है । योजना आयोग और सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं सम्बन्धी सलाहकार समिति यथा समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये उसका परीक्षण करेगी ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या मैं यह समझूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बन जाने से पहले बिहार सरकार का प्रतिवेदन योजना आयोग को मिल जायेगा ?

श्री नन्दा : अवश्य ।

बागान उद्योग

*३३१. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बागान

उद्योगों के कार्यकारण में जांच करने के लिये एक समिति स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). जी हां। समिति के सदस्यों की शीघ्र घोषणा की जायेगी ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि देश के छोटे पैमाने के बागान मालिकों को क्या संरक्षण तथा प्रोत्साहन दिया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इन 'छोटे पैमाने के बागान मालिकों' का निर्देश माननीय सदस्य किस उद्योग के सम्बन्ध में कर रहे हैं ---चाय, कहवा या रबर ?

श्री मुनिस्वामी : कहवा ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बागान उद्योग समिति हम वास्तव में इसीलिये नियु कर रहे हैं कि हम उन्हें क्या सहायता दे सकते हैं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस समिति के सब सदस्य सरकारी होंगे अथवा कुछ गैर-सरकारी व्यक्ति भी होंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अधिक संख्या गैर-सरकारी सदस्यों की होगी ।

श्री वेंकटारमन् : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति में सभी हितों, नामतः बागान मालिक, मजदूर तथा उपभोक्ता, का प्रतिनिधित्व होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बागान मालिकों तथा मजदूरों को भी राय लेने के लिये सम्बद्ध किया जायेगा ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि एक यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि बड़े उद्योगों से संग्रहीत शुल्क राशि को सामान्यतः छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के कार्य में व्यय किया जायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं ।

श्री वेंकटारमन् : मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधित्व उन्हीं के द्वारा चुने जायेंगे, अथवा वे सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सामान्यतया प्रक्रिया यह होती है कि हितार्थी पक्षों से से एक नाम तालिका भेजने को कहा जाता है और सरकार उसमें से चुनाव कर लेती है । मैं समझता हूं कि इस मामले में भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ।

साइकिलें

***३३२. श्री नानादास:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि साइकिलों की कुल प्राक्कलित मांग कितनी है और सन् १९५४ में देश में कितनी साइकिलें उत्पादित होने का प्राक्कलन किया ग या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : साइकिलों की वार्षिक मांग चार से पांच लाख साइकिलें प्राक्कलित की गयी हैं । चालू वर्ष में सम्पूर्ण साइकिलों का उत्पादन ३,२५,००० साइकिलें प्राक्कलित किया गया है ।

श्री नानादास : क्या यह सच है कि – ट्यूबिंग, स्टील स्ट्रिप्स, ब्राइट बार्स, फ्री कटिंग स्टील, फ्री व्हील इत्यादि के लिये हम आयातों पर निर्भर हैं, और यदि हां, तो सरकार इन हिस्सों को देश में निर्मित करने के लिये क्या पग उठा रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमारा मुख्यतः ट्यूबस् बनाने का विचार है । यह सही है कि कुछ हिस्से हम आयात कर रहे हैं ।

श्री नानादास : इस बात की दृष्टि में कि २४ से ऊपर छोटे कारखाने जो कि साइकिलों के उपकरण बनाते हैं, अच्छी किस्म को कायम रखने के लिये परीक्षण यंत्रों के रखरखाव का खर्चा वहन करने में असमर्थ हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इन छोटे कारखानों के सहायतार्थ क्या कर रही है ?

श्री करमरकर : हाल में, इस मामले में सम्बन्धित हितों की एक बैठक हुई थी, और यह मामला हमारे विचाराधीन है ।

श्री नानादास : क्या यह सत्य है कि सन् १९५३ में साइकिल कारखानों की उत्पादन-क्षमता तथा उनके वास्तविक उत्पादन में १,५३,००० साइकिलों का अंतर था ? यदि हां, तो इस प्रतिस्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिये सरकार का क्या पग उठाने का विचार है ?

श्री करमरकर : सरकार तथा कारखाने दोनों ही प्रतिस्थापित क्षमता का अधिकतम सम्भव उपयोग करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि साइकिलों के लिये कोई 'विकास परिषद्' है, और यदि हां, तो उसके सदस्य कौन कौन हैं तथा उसके क्या कार्य हैं ?

श्री करमरकर : यह परिषद् कार्य कर रही है ।

ऐसेंस

***३३३. श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत प्राकृतिक तथा कृत्रिम ऐसेंस बनाने तथा उनके उपादान के मामले में आत्म-निर्भर है ?

(ख) सन् १९५०, १९५१, १९५२ और १९५३ में आयात किये गये ऐसेंसों तथा उनके उपादानों का मूल्य ;

(ग) उपर्युक्त वर्षों में इनके भारत में निर्माण का मूल्य;

(घ) क्या सरकार से किन्हीं भारतीय ऐसेंस निर्माताओं ने, भारत में बढ़िया किस्म के ऐसेंस बनाने में सुविधा प्राप्त करने के प्रयोजन से, वित्तीय अथवा टेकनीकल सहायता की प्रार्थना की है; और

(ङ) यदि हां तो क्या सहायता प्रदान की गयी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) ऐसेंसों तथा उनके निर्माण के उपादानों के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वैदेशिक व्यापार लेखे में इन्हें पृथक रूप से अभिलिखित नहीं किया जाता ।

(ग) भारत में ऐसेंसों का वार्षिक उत्पादन लगभग २६ लाख रुपया का आंका गया है ।

(घ) और (ङ). जी हां, एक फर्म ने सरकार से ऐसेंस निर्माण के लिये वित्तीय सहायता मांगी थी । इस पर विचार किया जा रहा है ।

नर्मदा सिंचाई योजना

***३३४. श्री दाभी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि नर्मदा सिंचाई योजना का अंतिम सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब प्रारम्भ होने की आशा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नर्मदा घाटी की तावा तथा पुनासा परियोजनाओं के सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं, जब कि भड़ोच परियोजना का सर्वेक्षण हो रहा है ।

(ख) तावा तथा पुनासा परियोजनाओं के प्रतिवेदनों की जांच की जा रही है और यदि इन परियोजनाओं को वित्तीय तथा टेकनीकल दृष्टि से सम्भाव्य पाया गया तो अग्रेतर कार्यवाही करना राज्य सरकार के हाथ में होगा ।

श्री दाभी : क्या इसे द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने की सम्भावना है ?

श्री हाथी : यह बात राज्य सरकार की सिफारिश पर निर्भर होगी ?

श्री सी० भट्ट : चूंकि द्वितीय पंच वर्षीय योजना तैयार की जा रही है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने बम्बई सरकार से नर्मदा घाटी योजना को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित कीजाने सम्बन्धी राय मांगी है ?

श्री हाथी : योजना आयोग ने आगामी पंच वर्षीय योजना के लिये राज्य सरकारों को अपनी सिफारिशें भेजने को लिखा है ।

श्री सी० भट्ट : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को इस परियोजना को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने का सुझाव देगी, अथवा इसमें उसे कोई आपत्ति है ?

श्री हाथी : यह आवश्यक नहीं है । राज्य सरकार अपनी सिफारिशें भेजगी ।

श्री टी० एन० सिंह : जांच सम्बन्धी लागत के मामले में केन्द्रीय तथा मध्य प्रदेश सरकार के बीच व्यय-भाग वहन करने में विवाद उत्पन्न हो गया था । क्या मैं जान सकता हूं कि कार्यान्विति लागत के बारे में भी केन्द्र तथा राज्य के मध्य कोई झगड़ा है ?

श्री हाथी : भुगतान का प्रश्न तय हो चुका है ।

श्री सी० भट्ट : नर्मदा जैसी बड़ी नदी को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने का अंतिम उत्तरदायित्व क्या केन्द्रीय सरकार का होगा ?

अध्यक्ष महोदय : सम्पूर्ण नर्मदा को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है । अगला प्रश्न ।

लंका में भारतीय

*३३५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि लंका में कुल कितने भारतीयों को नागरिक अधिकार दिये गये हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : जनवरी, १९५४ के अंत तक २७,२०७ ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि नागरिकता प्राप्त करने के लिये कितनी अर्जियां विचार किये जाने के लिये निलम्बित हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं तत्काल नहीं बतला सकता । मेरा ख्याल है कि कुल संख्या ९ लाख से ऊपर होगी ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : उन लोगों का क्या भाग्य होगा जिन्हें कि नागरिक अधिकार नहीं दिये जायेंगे और जो लोग इस समय भारतीय नागरिक नहीं हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : कुछ दिवस पूर्व हमने इस प्रकृति के एक प्रश्न का उत्तर दिया है । प्रधान मंत्री ने भी परसों के अपने भाषण में प्रश्न का निर्देश किया है ।

भारतीय वस्तुओं की प्रदर्शनी

*३३६. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत वर्ष योरोप के किन किन नगरों में भारतीय वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया था ;

(ख) विशेष प्रदर्शन-वस्तुएं क्या क्या थीं तथा उनका मूल्य क्या था ; तथा

(ग) प्रदर्शन-वस्तुए कैसे बेची गईं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५९**]।

श्री एन० एम० लिंगम: विवरण से विदित होता है कि प्रदर्शन वस्तुएं २२ हैं तथा उनमें कुटीर उद्योग की वस्तुओं से लेकर कच्चे लोहे तक की वस्तुएं हैं। क्या इन प्रदर्शनियों का आयोजन करने में सरकार की इच्छा यह थी कि हमारी वस्तुओं का प्रदर्शन हो तथा उनके लिये विदेशों में मांग उत्पन्न की जाये।

श्री करमरकर : हां। ठीक यही इच्छा है।

श्री एन० एम० लिंगम : यदि ऐसा है, तो निर्यात में वृद्धि करने में सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

श्री करमरकर : मेरा ख्याल है कि मुझे वह उत्तर दोहराना चाहिये जो मैं पहिले दे चुका हूं। परिणामों का अभी ठीक पता नहीं लगा है। निर्यात में वृद्धि हो रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बिजली सप्लाई कम्पनियां

*३०२. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में बिजली की ऐसी ज्वाइंट स्टाक कम्पनियां कितनी हैं जो पाकिस्तान स्थित नगरों में विभाजन से पहिले बिजली देती थीं ;

(ख) इन कम्पनियों में जमानत के रूप में कितनी राशि जमा है ; तथा

(ग) वर्ष १९५३ में भूतपूर्व उपभोक्ताओं को जमानत की कितनी राशि लौटाई गई ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तेरह।

(ख) पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं है।

(ग) कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

कपड़ा निर्यात

*३१०. **श्री एस० सी० सिंहल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि १९५३ में कपड़े का निर्यात पिछले वर्ष से १६ प्रतिशत बढ़ गया है ;

(ख) इस वृद्धि के कारण क्या हैं ; तथा

(ग) १९५३ में देश में पिछले वर्ष की अपेक्षा कितने कपड़े का उपभोग हुआ था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५३ के निर्यात में १९५२ के निर्यात की अपेक्षा १० प्रतिशत वृद्धि हुई।

(ख) ठीक कारण नहीं बताये जा सकते हैं। इस वृद्धि में निम्न बातें सहायक हुई हैं :—

(१) ४ जनवरी १९५३ को मोटे तथा साधारण कपड़े पर निर्यात शुल्क, मूल्यानुसार, २५ प्रतिशत से घटाकर १० प्रतिशत कर दिया गया था। २४ अक्टूबर १९५३ से साधारण कपड़े से निर्यात शुल्क हटा दिया गया।

(२) २६ नवम्बर १९५३ से वह आयात शुल्क, जो आयात की गई उस रुई पर दिया गया था जिससे निर्यात के लिये

कपड़ा बनाया गया था, वापस कर दिया गया।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६०**]।

मुलगांवकर समिति

*३१३. **श्री टी० के० चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे :

(क) क्या इन्जिनियरिंग उद्योग संबंधी मुलगांवकर समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निश्चय किये है

(ग) क्या सरकार प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखेगी; तथा

(घ) क्या सरकार को इसकी कोई जानकारी है कि विदेशी स्वामित्व वाले इन्जिनियरिंग कारखानों में कितने संयन्त्र बेकार पड़े हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) समिति ने इस बात पर अपने प्रारम्भिक विचार व्यक्त कर दिये हैं कि इन्जिनियरिंग उद्योगों की विद्यमान अतिरिक्त क्षमता का किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया जा सकता है।

(ख) सरकार समिति के मतों पर विचार कर रही है।

(ग) समिति समय समय पर लिखित रूप में या मंत्री महोदय के साथ बैठकों में मंत्रालय को सूचना देती है।

(घ) नहीं, श्रीमान्। समिति अब भी देश में इन्जिनियरिंग संयत्रों का अध्ययन कर रही है।

आकाशवाणी में कार्यक्रम सहायक

*३१६. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि आकाशवाणी के कार्यक्रम सहायकों का, चाहे वे सीधे या चुनाव बोर्डों द्वारा १९४९ के पहले नियुक्त किये गये हों, उनकी नियुक्तियों को नियमित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कार्यक्रम सहायकों को उनकी नियुक्ति के समय यह सूचित किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनका परीक्षण किया जायेगा; तथा

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अस्वीकृत किये जाने की सूचना उन्हें तुरन्त दी गई थी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) आकाशवाणी के जो कार्यक्रम सहायक स्थायी अथवा अर्ध-स्थायी नहीं बनाये गये हैं अर्थात् जो अस्थायी रूप से रखे गये हैं उनकी नियुक्तियों को नियमित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनका परीक्षण आवश्यक है।

(ख) कार्यक्रम सहायकों को अथवा अन्य कर्मचारियों को यह सूचित करना आवश्यक नहीं है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनका परीक्षण किया जायेगा। १९४९ में कार्यक्रम सहायकों की श्रेणी २ में पदोन्नति की जाने के कारण संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षण की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग के निर्णय यथासमय संबंधित व्यक्तियों को सूचित किये जाते हैं।

चाय

*३१७ **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि उत्तर भारत के चाय उद्योग ने १९५४ में चाय की फसल कम करने का निर्णय किया है; तथा

(ख) यदि हां, की जाने वाली कमी की लगभग मात्रा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) (क) जी नहीं। यह विषय अभी चाय उद्योग के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र दिन

*३३७. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या २४ अक्तूबर, १९५३ को सारे भारत में संयुक्त राष्ट्र दिन मनाया गया ; तथा

(ख) यदि हां, उस दिन का कार्यक्रम ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) यह दिन देश के विभिन्न क्षेत्रों में मनाया गया।

(ख) (१) सरकारी तथा गैरसरकारी इमारतों पर संयुक्त राष्ट्रों के झंडों को फहराया जाना ;

(२) संयुक्त राष्ट्र विषयक साहित्य का वितरण तथा प्रदर्शन ;

(३) संयुक्त राष्ट्र दिन के फिल्म का प्रदर्शन ;

(४) व्याख्यान तथा सार्वजनिक सभाएं ;

(५) ग्रामीण बच्चों को उपहार; तथा

(६) स्कूल में बच्चों तथा बालचरों के मेले।

इन्दौर में रेडियो स्टेशन

*३३८. **श्री राधेलाल व्यास:** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इन्दौर में रेडियो स्टेशन खोलने की योजना के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ;

(ख) इस योजना पर कितना खर्चा आने की सम्भावना है ;

(ग) योजना का कार्य कब आरम्भ होगा और कब समाप्त होगा ; तथा

(घ) अब तक इस योजना को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) इन्दौर में ट्रांसमीटर लगाने का स्थान तथा स्टूडियो को स्थान देने के लिये एक इमारत चुन ली गई है। विदेशों से सामग्री भी मंगाई जा रही है।

(ख) अनुमानित लागत ११ लाख रुपये है।

(ग) प्रारम्भिक कार्य १९५२ में आरम्भ किया गया था और १९५४-५५ के अन्त तक उसके पूरे हो जाने की आशा की जाती है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ताड़ का गुड़

*३३९. **पंडित डी० एन० तिवारी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने देश में चीनी की आवश्यकता को ताड़ के रस से पूरा करने की सम्भाव्यता पर विचार किया है ; तथा

(ख) क्या देश में ताड़ के वृक्षों का कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) मोटे तौर से अनुमान लगा लिया गया है।

रुई का क्रय

*३४०. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ में निम्नतम मूल्य बनाये रखने के लिये सरकार द्वारा क्रय की गई रुई की कुल मात्रा ;

(ख) इस पर हुई हानियां ;

(ग) किस दर पर वह बेची गई थी ; तथा

(घ) किसके हाथ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कुछ नहीं।

(ख) से (घ)। प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग

*३४१. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** उपमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग से उच्च शिक्षा तथा सरकारी व्यय पर प्रशिक्षण के लिये कितने अधिकारी विदेश भेजे गए थे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : २८।

विस्थापित व्यक्तियों की कृषि-भूमि

*३४२. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पाकिस्तान में सिन्ध, उत्तरी पश्चिम सीमा तथा बहावलपुर की कृषि योग्य भूमि के विस्थापित मालिकों द्वारा छोड़ी गई कृषि योग्य भूमि कितने एकड़ थी ; तथा

(ख) उन प्रमाप एकड़ों की संख्या जिनमें वह भूमि बदल दी गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख) विस्थापित व्यक्ति दावे अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत सिन्ध उत्तर पश्चिम सीमा तथा बहावलपुर राज्यों के भूस्वामियों के अधिकार में होने के ९.३२ लाख प्रमाप एकड़ भूमि के दावों की जांच हो चुकी है।

ब्रिटेन में भारतीय

*३४३. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री एम० एल० द्विवेदी :

क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे :

(क) ब्रिटेन में इस समय कितने भारतीय नागरिक हैं ; तथा

(ख) उन भारतीयों की संख्या क्या है जो ब्रिटेन में स्थायी रूप से बस गये हैं और उनकी संख्या क्या है जो भारतीय नागरिक बने चले आ रहे हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जायेगी।

सस्ते मकानों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी

*३४४. **डा० सत्यवादी** : क्या **निर्माण आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सस्ते मकानों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की तैयारी पर कितना व्यय हुआ है ;

(ख) कितने देशों ने अपने नमूने भेजे हैं ; तथा

(ग) प्रदर्शनी समाप्त होने पर इन नमूनों को किस प्रकार प्रयोग में लाने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) अब तक लगभग ६·७७ लाख रूपय व्यय किया जा चुका है।

(ख) तथा (ग) मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य पूरे आकार वाले नमूने के मकानों का निर्देश कर रहे हैं। विदेशी एजेंसियों द्वारा तीन मकान खड़े किए गए हैं--एक बर्मा की सरकार तथा दो अंग्रेज़ी फर्मों के द्वारा। प्रदर्शनी समाप्त हो जाने के पश्चात् नमूने के मकानों को बना रहने दिया जायेगा तथा विभिन्न दृष्टि-कोणों से इनकी देख-भाल की जायेगी। यह देखने के लिए कि क्या इन में से किसी एक डिज़ाइन का विशद रूप से अपनाया जाना उचित होगा। इन मकानों में छांटे गए कर्मचारी रखे जा सकते हैं जिससे उनकी व्यावहारिक उपयोगिता की जांच की जा सके।

उ० प्र० में निष्क्रान्त कृषि भूमि

*३४५. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : (क) **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्थित निष्क्रान्त कृषि भूमि पर पश्चिमी पाकिस्तान के ऐसे विस्थापितों को बसाने को निश्चय कर लिया है जिनके कृषि भूमि सम्बन्धी दावे सत्यापित हो चुके हैं ?

(ख) यदि ऐसा है, तो कितने एकड़ ऐसी कृषि भूमि उपलब्ध है ?

(ग) उन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या क्या है जिनके सत्य प्रमाणित किये गये दावे कृषि भूमि से सम्बन्धित हैं ?

(घ) ऐसी भूमि को दावेदारों को (आवंटित करने अथवा देने का आधार क्या होगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जन) (क) हां। ग़ैर पंजाबी विस्थापित व्यक्तियों को।

(ख) ३८ लाख रुपये से अधिक मूल्य के ११०० से अधिक बगीचे उपलब्ध हैं और उनका आवंटन हो रहा है। भूमि के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) उ० प्र० में लगभग ६,०००।

(घ) यह विषय विचाराधीन है।

हथकरघे का कपड़ा

*३४६. **श्रीझूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री हथकरघे के कपड़े का अपने देश से निर्यात किये जाने की सम्भाव्यता तथा इस समय की स्थिति बताने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : १९५२ में निर्यात किये गये हथ करघे के कपड़े के ५,५०,४०,००० गज़ की तुलना में १९५३ में ६,३९,६०,००० गज़ कपड़ा निर्यात किया गया था अत: इसमें ८९,२०,००० गज़ की वृद्धि हुई है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड द्वारा किये गये उपायों से आशा यह की जाती है कि हथकरघे के कपड़े के निर्यात को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

तेलउपकर

*३४७. **श्री दाभी** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग के सुझाव पर कारखानों के बने हुए खाने

के तेल पर उपकर लगाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो वह निर्णय क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

समावृत्त बस्तियों का आदान प्रदान

*३४८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या समावृत्त बस्तियों के आदान प्रदान पर भारत तथा पाकिस्तान में कोई करार किया गया है; तथा

(ख) यदि नहीं, तो अब तक दोनों सरकारों के बीच वार्ता कहां तक पहुंची है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) तथा (ख) दोनों सरकारों के बीच सिद्धान्ततः एक करार यह हुआ है कि पूर्वी बंगाल में स्थित कूच बिहारी बस्तियों तथा कूच बिहार में स्थित पूर्वी बंगाली बस्तियों का आदान प्रदान हो जाना चाहिये। ऐसे आदान प्रदान की शर्तों पर विचार करने के लिये कलकत्ता में ३० सितम्बर, १९५३ से ३ अक्टूबर, १९५३ तक एक भारत-पाकिस्तान सम्मेलन भी बुलाया गया था। इस सम्मेलन में इन बस्तियों में इस समय रहने वाले राष्ट्रीयों के अधिकारों के सम्बन्ध में यद्यपि कुछ समझौता हुआ था किन्तु पाकिस्तान को दिये जाने वाले अतिरिक्त भूभाग के बदले में पश्चिमी बंगाल को मिलने वाले अतिरिक्त भूभाग के मुख्य मामले पर अभी कोई समझोता नहीं हो सका है।

सिंदरी कारखाने में कर्मचारी

*३४९. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंदरी उर्वरक कारखाने में ५०० रु० तथा उस से अधिक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)। ६०

दुग्ध-चूर्ण

*३५०. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ में भारत में आयात किये गये दुग्ध-चूर्ण की कुल मात्रा कितनी है ;

(ख) इसमें से कितनी मात्रा सरकारी हिसाब में लिखी गई ;

(ग) क्या भारत में इस पदार्थ का निर्माण करने वाले सार्थ भी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो १९५२-५३ में कुल कितना निर्माण हुआ ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १९६,४६५ निकाले हन्डरवेट (मक्खन निकाले दूध सहित)।

(ख) सरकारी हिसाब पर आयात किये गये दुग्ध-चूर्ण 'के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं'।

(ग) नहीं श्रीमान्।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

फोर्ड प्रतिष्ठान विशेषज्ञ

*३५१. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या फोर्ड प्रतिष्ठान दल में कुटीर उद्योग विशेषज्ञों ने राज्यों में कुटीर

उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों को कोई सिफारिशें की हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं श्रीमान्। दल ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विकास पदाधिकारी

३१. **श्री हेम राज:** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा ब्लाकों के लिये १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में प्रशिक्षित विकास पदाधिकारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) विभिन्न राज्यों में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां उन्हें प्रशिक्षा दी जाती है ; और

(ग) उनकी अपेक्षित अर्हतायें क्या हैं तथा प्रशिक्षा एंव सेवा के प्रयोजनार्थ उनकें चुनाव का ढंग क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) । जुलाई-अगस्त १९५२ में नीलोखेरी स्थित सामुदायिक परियोजना प्रशासन द्वारा एक संक्षिप्त नवीकरण प्रशिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई गई थी जिसमें १९५२-५३ में राज्य सरकारों के हिस्से में आये हुए सामुदायिक परियोजनाओं विकास ब्लाकों पर उन्हीं के द्वारा चुने गये और इस काम में नियोजित किये गये ७१ परियोजना कार्यकारी पदाधिकारियों को प्रशिक्षा मिलनी थी । १९५३-५४ में वंटित सामुदायिक विकास एंव राष्ट्रीय विस्तार सेवा ब्लाकों पर लगाये गये पदाधिकारियों की प्रशिक्षा के लिये तो स्वयं राज्य सरकारों ने उन विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों अथवा परियोजना क्षेत्रों में उनकी व्यवस्था की । अब सामुदायिक परियोजना प्रशासन तीन ऐसे केन्द्रों को स्थापित करने की व्यवस्था कर रहा है जो सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा ब्लाकों में काम रने वाले प्रशासन सम्बंधी कर्मचारी वर्ग को प्रशिक्षा दिया करेगा । ये तीन केन्द्र हैदराबाद, नीलोखेरी और दामोदर घाटी निगम क्षेत्र (बिहार) में स्थापित होंगे और पहली अप्रैल, १९५४ से चालू होंगे । राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये ब्लाक विकास पदाधिकारियों को इन केन्द्रों में प्रशिक्षा दी जाएगी।

राजस्थान में कुटीर उद्योग

३२. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुटीर उद्योगों के विकास के लिये केन्द्र ने राजस्थान सरकार को १९४९-५० से, वर्षवार आज तक कितनी धनराशि दी, तथा उस धन राशि में से प्रति वर्ष कितनी राशि खर्ची गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५२-५३ में कोई भी अनुदान नहीं दिया गया । १९५१-५२ में ६६,५०० रुपये का अनुदान मंजूर किया गया और १९५३-५४ में ३१,७४० रुपये की राशि पेश की जा रही है । १९५१-५२ के अनुदान के उपभोग के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है, और उपलब्ध होते ही सदन पटल पर रखी जाएगी ।

ताड़ गुड़ निर्माण-प्रशिक्षण स्कूल

३३. **श्री झूलन सिन्हा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वर्षों में कुडलूर स्थित ताड़

गुड़ निर्माण-प्रशिक्षण स्कूल में, राज्यवार, कितने प्रशिक्षार्थियों ने ट्रेनिंग पाई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण जिस में जानकारी दी गई है, संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६१]**

खादी उद्योग

३४. सेठ गोविन्द दास : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में अखिल भारतीय खादी बोर्ड को खादी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा कितनी आर्थिक सहायता दी गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामाचारी) : (१) ऋण के रूप में १५६ लाख रुपये ।

(२) अनुदान के रूप में ४०·०१ लाख रुपये ।

अखिल भारतीय खादी बोर्ड को राज्य सरकारों से कोई अनुदान या ऋण नहीं मिलता ।

निर्यात तथा आयात

३५. सेठ गोविन्द दास : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसी वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनके आयात में १९५३ में मूल्य की दृष्टि से वृद्धि हुई है ;

(ख) ऐसी वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनके निर्यात में १९५३ में, मूल्य की दृष्टि से कमी हुई है;

(ग) इस अन्तर का क्या कारण था ;

(घ) १९५२ में उक्त वस्तुओं के आयात तथा निर्यात का क्रमशः मूल्य क्या था ?

वाणिज्य तथो उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ) । दो विवरण संलग्न हैं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६२]**

कपड़ा बनाने की मशीनें

३६. सेठ गोविन्द दास : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में भारत में कितने मूल्य की कपड़ा बनाने की मशीनें और उनके पुर्जे तैयार किये गये ;

(ख) अब तक इस उद्योग को सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता की गई है; तथा

(ग) १९५३ में कितने मूल्य की कपड़ा बनाने की मशीनें आयात की गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६३]**

(ख) सरकार ने मैसर्ज मशीनरी मैनुफैक्चरर्स कारपोरेशन, लिमिटेड कलकत्ता की पूंजी में, कम्पनी के विशेष संग्राहक अधिमान अंशों के ४ प्रतिशत के रूप में, २५ लाख रुपये लगाये हैं । वे धुनने की मशीनों के इंजिनों का निर्माण कर रहे हैं ।

(ग) लगभग ११·३७ करोड़ रुपये ।

उत्तर प्रदेश में हाथकरघा उद्योग

३७. श्री भागवत झा आज़ाद : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विगत दिसम्बर में उत्तर प्रदेश सरकार को हाथकरघा उद्योग के विकास के लिये कुछ और अनुदान मंजूर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुदान की राशि कितनी है और उसे किन किन वस्तुओं पर व्यय किया जाएगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६४]**

प्रशासन सम्बन्धी लेखापरीक्षा योजना

३८. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में, चालू वर्ष में चलाई गई प्रशासन सम्बन्धी लेखापरीक्षा योजना पर कुल कितना व्यय हुआ ;

(ख) इस समय इस योजना में कुल कितने पदाधिकारी काम कर रहे हैं; और

(ग) इस सारे काम को पूरा करने के लिये अभी और कितने पदाधिकारियों की आवश्यकता रहेगी ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). अभी यह योजना नहीं चलाई गई । इस योजना के ब्यौरेवार सिद्धान्तों का निश्चय करने में आशा से अधिक समय लगा, और अब हम कर्मचारिवर्ग की आवश्यकताओं, और इन पदों पर अच्छे आदमियों के साधन जोड़ने के विषय में हिसाब लगा रहे हैं।

जापान को कच्चे लोहे का निर्यात

३९. **श्री देवगम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कलकत्ता पत्तन से, पत्री वर्ष १९५३ में, प्रत्यक सार्थ द्वारा कितना कच्चा लोहा जापान को निर्यात किया गया ; प्रत्येक खेप में लोहे का कितना अंश था, और प्रत्येक खेप में ६० प्रतिशत प्रति टन लोहे पर आधारित मूल्य, जो प्रत्येक निर्यातक को मिला, कितना था; तथा

(ख) पत्री वर्ष १९५२-५३ में मेसर्ज़ बर्ड एण्ड कम्पनी (उड़ीसा मिनरल्ज़ डेवलेपमेन्ट कम्पनी) एवं मेसर्ज़ टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा जापान को निर्यात किये गये कच्चे लोहे की मात्रा कितनी थी ; और तराशने-जोड़ने तथा उतारने-चढ़ाने के व्यय रहित ६० प्रतिशत प्रति टन जहाज़ी भाड़ा सहित मूल्य के आधार पर उन्हें कितना धन मिला, तथा उनके सौदों में कितने अंश लोहा अस्वीकृत हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी०टी० कृष्णमाचारी) : (क) एवं (ख): दो विवरण संलग्न हैं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६५]**

मुसलमानों का भारत लौट आना

४०. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** (क) **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ८ अप्रैल, १९५० के भारत-पाकिस्तान करार के अन्तर्गत १९५०, १९५१, १९५२ और १९५३ में क्रमश: पश्चिमी पाकिस्तान से भारत लौटे हुए मुसलमानों की संख्या कितनी है ?

(ख) उक्त करार के अन्तर्गत आज तक लौटे हुए मुसलमानों में से कितनों को उनकी संपत्ति लौटाई गई ?

(ग) भारत तथा पाकिस्तान की सरकारें दोनों ओर के प्रवासियों को उक्त करार से लाभ उठाने के लिये क्या सुविधायें दे रही हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) ८ अप्रैल, १९५० का प्रधान मंत्रियों का करार पश्चिमी पाकिस्तान पर लागू

नहीं होता। यों तो भारत सरकार ने उन भारतीय मुसलमानों के प्रत्यावर्तन पर सहमति प्रगट की थी जो फरवरी १९५० से मई १९५० तक की अवधि में उत्तर प्रदेश से पश्चिमी पाकिस्तान गये थे। प्रत्यावर्तन के लिये स्थापित की गई एक विशेष प्रक्रिया के अधीन मई, १९५० से पश्चिमी पाकिस्तान से भारत लौटे हुए मुसलमान प्रवासियों की संख्या इस प्रकार है :—

१९५०	१०,८९६
१९५१	११,६६२
१९५२	१,५००
१९५३	शून्य

(ख) इस समय कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) पाकिस्तान की सरकार प्रत्यावर्तन योजना के अन्तर्गत मुसलमान प्रवासियों की सूचियां कराची स्थित भारतीय हाई कमिश्नर को भेज देती है, जो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेजा करता है। राज्य सरकार इन सूचियों की जांच करके, इन में उन मुसलमान प्रवासियों के अतिरिक्त नाम जोड़ देती हैं जिन्होंने सीधे ही राज्य सरकार के पास अपने प्रार्थना-पत्र भेजे थे, और उन सूचियों को भारतीय हाई कमिश्नर के पास भेज देती है। इस के बाद यह हाई कमिश्नर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली सामयिक प्रवासी संख्या के अनुसार आज्ञा-पत्र जारी करते हैं। इन प्रवासियों को पाकिस्तान सरकार अपने खर्चे पर भारत के सीमान्त पर पहुंचाती है, और वहां से भारत के गम्य स्थानों तक का इन का पहुंचाने का खर्च भारत सरकार उठाती है।

पाकिस्तान सरकार द्वारा इसी प्रकार की सुविधायें मंजूर करने की प्रक्रिया का प्रश्न पैदा नहीं होता क्योंकि उन के पास ऐसे ग़ैर-मुसलिम प्रवासियों के बहुत कम प्रार्थना-पत्र पहुंचे हैं जो वापिस पाकिस्तान जाना चाहते हों।

हीराकुड नियंत्रण बोर्ड

४१. डा० नटवर पांडे : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) १९५२–५३ तथा १९५३ –५४ में क्रमश: आज तक हीराकुड नियंत्रण बोर्ड ने कितनी बैठकें बुलाई ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना हीराकुड़ नियंत्रण बोर्ड के निश्चयों को कार्यान्वित नहीं किया जाता ;

(ग) हीराकुड़ नियत्रण बोर्ड में कुल कितने सदस्य हैं ; और

(घ) सदस्यों तथा अध्यक्ष के नाम क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) १९५२-५३ में चार और १९५३-५४ में चार।

(ख) से (घ). प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के संकल्प संख्या डी-डबल्यू० ११–१२(२७) दिनांक २७ मार्च, १९५२ [सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के संकल्प संख्या डी-डब्ल्यू०११-१२ (२७) दिनांक २९ जून, १९५३, २१ जुलाई, १९५३, २४ अगस्त, १९५३ और १३ अक्तूबर, १९५३, द्वारा संशोधित] की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये पुस्तकालय संख्या एस-४३/५४]** बोर्ड के प्रक्रिया-नियम तथा कार्यक्रम के अनुसार, बोर्ड के निश्चयों को इस की बैठकों के लेख्यों

लिखा जाता है। बोर्ड द्वारा स्वीकृत सभी मामलों की मंजूरी, जो बोर्ड के अधिकार में हो, इस के सचिव द्वारा दी जाती है। उड़ीसा सरकार के अधिकार में जो अन्य मामले होते हैं, मंजूरी के लिये उसके पास भेजे जाते हैं।

कोयला खानों की मशीनें

४२. **श्री पी० सी० बोस:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) १९५२ और १९५३ में विदेशों से कोयला खानों की कुल कितनी मशीनें आयात की गईं;

(ख) इन वर्षों में इन का कितना मूल्य दिया गया; और

(ग) इन मशीनों की आयात-अनुज्ञप्तियों को जारी करने वाला पदाधिकारी कौन है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री डी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख) इस बात के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कोयला खानों की कुल कितनी मशीनें आयात की गईं। १९५२ और १९५३ में आयात की गई मशीनों का कुल मूल्य इस प्रकार है:—

१९५२	३६,४८,००० रुपये
१९५३	३७,४६,००० रुपये

(ग) रेलवे कोयला खानों से आयात की अनुज्ञप्तियों के लिये आये हुए प्रार्थना-पत्रों पर रेलवे बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार विचार किया जाता है। अन्य कोयला खानों के लिये कोयला आयुक्त ही सिफारिशें भेजा करता है। हर आयातकों को पिछले आयातों के आधार पर स्टॉक एवं बिक्री की कोयला खान मशीनों का आयात करने की आज्ञा दी जाती है।

सत्यमेव जयते

बुधवार,
२४ फरवरी, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बुधवार, २४ फ़रवरी, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

३ म० प०

उद्योग विकास निगम सम्बन्धी वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : श्रीमान्, मैं निजी व्यवसायों द्वारा चलाये गये उद्योगों के विकास में सहायता देने के हेतु एक निगम की स्थापना के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूं। भारत-अमरीका प्रविधिक सहकारिता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हुई कुछ वस्तुओं के विक्रय से हुई आय का उपयोग करने के सम्बन्ध में प्रविधिक सहकारिता आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि हम १५० लाख डालर के समूल्य धन राशि रुपयों में निजी व्यवसायों द्वारा चलाये गये उद्योगों के विकास में प्रोत्साहन देने के हेतु एक औद्योगिक विकास निगम को, यदि कोई निगम अनन्योआश्रित आधार पर स्थापित की जाये तो दें। योजना आयोग से परामर्श करने के पश्चात् हम उस २,००,००० टन लोहे की चादरों, प्लेटों, रेलों, तथा स्लीपरों की शाखाओं के प्रदाय के सम्बन्ध में हुए हाल ही के करार के अन्तर्गत प्राप्त हुए लोहे तथा फौलाद के विक्रय से हुई आय में से यह धन राशि देने को सहमत हो गये। पुनर्निर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का एक आयोग जिस में बैंक का एक वरिष्ठ अधिकारी तथा दो परामर्शदाता हैं, इस देश के निजी उद्योगों को ऐसे किसी निगम की स्थापना की संभावनाओं की जांच करने के लिये गत दो या तीन सप्ताह से भारत आया हुआ है। आयोग ने वरिष्ठ सरकारी अफसरों से प्राथमिक चर्चा की और उस के पश्चात् उस ने मुझ से, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से तथा देश के निजी उद्योगों के महत्वपूर्ण नेताओं से प्राथमिक चर्चा की। सरकार से अग्रेतर विचार विमर्श करने के लिये निजी उद्योग पतियों द्वारा उद्योग के पांच प्रतिनिधियों की एक कर्णाधार समिति नियुक्त की गई है। यह सूचना मिली है कि पुनर्निर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक नये निगम को यदि उसे स्थापित किया गया तो, ऋण देने को सहमत होगा। जैसा कि मैं ने निवेदन किया चर्चा अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है परन्तु कुछ रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए जो सदैव ही ठीक तथा निश्चित रूप से प्राधिकृत नहीं होती हैं, मैं समझता हूं कि मेरा यह कर्तव्य है कि मैं सदन को इन कार्यवाहियों की सूचना दूं। मैं आशा करता हूं कि इसी सत्र में आगे चल कर मैं इस के सम्बन्ध में

[श्री सी० डी० देशमुख]

और अधिक विस्तृत वक्तव्य देने की स्थिति में हूंगा । अभी तो मैं इतना ही कहूंगा कि बैंक आयोग को आशा है कि इस विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप एक निगम स्थापित हो जायेगा जो कि इस देश में उद्योगों के विकास में सहायक होगा ।

वर्ष १९५३-५४ के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें

अध्यक्ष महोदय : अब हम १९५३-५४ की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ करेंगे । इस के अतिरिक्त पैप्सू की मांगे भी हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक के बाद दूसरी मांग को प्रस्तुत करूंगा ।

*मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध व्यय

उपाध्यक्ष महोदय ने निम्न मांग प्रस्तुत की :

मांग संख्या	शीर्ष	अनुपूरक राशि
१०	संचार मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	४०,००० रुपये

इस पर एक कटौती प्रस्ताव भी है । यह कोई नई सेवा नहीं है, इसलिये उक्त प्रस्ताव नियम विपरीत है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम): परन्तु मांग संख्या १० से पहले मांग संख्या ६ भी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल मतार्थ मांगों को क्रम पत्र पर रखा जाता है । आप उन मांगों के सम्बन्ध में जिन पर मत नहीं लिया जाता है, किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं । परन्तु उन पर सदन का मतदान नहीं हो सकता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : यह तीसरी बार है जब एक बहुत बड़ी राशि के लिये अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई हैं । हम इसका कारण जानना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मांग संख्या ६ के नीचे स्पष्टीकारक टिप्पणी में पर्याप्त कारण बतलाये गये हैं । यदि माननीय सदस्या इसके अतिरिक्त और कुछ पूछना चाहती हैं तो वे ऐसा कर सकती हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा निर्देश किसी मद विशेष से नहीं है । मैं तो यह पूछना चाहती हूं कि सरकार द्वारा सदन से बार बार बड़ी बड़ी राशियों की अनुपूरक मांगों पर बहस करने तथा उन के स्वीकार करने के लिये कहना उत्तरदायित्व की बात नहीं जान पड़ती है ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मेरे लिये इस आपत्ति का उत्तर इसी समय देना अधिक सुविधाजनक रहेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री मांग संख्या ६ पर हुई चर्चा के उत्तर में इस का वर्णन भी कर सकते हैं । अनुपूरक मांगों की संख्या के बारे में कोई सीमा नहीं रखी गई है । अतएव माननीय मंत्री इस अभिप्राय का कोई आवश्वासन नहीं दे सकेंगे । जब जब आवश्यकता होगी, वह इन्हें प्रस्तुत करेंगे ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : इस विचार से कि मूल आयव्ययक में सरकार

---

*राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से प्रस्तुत ।

को सारे वर्ष की आवश्यकताओं के लिये व्यवस्था करनी होती है, क्या हमें कुछ मदों की पहले व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में किसी स्पष्टीकरण के प्राप्त करने का अधिकार नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अनुपूरक मांगें नई सेवाओं तथा कुछेक मदों के अन्तर्गत हुए अधिक व्यय के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाती हैं। कई सेवाओं के बारे में नीति सम्बन्धी प्रश्नों को सदन में उठाया जा सकता है। जहां तक अतिरिक्त या अधिक व्यय का सम्बन्ध है, यह सर्वथा सम्भव है कि कुछ मदों के बारे में ऐसा अनुमान पहले से न किया जा सका हो। अतएव माननीय सदस्य किसी भी मांग के सम्बन्ध में कारण पूछ सकते हैं। मैं सरकार से यह सामान्य प्रश्न नहीं पूछ सकता हूं कि वह तीसरी बार अनुपूरक अनुदानों की मांगों को क्यों प्रस्तुत कर रही है। कुछ सेवायें नई हो सकती हैं तथा कुछ का कारण और हो सकता है। सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। अब यदि चाहें तो कोई माननीय सदस्य मांग संख्या ६ के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : नीचे दी गई टिप्पणी बहुत अनिश्चित से शब्दों में है। यदि ब्याज की दर में कोई वृद्धि हुई है तो उस का वर्णन किया जाना चाहिये था। इस के अतिरिक्त हम इस वृद्धि का विरोध करते हैं क्योंकि डाक तथा तार विभाग के पूंजी व्यय के सम्बन्ध में हम कुछ राशि सामान्य राजस्व में दे रहे हैं। ब्याज दे कर जो अतिरेक रहता है, उस के ५० प्रतिशत भाग को भी सामान्य राजस्व में दिया जाता है। यदि हम ब्याज की दर को बढ़ायेंगे तो डाक तथा तार विभाग के विकास के लिये हमारे पास कुछ नहीं बचेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस अवसर पर विकास सम्बन्धी चर्चा असंगत होगी। प्रश्न तो यह होना चाहिये कि ब्याज की दर क्यों बढ़ाई गई है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। ब्याज बची हुई वस्तुओं के मूल्य पर भी दिया जा रहा है। यह पूंजी पर भी लिया जाता है। फिर हम इसे पुनः कैसे वसूल कर सकते हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : स्पष्ट तथ्य यह है कि अनुपूरक मांगों को अलग अलग सदन के सामने रखा जाता है। तथा सदन उन का अनुमोदन करता है। हम पहले दो बार ऐसा कर चुके हैं। यदि कोई आपत्ति थी तो उसे उस समय किया जाना चाहिये था। सदन दो अनुपूरक अनुदानों की मांगों को स्वीकार कर चुका है। अब भी उन्हें उस समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिये जब तक कि सारी मांगें प्रस्तुत न हो जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन जानना चाहता है कि इन मांगों को किस्तों में क्यों पेश किया जा रहा है तथा इन का पहले से अनुमान क्यों नहीं किया गया था ?

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान्, नियम संख्या २३० इस प्रकार से है :—

> "अनुपूरक, अपर, अतिरिक्त, अनुदान तथा अपवादनुदान और प्रत्ययानुदान ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए जो चाहे रूप भेदों के हों या कुछ जोड़ कर या निकाल कर बनाये हों, जैसे कि अध्यक्ष आवश्यक या वान्छनीय समझे, उसी प्रक्रिया से विनिश्चत होंगे जो अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में लागू होती हैं।"

अब, श्रीमान् आप ने कहा था कि अनुपूरक मांगों पर चर्चा के समय किसी सदस्य को ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहियें जिन्हें वह

[श्री एस० एस० मोरे]

सामान्य आयव्ययक पर चर्चा के समय बहुत सुविधा से कर सकता है। आप के इस विनिर्देश से चर्चा करने के हमारे अधिकार की सीमा बहुत संकुचित हो जाती है। कारण यह है कि सरकार विरोधी दल की आलोचना से बचने के लिये केवल एक 'अपूर्ण' आयव्ययक ही प्रस्तुत कर सकती है तथा शेष को अनुपूरक मांगों के रूप में बाद को रख सकती हैं। अध्यक्ष को हमारे अधिकार की रक्षा के लिये यह विनिर्देश देना चाहिये कि अनुपूरक मांगें साधारण नित्यक्रम की भांति ही नहीं निपटाई जायेंगी तथा सरकार की आलोचना के हमारे अधिकार को संकुचित नहीं किया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानते हैं कि किसी नीति पर सदन का फैसला जानने के लिये सांकेतिक अनुदान को प्रस्तुत किया जा सकता है। अब जहां तक इन अनुदानों का सम्बन्ध है, नीति को पहले से स्वीकार किया जा चुका है। परन्तु सदस्य राशि के बहुत अधिक होने पर आपत्ति कर सकते हैं। सरकार सदन को कारण बता कर संतुष्ट करने का प्रयत्न करेगी। मैं यह विचार सदन के सामने इसलिये रख रहा हूं कि उसे चर्चा करने तथा यह देखने का अवसर दिया जाय कि उस के द्वारा स्वीकृत एक एक पैसा अच्छे प्रशासन के लिये ज़रूरी है। इस से पहले कहीं व्यवस्था की गई है कि नीति को सारे वर्ष के लिये आयव्ययक पर चर्चा के समय निश्चित कर दिया जाता है। बाद में कुछ अतिरिक्त राशि की मांग करते समय नीति के मामलों पर चर्चा नहीं की जा सकती है। अब यदि अतिरिक्त राशि बहुत अधिक है तो सरकार के लिये सदन को इस के कारणों के सम्बन्ध में संतुष्ट करना आवश्यक है। नई सेवा के सम्बन्ध में नीति पर चर्चा की जा सकती है। मैं राशि के अधिक होने के बारे में चर्चा का अवसर देने को तैयार हूं।

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया): विरोधी दल की आपत्ति यह है कि त्रुटिपूर्ण आयव्ययक के कारण ही अनुपूरक मांगों की आवश्यकता पड़ती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सहमत हूं। परन्तु सरकार इस के कारणों की व्याख्या करेगी।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, आप अपने उस विनिर्देश का उल्लेख कर चुके हैं जिस के अनुसार चर्चा को प्राक्कलनों के ब्यौरे तक सीमित रखा जायेगा। आप का यह भी विनिर्देश है कि नीति पर केवल नई सेवा के सम्बन्ध में ही चर्चा की जा सकती है। हम इसे स्वीकार करते हैं सिवाय इस के कि जहां नीति के प्रश्न के उठाने के अभिप्राय हो, इसे उन मदों तक सीमित रखा जाना चाहिये जिन पर सदन का मत प्राप्त करने की इच्छा हो। इस में उस सिद्धान्त का विस्तार भी आ जाता है जिस की आप ने अभी चर्चा की है अर्थात् क्या अनुपूरक मांगों में प्रस्तुत की गई इतनी अधिक राशि को सामान्य आयव्ययक के समय स्वीकार किया जाता है या नहीं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह एक तर्क संगत बात है तथा यदि इसे किसी मांग विशेष के संबंध में उपस्थित किया गया तो हम अवश्य इस का कुछ उत्तर देंगे। और मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इन अनुपूरक मांगों के मामलों में सदैव पूर्व अनुमान करना संभव नहीं है। मानव की पूर्वानुमान की शक्ति की भी कोई सीमा है। यदि राशि कुछ बढ़ जाय तो उस वृद्धि की स्वीकृति के लिये हमें सदन के सामने आना होगा। कुछेक मामलों में आकस्मिकता निधि में से अग्रिम धन लिया जा सकता है। परन्तु इस में भी राशि अधिक हो सकती है कि हमें फिर सदन के सामने

आना पड़ता है। यद्यपि यह अनुपूरक मांगों की तीसरी किस्त है मैं सदन को स्मरण कराना चाहता हूं कि अगस्त-सितम्बर के सत्र में हम ने १०३६ लाख रुपये के कुल व्यय के बारे में अनुदानों की मांग की थी। परन्तु पुनः प्राप्तियों तथा वसूलियों से आठ करोड़ रुपये मिल जाने से हमने केवल २३६लाख रुपये की ही मांग की थी। इसी प्रकार से नवम्बर दिसम्बर के सत्र में १४६६ लाख रुपये के कुल व्यय के लिये अनुपूरक मांगों के लिये कहा गया था जिस में से १३८५ लाख रुपये की पुनः प्राप्तियों का समायोजन कर के व्यय को घटाया गया था। इस से केवल ८१ लाख रुपयों का शुद्ध अतिरिक्त अन्तर ही रह गया था। अतएव सदन से हमने अगस्त–सितम्बर में केवल २·३६ करोड़ रुपये तथा नवम्बर-दिसम्बर में केवल ८१ लाख रुपये ही लिये थे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इन पुनः प्राप्तियों का आयव्ययक के समय पता था या ये आकस्मिक आय के रूप में ही प्राप्त हुई थी।

श्री सी० डी० देशमुख : इन पुनः प्राप्तियों का सम्बन्ध व्यय से है। ये कुछ सौदों के प्रतिकूल तथा अनुकूल अन्तर के फलस्वरूप हुई।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह आकस्मिक आय नहीं है तथा किसी सौदे का ही भाग है तो इन का लाभ नहीं उठाया जा सकता है।

श्री सी० डी० देशमुख : ये सम्बद्ध सौदे हैं। सभी व्यावहारिक प्रयोजनों से हम कह सकते हैं कि अनुपूरक मांगों के आयव्ययक के सम्बन्ध में हम केवल इसी समय कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री एस० एस० मोरे : मैं पूछ सकता हूं कि तीनों अवसरों पर अनुपूरक मांगों के रूप में कुल कितनी राशि की मांग की गई ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह ८० करोड़ रुपये के लगभग आती है।

श्री सी० डी० देशमुख : इन समस्त अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में पूरी कार्यवाही कर चुकने तक हमे निष्कर्ष नहीं निकालने चाहियें।

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : श्रीमान्, जहां तक इस मांग विशेष का सम्बन्ध है, यह-हमारी स्वीकृत नीति है कि डाक तथा तार विभाग, जिसे व्यापारिक आधार पर चलाया जा रहा है विनियोजित धन पर सामान्य राजस्व में अवश्य ही ब्याज दे। ५२६,०० रुपये की यह राशि, जिसे वस्तुओं के मूल्य में जोड़ दिया गया है, बढ़ी हुई दरों के फलस्वरूप मांगनी पड़ी है। दूसरी बात यह है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद वस्तुओं की वस्तुतः जांच पड़ताल की गई थी। उस समय वस्तुओं का मूल्य नहीं लगाया जा सका था, अतएव ब्याज को भी निर्धारित नहीं किया जा सका था, अब जांच पड़ताल के बाद सब गणना की गई है, तथा इसके फलस्वरूप ब्याज की राशि में वृद्धि की गई है। इसे डाक तथा तार विभाग में से सामान्य राजस्व में लिया जायगा। इस में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : श्रीमान्, ब्याज देने के बाद शेष बचे धन के ५० प्रतिशत भाग को भी सामान्य राजस्व में दे दिया गया है। परन्तु हम देखते हैं कि ब्याज की दर को बढ़ा दिया गया है। इसे कब बढ़ाया गया था ?

श्री राज बहादुर : श्रीमान्, सवाल सामान्य राजस्व में वृद्धि का नहीं है। सामान्य राजस्व में से डाक व तार विभाग के पूंजीगत व्यय में अंशदान का अनुमान किया गया है। उस पूंजी पर हमें ब्याज देना है। इस ब्याज की दरों में समय समय पर कमी बेशी हुई है : इसी कारण

[श्री राज बहादुर]

७३,००० रुपये की यह साधारण राशि सामान्य राजस्व में दी जा रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्यतः इस बात का पूर्वानुमान किया जाना चाहिये कि ब्याज का भुगतान किया जाना है तथा आयव्ययक में ब्याज की किसी दर की, जिसे सामान्य राजस्व में से लिये गये ऋण पर देना है, व्यवस्था की जानी चाहिये । हो सकता है कि समय समय पर ब्याज की दर में कुछ वृद्धि हो जिस का आयव्ययक के समय अनुमान न किया जा सके ।

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या समस्त वर्ष के लिये सूद की एक दर नहीं थी । ऐसा बताया गया है कि सूद की दर बढ़ने के कारण सूद ७३,००० रुपये बढ़ गया था । जब एक बार, सूद की दर निश्चित कर दी गई है तो उसी वर्ष में उसे बढ़ा देने का क्या अभिप्राय है, जिस के लिये अनुपूरक मांग आवश्यक है ?

श्री राज बहादुर : सूद की दर में कुछ थोड़ा समायोजन किया गया है, मैं समझता हूं कि ३ १/२ प्रतिशत से ३ ३/४ प्रतिशत किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अमतदेय मद के लिये कटौती प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : जब हम आय-व्ययक बनाते हैं, तो हम वर्ष भर में सरकार के ऋण लेने के लिये औसत सूद की दर रखते हैं । आय-व्ययक बनाते समय अपने पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर हम इसे केवल आयव्ययक वर्ष के लिये ले सकते हैं । उस के पश्चात् आय-व्ययक वर्ष के प्रारम्भ होने के पहले उस वर्ष का कुछ भाग समाप्त होना चाहिये । क्योंकि यह वाणिज्यिक विभाग है, इस लिये हमें उस बीच होने वाली कार्यवाहियों की दृष्टि से समायोजन करना पड़ता है, और ऐसा होता है कि यद्यपि हम ने एक विशिष्ट वर्ष में ऋण लेने के लिये औसत दर ३·२० रखी है, परन्तु अन्तिम रूप से लेखा लेते समय ऐसा पता चलता है कि यह ३·३० है, और यह अन्तर वास्तव में अल्प वृद्धि के कारण की गई पुनर्गणना का परिचय देता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मांग संख्या १० को ले सकते हैं ।

श्री टी०बी० विट्ठल राव : भारतीय डाक तथा तार विभाग में सूद की एक निश्चित दर है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ऐसा समझते हैं ।

श्री टी०बी०विट्ठल राव : माननीय वित्त मन्त्री ने कहा था कि ऋण लेने के लिए जो कुछ दिया जाता है, वह विभाग विशेष द्वारा दिया जाता है जिसे ऋण दिये जाते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई इस की निश्चित प्रणाली नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, कोई निश्चित प्रणाली नहीं है ।

श्री एन० बी० चौधरी (धाटल): मांग संख्या १० के सम्बन्ध में ....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कटौती प्रस्ताव अनियमित है ।

श्री एन० बी० चौधरी : मेरा मतलब यह है कि मूल आयव्ययक में इस का उपबन्ध नहीं किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह एक नवीन सेवा है ।

श्री राज बहादुर : जी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने कहा कि यह मूल मांग में नहीं है, जिस का अर्थ यह है कि सदन को नीति के सम्बन्ध में वाद विवाद करने का अवसर नहीं दिया गया था । यदि मुझे संदेह हुआ है, तो मैं सम्बद्ध पत्रों को प्रस्तुत करने के लिये कहूंगा ।

श्री राज बहादुर : यह मांग संख्या १०-क "अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ जिनीवा के लिय अंशदान" के अधीन था, तथा अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो सलाहकार सिमिति इस मूल निकाय का एक अंग है । हम अन्तर्राष्ट्रीय निकाय के लिय अंशदान दे रहे हैं । इसलिये इस का पिछले आय व्ययक वर्ष में उपबन्ध किया गया है, क्योंकि तब ये विशिष्ट बिल प्रस्तुत नहीं किये गये थे--वे हमारे पास केवल फरवरी में आए हैं--हमें उन की रकम देनी है, नहीं तो हमें बिलों की रकम पर अतिरिक्त सूद देना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह नीति का विषय है जिसे सदन न पहले ही स्वीकार कर लिया है । इसलिये यह कटौती प्रस्ताव अनियमित है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : किन्तु यदि आप स्पष्टीकरण को पढ़ें, तो पता चलेगा कि चालू वर्ष में इस के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह वही संगठन नहीं है जिस के हम सदस्य हैं और जिस के लिये प्रतिवर्ष अंशदान दिये जाते हैं ।

श्री राज बहादुर : मैं माननीय सदस्य से १९५३-५४ के मूल आयव्ययक अनुदान का निर्देश करूंगा । यह २,४०,००० रुपये था । संगठन का नाम अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ था । रेडियो भी दूर-संचार संघ का महत्वपूर्ण अंग है इसलिये रेडियो सलाहकार समिति उस अन्तर्राष्ट्रीय निकाय का एक अंग है । १९५३ में होने वाले सप्तम बृहद सत्र के लिये हम ने मूल आयव्ययक मांग में ५३,५०० रुपये का उपबन्ध किया है ।

यह धन दूसरे खर्चों को पूरा करने में लग गया था । बृहद सत्र के बिल फरवरी में प्राप्त हुए थे, इस लिये यह मांग की गई है ।

अनुपूरक मांग उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये रखी गई और स्वीकृत हुई ।

मांग संख्या १४—रक्षा सेवाएं, क्रियाकारी—वायुसेना

उपाध्यक्ष महोदय न निम्न मांग प्रस्तुत की :

मांग संख्या	शीर्ष	(अनुपूरक) राशि
१४	रक्षा सेवायें, क्रियाकारी—वायुसेना	२,८७,६६,०००रुपया

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : सरकार कहती है कि इस के लिये पूर्ण उपबन्ध नहीं लिया गया था क्योंकि इस के अधिक लम्बे समय के लिये होन की आशा की जाती थी । मैं जानना चाहती हूं कि अब तीन करोड़ रुपये की इस मांग का क्या कारण है, और क्या आकस्मिकता आ गई है ? क्या इसलिये कि हमें तुरन्त नक़द देना पड़ा है अथवा कुछ ऐसे सौदे अथवा क़रार थे, जो हमारी आशा के अनुसार नहीं हो पाये ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : रक्षा संघठन के लिये लगभग १९७ करोड़ रुपय खर्च किये जाते हैं, अब और तीन करोड़ रुपये की मांग की गई है । पिछले वर्ष कहा गया था कि इस के लिये अधिक रुपये की मांग नहीं कीं जायेगी, तो अब ऐसी कौन सी आकस्मिक घटना हो गई है, जिस के लिये इस तीन करोड़ की मांग की गई है ?

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इसे आगामी वर्ष के लिये क्यों नहीं रखा गया? इस के लिये इतनी शीघ्रता क्यों की जा रही है ?

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूं कि हम ये वाययान क्यों खरीद रहे हैं । ऐसा भी कहा जाता है कि हम ने उन का अधिक मूल्य दिया है । इन देशों के उपनिवेश हमारे देश में हैं और उन के सम्बन्ध में मतभेद तीव्रतर होता जा रहा है । जब भी इन विदेशी बस्तियों के सम्बन्ध म कोई झगड़ा होगा तो निश्चय ही गोआ की सीमाओं पर यद्ध होगा । हमारे प्रधान मंत्री ने यद्ध रोको प्रार्थना की है और फ्रांसीसी राष्ट्रीय सभा द्वारा उसका स्वागत किया गया है । मैंने इस मामले में कई बार प्रश्न रखा है । और वह प्रश्न सदन के सामने भी नहीं रखा गया है । जब तक आधारभूत नीति निश्चित नहीं हो जाती है, आप ने आर्डर कैसे दे दिया ?

उपाध्यक्ष महोदय । मुझे खेद है कि मैं इस की अनुमति नहीं दे सकता हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने जो बात उठाई है वह मामले से सम्बद्ध है । दूसरा मामला नीति सम्बन्धी है और उस को अगले वर्ष उठाना चाहिये ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है तो मैं इस की अनुमति नहीं दे सकता।

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : इस वर्ष के प्रारम्भ में वायुयान खरीदने का निर्णय किया गया था। चालू वर्ष का आयव्ययक बनाने के बाद वार्तालाप किया गया और संविदा किया गया था । नये ओरीगन वायुयान खरीदने के लिये जिसे माननीय सदस्य जानते हैं कि हम ने इस वर्ष खरीदा है, वह संविदा २५ जून, १९५३ को अन्तिम रूप में तै किया गया था । उस तिथि से पहले का वास्तविक मूल्य तथा पहुंचने की तिथियों का पता नहीं था । ऐसा सोचा जाता था कि ये वायुयान हमें अगले दो तीन वर्षों में मिल जायेंगे, और इन के मूल्य का भगतान भी दो तीन वर्ष में कर दिया जायगा । अब हम सभी वायुयान इस वर्ष प्राप्त कर सकेंगे । उन में से आधे अथवा कुछ अधिक पहले ही पहुंच चुके हैं और शेष अगले महीने आ रहे हैं। समस्त भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में किया जायेगा । इस लिये इस शीर्ष के अन्तर्गत हम ने अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिये इस राशि की मांग की है । मैं समझता हूं कि इस से श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा उठाई गई बात का स्पष्टीकरण हो जाता है ।

श्री गुरुपादस्वामी द्वारा उठाई गई बात के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री मुझ से सहमत होंगे कि हमने रक्षा आयव्ययक के लिये निश्चित की गई राशि से अधिक मांग नहीं की है । कुछ दूसरे शीर्षों के अन्तर्गत कुछ बचत होगी, और इस विशेष सामान के खरीदने के कारण सारा रक्षा-व्यय नहीं बढ़ेगा । यद्यपि हम इस शीर्ष के अन्तर्गत आयव्ययक से अधिक खर्च कर रहे हैं, इससे यह अभिप्राय नहीं है कि भारत सरकार का रक्षा खर्च बढ़ जायेगा । जहां तक मैं समझता हूं हम अपने स्वीकृत आयव्ययक के अन्दर खर्च कर रहे हैं ।

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती : ठीक है कि यह क़रार १९५३ में किया गया था, और रक़म का भगतान कई किश्तों में करने का विचार किया जाता था । परन्तु क्या वह वार्तालाप

जो चल रहा था, समाप्त हो गया है, अथवा जिन वायुयानों को खरीदने का इरादा किया गया था, उन के अतिरिक्त दूसरे वायुयान खरीदने का संविदा करना पड़ा है। अन्यथा यह खर्च कैसे बढ़ सकता है ?

श्री सतीश चन्द्र : वास्तव में वायुयानों का सम्भरण शीघ्र कर दिया गया है। दो वर्ष की बजाये इसी वित्तीय वर्ष में वायुयान आ जायेंग ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस का मतलब यह है कि पहले निश्चय से अधिक वायुयान खरीदे जा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर दिये गये हैं। परन्तु चालू वर्ष में सारे आर्डर के लिये खर्च का विचार नहीं किया गया था। यदि एक सौ वायुयानों के स्थान पर वह इस वर्ष केवल तीस भेजते हैं, तो उन के लिये उपबन्ध किया जायेगा और आपतकाल के सयम ये सारे वायुयान भी मंगवाये जा सकते हैं। इसलिये इस समय आपतकाल का प्रश्न नहीं उठाना चाहिये।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं माननीय वित्त मंत्री से ज्ञात करना चाहता हूं कि क्या वास्तव में ही रक्षा का खर्च बढ़ गया है अथवा नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि खर्च बढ़ा है तो कोई चीज़ खरीदी गई है ।

श्री सी० डी० देशमुख : केवल वर्तमान स्थिति सम्बन्धी जानकारी ही दी जा सकती है। कुछ दिनों में सदन को पता लग जायेगा कि रक्षा आयव्ययक बढ़ गया है या नहीं ।

श्री जी० एस० सिंह : (भरतपुर-सवाई माधोपुर) : क्या इस अनुपूरक मांग का सम्बन्ध केवल ओरीगोन वायुयान से है अथवा रक्षा मंत्रालय द्वारा खरीदे गये अन्य वायुयानों से, उदाहरण के लिये फायर फलाई से भी है ?

श्री सतीश चन्द्र : फायर फलाई का वायु सेवा से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस मांग का सम्बन्ध केवल वायु सेवा से है न कि नौ सेना से ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : पांडीचेरी में फ्रांसीसी जो कुछ कर रहे हैं उस को ध्यान में रखते हुए क्या फ्रांस सरकार से ये वायुयान खरीदना उचित है ?

इस के पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्या १४ मतदान के लिये रखी गई और स्वीकृत हुई ।

मांग संख्या ३१—स्टाम्प

उपाध्यक्ष महोदय ने निम्न मांग प्रस्तुत की :

मांग संख्या	शीर्ष	अनुपूरक राशि
३१	स्टाम्प	५,३०,००० रुपये

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आयव्ययक बनाने से पहले उन बातों के आधार पर खर्च का विचार नहीं किया गया था जिन्हें कार्यान्वित करने की वास्तव में आवश्यकता थी। यह माना जा सकता है कि लिफाफों तथा कार्डों आदि की मांग बढ़ जाने से इन के लिये काग़ज़ की खपत अधिक हो सकती है। परन्तु उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन क्षतिपूर्ति, बन्द पत्र तथा पुनर्वास अनुदान पत्रों की छपाई के लिये पहले से विचार किया जा सकता था। इसलिए अब उस के लिये अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान की मांग क्यों की गई है, मैं यह प्रश्न रखना चाहती थी।

श्री एन० बी० चौधरी : मेरा भी एक कटौती प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने

[श्री एन० बी० चौधरी]

अपेक्षित बन्द पत्रों के लिये आदेश देने में क्यों विलम्ब किया है ? इस के लिये भारत सरकार को अतिरिक्त उपबन्ध क्यों करना चाहिये ?

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या १९५२-५३ की अपेक्षा १९५३-५४ में अन्तर्देशीय पत्र और पोस्ट कार्ड अधिक बिकेहैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : सरकार कहती है कि मांग पोस्ट कार्ड और अन्तर्देशीय पत्र छापने के लिये है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अतिरिक्त मांग १९५३-५४ से सम्बन्धित है, १९५२–५३ से नहीं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या १९५३-५४ में पोस्ट कार्डों और अन्तर्देशीय पत्रों की छपाई में वृद्धि हुई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आयव्ययक में किये गये उपबन्ध और आयव्ययक में आधिक्य दोनों बातें एक दूसरे से पृथक हैं । इस प्रश्न का उत्तर आयव्ययक के समय दिया जायेगा । माननीय मंत्री द्वारा रखी गई अनुपूरक मांगे अनुमानित खर्च से अधिक हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : प्रैस एक वाणिज्यिक उपक्रम होने के नाते नया काम तभी ले सकता है जब उस से उसे करने को कहा जाता है । मैं प्रैस की ओर से इस बात का उत्तर नहीं दे सकता हूं । कुल १३० करोड़ रुपया अन्तर्ग्रस्त है यदि हम इसे जानते भी होते तो भी अपेक्षित बन्द पत्रों की संख्या ज्ञात नहीं हो सकती थी । यह संख्या उन व्यक्तियों पर निर्भर है जिन को यह बन्द पत्र बांटे जाने हैं । परन्तु हम समझते हैं कि लगभग २० लाख ऐसे व्यक्ति हैं । यदि हम इस नये काम का अनुमान लगा भी सकते, तो भी हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी, जिस के द्वारा हम संख्या सम्बन्धी अनुमान कर सकते ।

इस के पश्चात उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्या ३१ मतदान के लिये रखी गई और स्वीकृत हुई ।

मांग संख्या ३४--मुद्रा

उपाध्यक्ष महोदय ने निम्न मांग प्रस्तुत की :

मांग संख्या	शीर्ष	(अनुपूरक) राशि
३४	मुद्रा	१२,०६,००० रुपये

मांग मतदान के लिये रखी गई और स्वीकृत हुई ।

मांग संख्या ३८--वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय

अध्यक्ष महोदय ने निम्न मांग प्रस्तुत की :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
३८	वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	९,८०,००० रुपये

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यहां पर हम लोग एक नई गवेषणा कार्यक्रम समिति के लिये आयव्ययक में व्यवस्था कर रहे है । यह कहा

गया है कि यह समिति राष्ट्रीय विकास संबंधी सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याओं में गवेषणा और जांच पड़ताल करने की उपयुक्त योजनाओं का प्रबन्ध करेगी। यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के सहयोग से यह समिति कृषि अर्थ व्यवस्था, नौकरी सम्बन्धी समस्याओं, नदी घाटी योजनाओं के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं आदि में एक समन्वित गवेषणा कार्यक्रम को आरम्भ करेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि जब ऐसे कार्यों को करने के लिये हमारे यहां पहले ही से बहुत सी समितियां बनी हुई हैं, तब फिर इस नई समिति की क्या आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस के ज़िम्मे इतना विस्तृत कार्यक्षेत्र रखा गया है कि प्रभावशाली रूप से इस के द्वारा कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकेगा। यह कहा गया है कि पंच वर्षीय योजना में इस की व्यवस्था की गई है। वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। सच तो यह है कि सामान्य उद्देश्यो के हेतु ५० लाख रुपये की एक व्यवस्था की गई है। हमें यह नहीं बताया गया है कि यह समिति किस प्रकार काम करेगी और यह किस प्रकार प्रभावशाली होगी। अतः यह निश्चित करना कि इस मांग को पारित किया जाये या नहीं, असंभव है।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं कार्यक्रमों की निश्चित रूप रेखा जानना चाहूंगा। यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय और उन से संबंधित कुछ व्यक्ति अथवा विश्वविद्यालय के प्राध्याफ्कगण गवेषणा कार्य करेंगे। क्या वे लोग कृषि श्रमिकों या अन्य ऐसे लोगों के सम्बन्ध में जो आज कल नदी घाटी योजनाओं में कार्य कर रहे हैं, गवेषणा करेंगे ? क्या वे कृषकों की दशाओं का भी अध्ययन करेंगे ? इस का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस में यह प्रश्न भी सम्मिलित किया जायेगा कि समाज के विशेष वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस मांग के अधीन मांगे गये धन का अधिकांश भाग गवेषणा कार्यक्रम समिति पर व्यय किया जाना है। योजना आयोग के होते हुए इस समिति की मुझे कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। योजना आयोग एक स्थायी निकाय है और वह योजना बनाने तथा गवेषणा करने के लिये ही बनाया गया है। फिर सरकार उक्त प्रकार की समितियां क्यों बनाना चाहती है ?

यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस समिति से कोई लाभ भी होगा या नहीं। पिछले अनुभव से हम यह जानते हैं कि इस प्रकार की समितियां अपने प्रतिवेदन दे देती हैं, परन्तु सरकार न तो उचित रूप से उन पर विचार ही करती है और न उन पर कोई कार्यवाही की जाती है। दामोदर घाटी निगम जांच समिति के सम्बन्ध में भी यही हुआ था। जब सरकार का यही रुख है तो फिर ऐसी समितियां बनाने की क्या आवश्यकता है ? इस से तो केवल समय, शक्ति और सार्वजनिक धन का अपव्यय ही होता है।

मेरे विचार से इन सब कार्यों के लिये हमारा योजना आयोग पर्याप्त है। उस में बहुत से विशेषज्ञ हैं। यदि फिर भी उसे पथ निर्देश और सहायता की आवश्यकता है, तो ये चीज़ें अन्य अभिकरणों से प्राप्त हो सकती हैं। विश्वविद्यालयों, उन के प्राध्याफ्कों, लोकमत प्रकट करने वाले नेताओं आदि से इस प्रकार की सहायता भली प्रकार प्राप्त हो सकती है। मैं समझता हूं कि ऐसी समितिओं पर होने वाला व्यय सर्वथा अनावश्यक है। मेरे विचार से यह मांग मंजूर नहीं की जानी चाहिये।

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : सर्व प्रथम मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि दामोदर घाटी निगम से संबंधित प्रतिवेदन के विषय में जो आलोचना की गई है, उस का उत्तर मैं अभी नही दूंगा। बाद में उपयुक्त अवसर पर मैं उस का उत्तर दंगा। अभी मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आलोचना अनुचित है।

मैं समझता हूं कि इस विशेष समिति के सम्बन्ध में सदस्यों को कुछ ग़लत फहमी है। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि यह सारा धन इस समिति पर व्यय किया जायेगा। योजना में सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं पर गवेषणा करने के लिये ५० लाख रुपये की एक व्यवस्था है। यह धन उसी गवेषणा पर व्यय किया जायेगा। इस धन का अधिकांश भाग इस समिति पर व्यय नहीं होगा।

कुछ गवेषणा योजनायें हम पहले ही मंजूर कर चुके हैं। उन की सूची मेरे पास है। उसी गवेषणा कार्य को करने के लिये क्रियाकारी प्रबन्ध किये जाने हैं। विभिन्न योजनाओं की देखभाल करने और उन्हें एकसूत्रित करने के लिये योजना आयोग के अपने विभिन्न अंग हैं। गवेषणा एक विशिष्टता प्राप्य विषय है। अतः योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों तथा अन्य लोगों के साथ निर्देशन, एकसूत्रता सिद्धान्तों के निर्धारण, अनुदानों के देने और कार्य के उचित रूप से क्रियान्वित किये जाने की देखभाल करने के लिये एक छोटी सी समिति बनाई है।

इस से पहले यह अनुमान लगाना संभव नहीं था कि काम किस प्रकार का होगा और उस पर कितना धन व्यय होगा। यह कार्य वर्ष के अन्तिम भाग में किया गया था। मंजूर की जा चुकी योजनाओं से संबंधित १२ लाख रुपये के व्यय का एक भाग उसी वर्ष में देना पड़ा था। कुछ योजनायें ये हैं :—

त्रावनकोर कोचीन में बेकारी का सर्वेक्षण।

बम्बई में कृषि सुधारों के सामाजिक और आर्थिक परिणाम।

कोडीनार के कम आय वाले कृषकों के संबंध में जांच।

भाखरा-नांगल के पूंजी विनियोजन और नौकरी के पहलू।

दिल्ली राज्य के छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में जांच पड़ताल।

बम्बई में कृषि सुधार।

पूना नगर में नौकरी और कमाई के बदलते हुए नमूने।

काश्तकारों की भूमियां—कृषि श्रम जांच के आंकड़ों का विश्लेषण।

अलीगढ़ नगर का प्रादेशिक विकास

इलाहबाद नगर का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण।

विशाखापटनम बन्दरगाह का शहरीकरण।

सलेम के छोटे पैमाने के उद्योगों का सर्वेक्षण।

कांकड़ा पारा परियोजना का एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण।

बम्बई का आर्थिक सर्वेक्षण।

बृहत्तर दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण।

भोपाल का प्रादेशिक विकास।

नासिक के छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों तथा दस्तकारियों के सम्बन्ध में गवेषणा परियोजना।

सभी योजनाओं के नाम पढ़ कर मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा। इन में से अधिकांश योजनाओं का थोड़ा बहुत सम्बन्ध ग्राम्य विकास, कृषकों की दशा, बेकारी की समस्या और छोटे पैमाने के उद्यागों के विकास से है।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि काम किस प्रकार है, किसी को भी इस गवेषणा की रूपरेखा के सम्बन्ध में आपत्ति नहीं हो सकती है। इसकी आवश्यकता स्पष्ट है। जबकि हम विकास कार्यक्रमों पर लगभग २००० करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं, तो हम यह चाहते हैं कि उन सबको गवेषणा के लाभ प्राप्त हों, ताकि हम धन का प्रभावशाली रूप से उपयोग कर सकें। योजना में प्रशासन के सुधार, भविष्य में विकास के लिये और अच्छे आधार बनाने आदि के सम्बन्ध में बहुत सी सिफारिशें हैं और इन कार्यों के लिये हमें अपने वर्त्तमान ज्ञान की अपेक्षा और अच्छे ज्ञान की आवश्यकता है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी सामाजिक, आर्थिक, एवं प्रशासनिक समस्याओं की गवेषणा और जांच पड़ताल की योजना के सम्बन्ध में बहुत से क्षेत्रों में पर्याप्त आंकड़ों का अभाव है और इसीलिये योजनायें बन नहीं पाती हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि इसी कारण विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से विकास की चुनी हुई समस्याओं के सम्बन्ध में विशेष जांच पड़ताल करवाने का विचार है। इस प्रकार आप देखेंगे कि विश्व विद्यालयों और उनके प्राध्यापकों को, जो कि इस क्षेत्र में पहले ही काम कर रहे हैं ऐसी सुविधायें देना है जो उन्हें प्राप्त नहीं हैं, और इस प्रकार यह अधिक काम करवाना है। वास्तव में यह एक नई और बड़ी समिति के बनाने का सवाल नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह समिति तीसरे वर्ष के अन्त में क्यों बनाई गई, आरम्भ में ही क्यों नहीं बनाई गई थी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं यह जानना चाहती हूं कि यह समिति किस काम के लिये है? क्या यह सरकारी अथवा दूसरे वर्तमान संगठनों की कार्यवाहियों में एकसूत्रता लाने के लिये है? क्या इसमें केवल योजना आयोग की नीतियों और आवश्यकताओं पर चर्चा की जायेगी?

श्री नन्दा : योजना की मांगों के अनुकूल गवेषणा कार्य के लिये योजना आयोग ने कुछ निदेश दिये हैं। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले कालिजों, विश्वविद्यालयों, व्यक्तिगत अर्थशास्त्रियों और संस्थाओं से योजनायें आमंत्रित की जाती हैं। और उसके बाद इन योजनाओं पर विचार किया जाता है और यदि किसी पथ निर्देश या धन की आवश्यकता होती है, तो वह दिया जाता है। वर्तमान संस्थायें ही गवेषणा का कार्य करेंगी और यदि किसी मद विशेष के सम्बन्ध गवेषणा की कोई व्यवस्था नहीं है, तो निस्सन्देह योजना आयोग इस समिति के द्वारा, उसकी व्यवस्था कर सकता है।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि इस समिति के बन जाने पर सरकार कोई सिंचाई कर या अन्य कोई कर लगाने का प्रयत्न नहीं करेगी?

श्री नन्दा : ये प्रशासनिक समस्यायें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहां पर कैसे उठता है?

श्री एन० बी० चौधरी : तो फिर इस गवेषणा से लाभ क्या है? जब तक कि हम

[श्री एन० बी० चौधरी]

किसानों तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों की वर्तमान स्थिति को नहीं जानेंगे तब तक भविष्य में होने वाले प्रभावों को कैसे निश्चित कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे लोग वर्तमान अवस्था का अध्ययन करेंगे और उसी के आधार पर भविष्य का संकेत करेंगे ।

क्या मंत्री महोदय को कुछ और कहना है ?

श्री नन्दा : मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह मेरे कारण अपनी बात को समाप्त न करें ।

पिछले आयव्ययक से पूर्व यह प्रथा रही है कि जब कोई नई सेवा आरम्भ करने का विचार होता है, तो स्थायी वित्त समिति की बैठक होती थी । परन्तु अब स्थायी वित्त समिति नहीं है । अब तो सारा संसद् ही इस विषय पर विचार कर रहा है । भविष्य के लिये मैं यह अनुरोध करूंगा कि नई सेवाओं के सम्बन्ध में ज्ञापन के साथ और अधिक विवरण दिये जायें, उसी प्रकार जैसे कि स्थायी वित्त समिति को दिये जाते थे ।

यह कहा गया है कि यह समिति बन चुकी है । यह कब बनी थी ? गवेषणा कार्य किस प्रकार किया जायेगा ? कितनी समितियां हैं ? कितना धन व्यय होगा ? जब एक बार संसद् किसी नई सेवा के सम्बन्ध में किसी परिणाम पर पहुंच जाती है, तो फिर अगले वर्ष उसकी नीति पर विचार नहीं किया जा जा सकता है । केवल व्यय की जाने वाली राशि पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि वह सेवा आरम्भ हो चुकी होती है और सिद्धान्त भी स्वीकृत हो चुका होता है । अतः नये उपशीर्षकों के सम्बन्ध में मैं यह चाहूंगा कि सदन को और अधिक विवरण दिये जायें ताकि सदन न केवल इस वर्ष के लिये बल्कि आगामी वर्षों के लिये भी सम्पूर्ण अपेक्षित राशि के गुणावगुण पर विचार कर सके ।

श्री सी० डी० देशमुख : इसका अर्थ तो यह हुआ कि हम इस परिणाम पर पहुंचे थे कि यह एक नई सेवा थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : नया उपशीर्ष । माननीय मंत्री पृष्ठ ८ पर देख सकते हैं । यह मेरा निर्वचन नहीं है ।

श्री सी० डी० देशमुख : नया उपशीर्ष है, नई सेवा नहीं है । "नई सेवा" शब्द का विशेष महत्व है.....नीति में कुछ परिवर्तन । श्रीमान्, मैं केवल यह बता रहा हूं कि हमने क्या दृष्टिकोण लिया था । मैं आपके विचारों को चुनौती नहीं दे रहा हूं, बल्कि आत्म रक्षा की दृष्टि से कहा रहा हूं । हमारा यह विचार था कि यह एक नई सेवा नहीं थी क्योंकि सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याओं के सम्बन्ध में गवेषणा करना सरकार के सामान्य कर्तव्यों का एक अंग है । हमारे यहां आजकल विभिन्न सांख्यकीय समितियां है । अतः हमने सोचा कि यह अपने गवेषणा कार्यों का एक नया रूप देने के समान है । हमने यह सोचा कि एतदर्थ आधार पर गवेषणा करने के बजाय यदि हम इस दिशा में होने वाली कार्यवाहियों में एकसूत्रता लाने और उनका पथ निर्देश करने के लिये एक समिति बनायें तो अधिक अच्छा होगा ।

इसकी विशेषता यह थी कि विश्वविद्यालयों तथा अन्य उसी प्रकार के निकायों को गवेषणा कार्य में सम्मिलित किया जाना था । पहले सरकार विश्वविद्यालयों और अर्थशास्त्रीय विभागों को गवेषणा कार्य में सम्मिलित नहीं करती थी । हमने इस बात की कमी अनुभव की और यह गवेषणा कार्य-

क्रम समिति उसी विचार को क्रियान्वित करने के लिये बनाई गई है अर्थात् विभिन्न विश्वविद्यालयों का सहयोग आमंत्रित करने के लिये ।

इसमें देश के लगभग सभी प्रमुख अर्थशास्त्री और अंकशास्त्री हैं, और उनका विश्वविद्यालयों से सम्पर्क रहा है । उन्होंने अपने बताये हुए विषयों पर गवेषणा योजनायें आमंत्रित की थीं । इन योजनाओं पर भली प्रकार विचार किया गया है । प्रत्येक योजना में कदाचित् १८,००० रुपये, २०,००० रुपये, २५,००० रुपये आदि का व्यय अन्तर्ग्रस्त था । अतः यह गवेषणा सारे देश में हो रही है और यह मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों द्वारा की जा रही है ।

गवेषणा समिति की जो दो बैठकें हो चुकी हैं, उनके तुरन्त बाद ही हमने दो प्रेस विज्ञप्तियां जारी की हैं---एक अगस्त १९५३ में और दूसरी दिसम्बर, १९५३ में । परन्तु अब यदि आप निर्णय करते हैं, कि यह एक नई सेवा है, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे । हम जो इस परिणाम पर पहुंचे थे कि यह एक नई सेवा नहीं थी, उसके फलस्वरूप जो हानि हो चुकी है, उसको तो हम नहीं मिटा सकते ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस सम्बन्ध में हम आपका विनिर्देश चाहते हैं । निश्चय ही हम गवेषणा के पक्ष में हैं, परन्तु उसे किस प्रकार किया जाये ? हम समझते हैं कि यह विषय नीति के अन्तर्गत नहीं आता है । हमें इतना व्यापक निर्वचन नहीं करना चाहिये । हमको और सूचना मिलनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने जो कुछ कहा उसका यह अर्थ नहीं था कि जो कुछ सरकार कर चुकी है, उसके सम्बन्ध में मैं कोई निर्णय करना चाहता हूं । योजना में ५० लाख रुपये की व्यवस्था है । परन्तु प्रत्येक उस अवसर पर जबकि सरकार संसद् से कोई निश्चित राशि मंजूर करने के लिये कहती है, तो संसद् का कोई भी सदस्य यह कह सकता है कि उस धन का व्यय उस ढंग से नहीं होना चाहिये बल्कि किसी और ढंग से हो । अब जबकि दो लाख रुपये मांगे गये हैं, माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि गवेषणा का यह तरीक़ा ठीक नहीं है, और वे इस सम्बन्ध में अपने सुझाव दे सकते हैं । ऐसी परिस्थितियों में जब भी कभी कोई उचित सन्देह हो, तो उसके ऊपर संसद् का नियंत्रण समझा जाये । हो सकता है कि वह एक नई सेवा या नया उपशीर्ष न हो, वह पहले से ही हो, परन्तु यदि संसद् कोई प्रश्न उठाना चाहती है, तो वह ऐसा केवल तभी कर सकती है, जबकि उस प्रयोजन विशेष के लिये धन दिया जा रहा हो । अतः उन्हें और अधिक जानकारी मिलनी चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये किन्हीं भी दृष्टिकोणों के प्रति मैं शंकाशील नहीं हूं, किन्तु मैं यह स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि इस समिति का मुख्य कार्य, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं के सहकार में कृषि अर्थशास्त्र, रोज़गारी की समस्याओं, नदी घाटी परियोजनाओं के आर्थिक तथा सामाजिक पहलुओं, विभिन्न दिशाओं में विनियोजन तथा उत्पादन के मध्य सम्बन्धों तथा योजना आयोग की रुचि के अन्य सम्बद्ध विषयों पर विचार करना है । यह समस्त राशि १५,००० या २०,००० रुपये के छोटे-छोटे अनुदानों से मिल कर बनी है । यदि विश्वविद्यालयों को ये अनुदान पृथक् रूप से दिए जाते तो उसमें अंतर यह होता कि तब आर्थिक शोध के विकास का एक विस्तृत प्रयत्न वृहत् आधार पर नहीं किया जा सकता था । इस १२ लाख रुपए के अनुदान में अनेक विश्व विद्यालय सम्मिलित हैं तथा उनका प्रत्येक योजना की, अनुदान देने से पूर्व, इस समिति द्वारा जांच की जाती है । हमने केवल यह ब्यौरा नहीं

[श्री सी० डी० देशमुख]

दिया है कि किन-किन विश्वविद्यालयों ने अपनी योजनाएं भेजी हैं और किन-किन से जांच के पश्चात् शोध कार्य हाथ में लेने को कहा जाएगा।

मांग संख्या ३८, ४०, ४५ तथा ४७ उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये रखी गयीं तथा सदन द्वारा स्वीकृत हुईं।

मांग संख्या ४८

उपाध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित मांग प्रस्तुत की।

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
४८	स्वास्थ्य मंत्रालय	२१,००० रु०

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक उप-सचिव तथा एक अवर-सचिव की नियुक्ति की आवश्यकता क्यों हुई। अभी तक यह मंत्रालय उतने ही व्यक्तियों से संतोषजनक रूप से कार्य करता चला आ रहा है। तब इन दोनों नियुक्तियों का क्या कारण है ? यदि इस मंत्रालय का कार्य बढ़ गया हो, तब तो हमें इस अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति देने में तनिक भी झिझक नहीं हो सकती, किन्तु हमें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य में कोई प्रगति दिखलाई नहीं देती तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य के सुधार में इसने कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि और अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति किस लिये की जा रही है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मांग केवल २१,००० रु० की है जो कोई बड़ी राशि नहीं है। किन्तु इस बात को देखते हुए कि स्वास्थ्य मंत्रालय को सामान्य आयव्ययक में से सबसे कम राशि आवंटित की गयी है, हम चाहते हैं कि जो भी ख़र्चा इस मंत्रालय के सम्बन्ध में हो वह उप-सचिवों तथा अवर-सचिवों पर न होकर अस्पतालों पर, अधिक डाक्टरों की व्यवस्था पर तथा जनता को अधिक मात्रा में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने आदि मदों पर हो।

फिर, ६००० रु० की राशि 'भत्ते मानदेय आदि' के लिए अपेक्षित की गयी है। मैं जानना चाहती हूं कि यह भत्ते और मानदेय किस कार्य के लिए ह तथा किस आधार पर यह पारिश्रमिक दिया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): अगस्त १९४९ के अंत तक मेरे मंत्रालय में उप-सचिव के दो स्थान थे। किन्तु उस समय मितव्ययता की दृष्टि में इनसे एक स्थान को पुनर्नवीकृत नहीं किया गया। परन्तु केवल एक उप-सचिव तथा एक अवर-सचिव से मुझे काम चलाना बड़ा कठिन हो गया। जब कभी सचिव अथवा उप-सचिव छुट्टी पर होते थ, तो मेरी सहायता के लिए कोई नहीं रह जाता था। उस समय इस बात का ज़िक्र मैंने वित्त मंत्रालय से कर दिया था। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय का कार्य इस कदर बढ़ गया है कि मेरे लिए अब काम चलाना असम्भव हो गया है। मैंने प्रत्येक बात की चर्चा वित्त मंत्रालय तथा कर्मचारी जांच समिति से की थी तथा इस मंत्रालय के अत्यधिक बढ़े हुए कार्य को देखते हुए यह स्वीकृति मिल गयी।

मंत्रालय के अधिकारियों को प्रत्येक दिन शनिवार और रविवार तक को भी—साढ़े सात बजे तक काम करना पड़ता है। हमारे पास अब विशेष योजनाएं है : स्वास्थ्य कार्य-

कर्त्ताओं का प्रशिक्षण, सामुदायिक प्रियोजनाएं, फोर्ड फाउन्डेशन केन्द्र, अखिल भारतीय स्वास्थ्य परिषद् जो हाल ही में स्थापित की गयी है तथा अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था । इनके अतिरिक्त परिवार आयोजन, सरकारी कर्मचारियों की चिकित्सा सम्बन्धी योजना आदि कितनी ही अन्य योजनाएं हैं। कार्य में इतनी वृद्धि हो जाने के कारण ही मैंने अतिरिक्त नियुक्तियों का निवेदन किया है । मेरा निवेदन है कि यह राशि अत्यन्त आवश्यक है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्या ४८ मतदान के लिये रखी गई तथा सदन द्वारा स्वीकृत हुई ।

मांग संख्या ५५

उपाध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित मांग प्रस्तुत की :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
५५	पुलिस	२२,५०,०००

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस मांग के अंतर्गत जो स्पष्टीकरण टिप्पणी दी गयी है वह पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है । मुझे मालूम हुआ है कि भारत की उत्तरी सीमाएं इस समय सुरक्षित नहीं हैं । इन क्षेत्रों में विदेशियों का बराबर आना हो रहा है और ये लोग वहां भारत के विरुद्ध प्रचार करते हैं । यदि अतिरिक्त पुलिस की इस कारण से आवश्यकता हुई, तब तो ठीक है; अन्यथा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पुलिस पर अतिरिक्त व्यय क्यों आवश्यक हो गया ।

जहां तक हमारी सुरक्षा का प्रश्न है, मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से हमारी सीमाओं में विदेशी खतरे का प्रतिकार करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने में ढील रही है । इस मामले में हमें अपने सीमावर्ती देशों जैसे नैपाल, भूटान आदि से परामर्श के साथ समुचित कार्यवाही करनी चाहिए ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जानना चाहती हूं कि मई १९५३ से अब तक के बीच ऐसी क्या परिस्थितियां एकाएक उपस्थित हो गयीं कि २२,५०,००० रु० की वृहद राशि की मांग की जा रही है ? ये परिस्थितियां पहले क्यों नहीं देखी जा सकीं ?

श्री भक्त दर्शन : (जिला गढ़वाल—पूर्व व जिला मुरादाबाद—उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में दो एक वाक्य कहना है । अभी श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने यह शंका प्रकट की कि यह जो पुलिस रखी जा रही है यह अनावश्यक है । मैं सीमावर्ती प्रदेश का रहने वाला होने के नाते जानता हूं कि इस पुलिस के न होने से वहां कितना आतंक था । जब से पुलिस वहां नियुक्त की गई है तब से वहां की जनता में सन्तोष और धैर्य पैदा हो गया है । मैं एक ही उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूं कि इस साल टेहरी गढ़वाल की नीलंग घाटी के व्यापारी इस भय से पश्चिमी तिब्बत को नहीं गये कि वहां वे लूट लिये जायेंगे । इस तरह की घटनायें वहां आये दिन हुआ करती हैं । और मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इस पुलिस की वजह से सीमावर्ती प्रदेश की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है । मैं तो आगे बढ़ कर अपने मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस के लिये अगले वर्ष और भी अधिक रुपया रखने की कृपा करें और यह प्रबन्ध कुछ वर्षों के लिये वहां पर स्थायी हो जाना चाहिये । इस में लिखा है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन तीन प्रान्तों के लिये

[श्री भक्त दर्शन]

२२,५०,००० रुपया स्वीकृत किया जाय । क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस में से प्रत्येक प्रान्त का कितना हिस्सा है और वह किन किन मदों में खर्च किया जा रहा है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : इन भाषणों के कारण मेरा काम बहुत सुलभ हो गया है । पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने परिस्थिति की आवश्यकता का यथार्थ वर्णन किया । इस बात की बारीकी में तो मैं नहीं जा सकता और न सदन भी मुझ से यह अपेक्षा रखेगा । भारत की सुरक्षितता तथा अविभाज्यता के विषय में हम अत्यधिक सतर्क हैं--फिर खतरा चाहे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण तथा पूर्व किसी दिशा से पैदा हो । अब तो पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान तक हमारी सीमायें फैली हुई हैं और हमें अत्यन्त सावधानी से काम लेना चाहिये । हमारी अपनी सेना तो है ही और राज्य सरकारों द्वारा संधारित सशस्त्र पुलिस भी है । राज्य सरकारों ने स्वाभाविकतः यह कहा कि यद्यपि प्रविधिक रूप में सीमाओं की सुरक्षितता उन की जिम्मेवारी है, फिर भी यह उचित होगा कि सीमा चौकियां, भारतीय नागरिकों का संरक्षण आदि बातों का अतिरिक्त बोझ उनके कन्धों से उठा लिया जाय । अतः हम ने इन बातों के बारे में उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यों से ब्यौरेवार बातचीत की और उस के परिणामस्वरूप ये आंकड़े निकले हैं । मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यदि अगले वर्ष यह राशि अपर्याप्त पाई गई तो संसद् को अधिक राशि मंजूर करने के लिये कहा जायेगा क्योंकि वास्तव में यह कोई दलगत प्रश्न नहीं है । हम सब की एक राय है कि सुरक्षा की भरसक कोशिश की जानी चाहिये ।

एक माननीय मित्र ने कहा कि यह राशि अत्यल्प है और दूसरे माननीय मित्र ने कहा कि वह अत्यधिक है । अतः मैं समझता हूं कि सुवर्ण मध्य के नाते सदन को इस मांग की अनुमति दे देनी चाहिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या हम हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश की अलग अलग राशियां जान सकते हैं ?

डा० काटजू : आंकड़े इस प्रकार हैं :- उत्तर प्रदेश में १८ लाख रुपये, पंजाब में ४ लाख रुपये और हिमाचल प्रदेश में लगभग २ लाख रुपये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्या ५५ मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई ।

मांग संख्या ६१

उपाध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित मांग प्रस्तुत की :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
६१	विद्युत तथा सिंचाई मंत्रालय	४७५००० रु०

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के अध्यक्ष से यह प्रार्थना की है कि इस बाबत वे अपनी बैठकें भारत या पाकिस्तान में बुलाया करें ? अन्यथा हमारा खर्च बहुत बढ़ जाता है । इस काम के लिये विशेष आयुक्त पदेन विशेष सचिव तथा उच्च वेतन पाने वाले अन्य अधिकारी रखने की मंजूरी दी गई है । क्या इस व्यय से बचने के लिये भारत अथवा पाकिस्तान में बैठकें बुलाई जाने की प्रार्थना नहीं की जा सकती है ?

दूसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान सरकार सिंधु नदी के पानी का उपयोग करने

के लिये कोई योजना बना रही है और क्या उस के लिये भी अमरीकी सरकार उस को सहायता दे रही है ? क्या उस योजना का प्रभाव हमारी इस योजना पर नहीं पड़ेगा ? मैं इन दो बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल—पश्चिम कटक) : नहरी पानी के विवाद सम्बन्धी जो व्यय बताया गया है उस के अन्तर्गत कौन कौन अधिकारी वहां गये हैं इस का हमें पता नहीं है । अमरीका में चाहे जितने लघुलिपिक प्राप्त हो सकते हैं फिर यहां से दो लघुलिपिक लिये जाने की क्या आवश्यकता थी ?

दामोदर घाटी समिति तथा महानदी रेल एवं सड़क पुल समिति के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि इन का उल्लेख १९५३-५४ के आयव्ययक में क्यों नहीं है और इन के प्रतिवेदन अभी सदन पटल पर क्यों नहीं रखे गये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं भी यह जानकारी चाहता हूं । विशेष आयुक्त का एक पद बनाया गया है जिस के लिये १५,००० रु० की मांग है और पदेन विशेष सचिव का एक पद है जिस के लिये २२,००० रु० की मांग है । इन दो सज्जनों के कृत्य क्या हैं ? इसी प्रकार एक्जिक्यूटिव एंजिनीयर तथा विशेष सचिव के निजी सचिव के भी पद बताये गये हैं ।

श्री नन्दा : मैं वस्तुस्थिति के बारे में कुछ गलतफहमियां दूर करना चाहता हूं । कार्य का स्वरूप गोपनीय होने के कारण हमारे अपने लघुलिपिकों का लिया जाना आवश्यक था ।

हमने सम्मेलन भारत में बुलाने की भरसक कोशिश की । किन्तु वह असफल रही । अन्तर्राष्ट्रीय बैंक इस के विपक्ष में था। यदि हम इस बात पर अड़ जाते तो सारी बातचीत ही भंग हो जाती । अतः हमें झुकना पड़ा । सम्मेलन दीर्घ काल तक चलता रहा और इसलिये हमारा खर्च बढ़ गया ।

अब रही अधिकारियों की बात । दोनों देशों से गुजरने वाली नदियों के पानी के उपयोग के बारे में हमारे तथा पाकिस्तान के बीच कुछ समझौते हुए हैं । इन के बारे में कई विवाद खड़े हुए । अतः इन समझौतों की शर्तों के पालन का निरीक्षण करने के लिये प्रत्येक देश ने एक विशेष आयुक्त नियुक्त किया है और वे दोनों परस्पर सहयोग से छोटे छोटे विवादों को निपटा लेते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह विशेष आयुक्त इंजिनीयर हैं ?

श्री नन्दा : जी हां, वे उच्च श्रेणी के इंजिनीयर हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : १५,००० रु० कितने समय के लिये ?

श्री नन्दा : वह आयव्ययक वर्ष के लिए है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रतिमास का व्यय है ?

श्री नन्दा : वे अपना सामान्य वेतन ले रहे हैं । वे हमारे साथ काम कर रहे थे और उन्हें वहां काम करने के लिये भेजा गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उन को इस काम के लिये विशेष रूप से नियुक्त नहीं किया है तो फिर उन का उल्लेख यहां क्यों किया गया है ?

श्री नन्दा : शायद उन्हें पुनर्नियुक्त किया गया हो; मुझे निश्चित जानकारी नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें इसी काम के लिये पुनर्नियुक्त किया गया है ?

श्री नन्दा : जब उन्हें वहां भेजा गया तब तो वे हमारे साथ काम कर रहे थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन का मासिक वेतन क्या है ?

श्री नन्दा : यह मुझे अच्छी तरह नहीं मालूम किन्तु थोड़ी देर में ही यह बात मैं सदन को बतला सकूंगा ।

आप ने विशेष सचिव के बारे में पूछा । वह प्रतिनिधि मण्डल का नेता है तथा उस के लिये यह पदवी निर्धारित की गई है और इसलिये वास्तव में यह कोई नया पद नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : विशेष आयुक्त किस कार्य के लिये नियुक्त किया गया है ?

श्री नन्दा : विशेष आयुक्त यहां भारत में कार्य करेगा । विशेष सचिव का कार्य सम्मेलन के सिलसिले में है और वह प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करेगा । विशेष आयुक्त दोनों देशों के मध्य हुए समझौतों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में काम करेगा । विशेष आयुक्त का वेतन २,००० रु० प्रति मास है, जिस में से पेंशन कटेगी । विशेष सचिव का वेतन ३,७५० रु० है जोकि उन्हें रिटायर होने से पूर्व मिल रहा था, और मैं समझता हूं कि इस में से भी पेंशन कटेगी ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? यदि वाशिंगटन में अभी तक दोनों देशों के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ है, तो मैं जानना चाहता हूं कि समझौते को कार्यान्वित करने के लिये विशेष आयुक्त यहां क्या कर रहा है ?

श्री नन्दा : इस आयोग का कार्य दोनों देशों के मध्य के जल-साधनों के उपयोग के समस्त प्रश्न के सम्बन्ध में है । यह एक बड़ा विशाल प्रश्न है और इस पर समझौता होना हम सभी के लिये बड़ी अच्छी बात होगी । किन्तु यह मौजूदा समझौतों के अधीन पानी के वितरण के सम्बन्ध में है । वर्तमान प्रबन्ध जो भी हों, दोनों पक्षों के मध्य उन प्रबन्धों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में विवाद उठ खड़े होते हैं और इस प्रकार के मामले विशेष आयुक्त के अन्तर्गत आते हैं ।

मैं समझता हूं कि समितियों सम्बन्धी अन्य प्रश्न पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है । समिति को किसी विशेष मामले की जांच के लिये सौंपा जाता है और समिति समझती है कि इसे निर्देशित पदों के अनुसार वह निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं कर सकती तथा अवधि बढ़ाने को कहती है, तो हमें समुचित सीमा तक अवधि में विस्तार करना ही होता है । दामोदर घाटी समिति अत्यन्त महत्वपूर्ण मामलों से सम्बन्धित थी और इसे अधिक समय लगा । ब्यौरे की कई बातों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका और उसे विभिन्न प्रक्रमों पर अवधि-विस्तार दिया गया तथा बाद में उस का उपबन्ध किया गया ।

श्री एन० बी० चौधरी : माननीय मंत्री को इस प्रेस समाचार के सम्बन्ध में क्या कहना है कि पाकिस्तान सिन्धु नदी के पानी को प्रयुक्त करने की एक पृथक योजना बना रहा है ?

श्री नन्दा : प्रेस में तो तरह-तरह के समाचार छपते रहते हैं, माननीय सदस्य को उन पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिये । मैं ने दूसरी योजना के सम्बन्ध में समाचार नहीं देखे हैं । पाकिस्तान इस सम्मेलन का भी सदस्य है तथा इस बातचीत और कार्य-वाही में उस ने भाग लिया है । इसलिये

किसी और के साथ उस की अन्य योजना नहीं हो सकती ।

श्री सारंगधर दास : वे दोनों प्रतिवेदन ?

श्री नन्दा: कुछ कार्यवाही की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही ये दोनों प्रतिवेदन सदन पटल पर रक्खे जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्या ६१ मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई ।

मांग संख्या ९६

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित मांग प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
९६	परिवहन मंत्रालय	१,०६,००० रु०

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: मैं स्टाफ कारों के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाना चाहती हूं । कारों का 'पूलिंग' इसलिये किया गया कि इस से मितव्ययता होगा । प्राक्कलन किया गया था कि 'पूलिंग' के पश्चात् प्रति कार प्रति वर्ष १,८०० रु० का व्यय होगा । लेकिन हम देखते हैं कि मितव्ययता होने के बजाए यह खर्चा और बढ़ गया है और १,८०० रुपये के स्थान पर ३,७०० रु० प्रति कार आया है ।

दूसरे, उप-खंड (२) में जितनी कारों का उपबन्ध मूलत: किया गया था उस से पांच कारें अधिक खरीदी गई हैं और इन पांच का मूल्य है ९६,००० रु० । क्या इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक कार लगभग १९,००० रु० की लागत की है ? मैं माननीय मंत्री जी से उपरोक्त बातों का स्पष्टीकरण चाहूंगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : कारों का खर्चा १,८०० ० आंका गया है किन्तु यह ३,७०० रु० हुआ । मैं नहीं समझता क इस से माननीय सदस्य को इतनी शंका क्यों हुई । अनेक कारें पुरानी हैं तथा उन के रख रखाव पर अधिक खर्चा होता है । यदि माननीय सदस्य खरीदी गई कारों के मूल्यों के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें बतला सकता हूं ।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय के लिये चार कारें खरीदी गईं और एक पुरानी कार बदली गई । इस सब का खर्चा ७६,००० रु० आया । सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के लिये ३,००० रु० की एक पुरानी कार खरीदी गयी । आई० ए० एस० ट्रेनिंग स्कूल की पुरानी कार के स्थान पर नई कार खरीदी गई, जिस का खर्चा ६,००० रु० आया । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की पुरानी कार के स्थान पर नई कार खरीदी गयी जिस का खर्चा २०,००० रु० आया । वैदेशिक कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के लिये पुरानी कार के स्थान पर एक नई कार (जो अभी खरीदी जानी है) २७,५०० रु० ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या पुरानी कारों का कोई मूल्य मिला ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब सवा पांच बज चुके हैं और मैं "मुखबंध" प्रयोग करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शेष मांगें—संख्या ७१, ८६, ९६, १०५, ११३, १२५, १२८, १२९ तथा १३२—मतदान के लिये प्रस्तुत की गयीं तथा स्वीकृत हुईं ।

विनियोग विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने के लिये एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से ३, अनुसूची, नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

पैप्सू में सन् १९५३-५४ के लिए अनुपूरक मांगें

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अनुपूरक मांग संख्या २, ३, ८, १३, १४, १५, २१, ३६, ३७, ३९, ४२, ४३, ४६ और ४८ मतदान के लिये प्रस्तुत की गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ विनियोग विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में व्यय के लिये पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान तथा विनियोग प्राधिकृत करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के व्यय के लिये पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान तथा विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से ३, अनुसूची, नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

अपहृत व्यक्ति (पुनःप्राप्ति तथा प्रत्यर्पण संशोधन) विधेयक

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अपहृत व्यक्ति (पुनःप्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) अधिनियम, १९४९ का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप

में वह राज्य परिषद् द्वारा पारित किया गया, विचार किया जाये ।"

इस विधान का अपना एक इतिहास है और सदन के माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है कि किन परिस्थितियों के कारण हमें समय समय पर इस की अवधि को बढ़ाना पड़ा है । एक वर्ष से कुछ अधिक समय हुआ जब मैं ने इस सदन के समक्ष इस विधेयक का एक संशोधन रखा था और उस सम्बन्ध में हम ने "भारत और पाकिस्तान में अपहृत व्यक्तियों की पुनः प्राप्ति के सम्बन्ध में तथ्य" नामक एक पुस्तिका इस सदन के सदस्यों के उपयोग के लिये बांटी थी । किन्तु अब मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों और इस विधि के अन्तर्गत कार्य करने वाले संघटन के बारे में कुछ कहूंगा और इस देश तथा दूसरे देश से प्रत्यर्पित किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में नवीनतम आंकड़े भी बताऊंगा :

मेरे विचार में इस विषय पर तीन भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया जा सकता है । सब से पहली बात तो निस्सन्देह सिद्धान्त की है । इस के बाद इस के लिये वित्त और इस के प्रशासन का प्रश्न है और अन्त में एक दूसरे के प्रति व्यवहार का प्रश्न है अर्थात् यह जिज्ञासा कि पाकिस्तान इस सम्बन्ध में क्या कर रहा है ।

मैं सब से पहले एक दूसरे के प्रति व्यवहार के प्रश्न के सम्बन्ध में ही कुछ कहूंगा । माननीय सदस्यों को विदित है कि १९४७ की दुःखान्त घटनाओं के पश्चात् भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों में एक करार हुआ था और ३ सितम्बर, १९४७ को एक संयुक्त घोषणा की गई थी जिस में यह कहा गया था कि अपहृत स्त्रियों तथा बच्चों को उन के परिवारों को लौटाना चाहिये और सम्बद्ध सरकारों तथा उन के पदाधिकारियों को इस प्रकार की सभी स्त्रियों और बच्चों की पुनः प्राप्ति के लिये हर प्रयत्न करना चाहिये ।

इस के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने एक स्थायी अध्यादेश जारी कर दिया था और अब उस देश में पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण का कार्य उसी अध्यादेश के अधीन किया जा रहा है । हम इस सदन में समय समय पर इस विषय में विधान बनाते रहे हैं और हम ने कभी स्थायी विधि बनाने के लिये नहीं कहा और प्रति वर्ष या पन्द्रह या सोलह मास पश्चात् जब इस विधि की अवधि समाप्त होने वाली होती है, तो हम संसद् के समक्ष आते हैं जिस से कि इस सदन को इस विषय पर नये सिरे से विचार करने का अवसर मिल सके ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

यह सच है कि हम उन की अपेक्षा कहीं अधिक व्यक्तियों को पुनः प्राप्त कर के प्रत्यर्पित कर सके हैं । मैं यह कहना चाहूंगा कि इस कार्य में, जिस से कि राजनीति का कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह मानवता का प्रश्न है, हमें पाकिस्तान सरकार की ओर से हर प्रकार का सहयोग प्राप्त हुआ है । इस काम में हमारे जो पदाधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए थे उन्होंने सदा ही हमें यह कहा है कि उन्हें दूसरे देश के अपने सहयोगियों से अत्यधिक मित्रभाव और सहयोग प्राप्त हुआ है । उदाहरण के लिये मैं यह बताना चाहता हूं कि १९५२ में पंजाब उच्च न्यायालय में प्रतिकूल निर्णय दे दिये जाने के कारण और इस विधि को संविधान के विपरीत घोषित कर देने के कारण हमें कई मास तक अपने देश में इस पुनः प्राप्ति के कार्य को रोक देना पड़ा था । किन्तु हमारे पाकिस्तानी मि ों ने इस स्थिति से अनुचित लाभ नहीं उठाया ौर इस अवधि में जब कि

[श्री अनिल के चन्दा]

हमारा काम बिल्कुल रुका हुआ था उन्होंने अपना काम बराबर जारी रखा । उन्होंने काफी संख्या में अपहृत व्यक्तियों को पुनः प्राप्त कर के हमें प्रत्यर्पित कर दिया । किन्तु इस में संख्या का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है और मुझे पूरा निश्चय है कि सदन के माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिये कि दूसरी ओर से जितने व्यक्ति प्रत्यर्पित किये जायें उतने ही हमें भी प्रत्यर्पित करने चाहियें । यह मनुष्यों की अदला बदली का प्रश्न नहीं है । यह तो एक विशाल मानव मात्र का प्रश्न है और इसे मानवता के ढंग से ही हल करना चाहिये ।

इसमें धन का भी प्रश्न है । मोटे तौर पर हम गत कई वर्षों में इस प्रत्यर्पण कार्य के लिये लगभग १०,००,००० रुपये व्यय करते रहे हैं । १९५३-५४ में ९,९८,२०० रुपये का आयव्ययक बनाया गया था, इस में ९९,९७० रुपये की वह राशि भी सम्मिलित है जो कि हमने पाकिस्तान में अपने पुनः प्राप्ति संगठन के संधारण पर व्यय की है, कराची में हमारा एक संगठन है; एक लाहोर में है और ढाका में भी काम चलाने के लिये कुछ कर्मचारी हैं । इन तीन संगठनों पर हमारा लगभग एक लाख रुपया व्यय होता है । इस प्रकार भारत में ही पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण के कार्य पर हम इस वर्ष लगभग ९ लाख रुपये व्यय कर चुके हैं । और फिर इस विषय की धन से तुलना नहीं की जा सकती, यह तो सिद्धान्त का प्रश्न है । यदि आप इस सिद्धान्त को मानते हैं कि १९४६ और १९४७ के उन भयानक दिनों में अपहृत स्त्रियों को उन के वास्तविक परिवारों को लौटा देना चाहिये तो हमें इस कार्य पर व्यय हुए धन का विचार नहीं करना चाहिये । परन्तु हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि संसद् इस कार्य के लिये जो धन मंजूर करे उसका बुद्धिमानी से और उचित ढंग से प्रयोग किया जाय । और मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि प्रत्येक व्यय की अच्छी प्रकार पड़ताल की जाती है और इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि एक एक रुपये से अधिक से अधिक लाभ उठाया जाये ।

मैं इस के शासनतंत्र के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूंगा । यह कार्य वैदेशिक कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में किया जाता है क्योंकि इसके सम्बन्ध में निरन्तर एक विदेशी राज्य से बातचीत करनी पड़ती है । मेरे लब्धप्रतिष्ठ सहयोगी निर्माण मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह, जिन्हें कि पंजाब में बहुत समय तक गृह मंत्री रहने के कारण पुनः प्राप्ति कार्य का काफी अनुभव है, इस विभाग के दैनिक प्रशासन कार्य में प्रधान मंत्री की सहायता करते रहे हैं । मंत्रालय में यह सारा कार्य हमारे एक संयुक्त सचिव के नियंत्रण में होता है जिसके अधीन एक उच्च शक्ति वाला पदाधिकारी है । इसी प्रकार पाकिस्तान में उनका उच्च शक्ति वाला पदाधिकारी है । हमारे उच्च शक्ति वाले पदाधिकारी श्री ए० एल० फ्लेचर हैं जो कि पूर्वी पंजाब के एक डिवीजन के आयुक्त हैं और प्रत्येक विवादास्पद प्रश्न का निर्णय करने वाले न्यायाधिकरण में हमारी ओर से पंडित ठाकुर दास सदस्य हैं जो कि पंजाब में एक वरिष्ठतम पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट हैं ।

अब मैं सिद्धान्त के प्रश्न को लेता हूं । मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारे प्रधान मंत्री तथा पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने एक संयुक्त घोषणा की हुई है कि जिन स्त्रियों तथा बच्चों का अपहरण किया गया है उन सब को पुनः प्राप्त करके अपने वास्तविक संरक्षकों को लौटाने का हर संभव प्रयत्न किया जायेगा ।

हम इस करार पर दृढ़ हैं । इसी प्रकार दूसरी सरकार भी इस पर दृढ़ है ।

प्रायः यह आलोचना की गई है कि बहुत समय बीत चुका है, ये भाग्यहीन महिलायें जिन्हें कभी अपहृत किया गया था अब अपने नये घरों में बस चुकी हैं और वे वहां आदर प्राप्त माताओं और पत्नियों आदि के रूप में प्रसन्नतापूर्वक रह रही हैं, उन के जीवन को पुनः अव्यवस्थित क्यों किया जाए ? कम से कम यह तो कहा जाता है कि संभवतः अब तक उन्होंने अपने निर्दयी दुर्भाग्य के साथ समझौता कर लिया है । श्रीमान्, मैं चाहता हूं कि ऐसा ही होता । मेरी इच्छा है कि मैं उन सदस्यों को जो इस प्रकार सोचते हैं, ले जाकर प्रत्यावर्तन शिविर दिखा सकता ।

उनकी मानसिक स्थिति की बात रहने दीजिये, इन लौटाई हुई महिलाओं की शारीरिक स्थिति से भी पता चलेगा कि उन्हें ज़बरदस्ती किन स्थितियों में रखा गया है और गत कुछ वर्षों से वे किस हाल में रही हैं । यदि हम इन भाग्यहीन महिलाओं को लौटाने के लिये भरसक प्रयत्न नहीं करते जो एक भयानक परिस्थिति का शिकार हुई हैं, तो हम मानवता की शिष्ट भावना से वंचित रहेंगे । हम उनके जीवन को पुनः अव्यवस्थित नहीं करना चाहते । भाग्य ने उनके साथ निर्दयतापूर्ण खिलवाड़ किया है । मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हमने कहीं भी इन महिलाओं को ज़बरदस्ती निकाल कर दूसरे देश में नहीं भेजा है । हमने हज़ारों ऐसी महिलाओं को उधर भेजा है और केवल कुछेक ने ही वापिस आने अथवा हमें लिखने या वहां से निकलने का प्रयास किया है । कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में ऐसी स्थिति है कि जो महिलायें वहां भेजी गई हैं उन्हें बच निकलने अथवा बाह्य जगत से पत्र व्यवहार करने के साधन नहीं मिल सकते । यदि ऐसा ही समझ लें यद्यपि यह माना नहीं जा सकता कि ऐसी स्थिति है तो भारत में लाई गई महिलाओं के संबंध में क्या है ? उन में से कितनी महिलाओं ने अपने पुराने घरों में से जहां उन्हें भेजा गया भाग निकलने का प्रयास किया है ? लगभग इस पांच वर्ष की कालावधि में जब से कि यह अधिनियम लागू किया गया है इस प्रकार के बहुत कम मामले हुए हैं ।

इसलिये मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि बात ऐसी नहीं है कि महिलाओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध भेजा जा रहा है । हम केवल ऐसे मामलों में उन्हें उन के परिवारों के पास लौटाने का प्रयास करते हैं, जिन में कोई झगड़ा नहीं है । जहां झगड़े की बात हो मामला न्यायाधिकरण के पास भेजा जाता है जिसमें एक सदस्य हमारी ओर से और एक पाकिस्तान की ओर से होता है । मैं ने पहिले बता दिया है कि न्यायाधिकरण में हमारे सदस्य का नाम पंडित ठाकुर दास है । हम तभी कोई कार्यवाही करते हैं जब दोनों सदस्य सहमत हो कर एक निर्णय देते हैं । यदि उनकी सहमति न हो तो मामला उच्च अधिकारियों को भेजा जाता है जिनकी सिफारिश सरकार को भेजी जाती है । और उस निर्णय के पन्द्रह दिन के बीच उसे सरकार से अपील करने का अधिकार होता है । जहां तक न्यायाधिकरण के कार्य का सम्बन्ध है मुझे खेद है कि मेरे पास इस समय पत्र नहीं है परन्तु मैं अपनी स्मृति अनुसार आंकड़े बताऊंगा . . . . . १९५३ में लगभग १४०० मामले न्यायाधिकरण को भेजे गये थे । न्यायाधिकरण की बैठक लगातार होती है ।

यह कहा गया है कि जिन महिलाओं को लौटाया गया है क्या उनके सम्बन्ध में समाचार मिलते हैं कि वे किस प्रकार का जीवन व्यतीत

[श्री अनिल के० चन्दा]

कर रही हैं, इत्यादि । श्रीमान्, निश्चय ही लौटाने के पश्चात् हमारे लिये उस प्रत्येक मामले का इतिहास जानना और उनके साथ सम्बन्ध रखना सम्भव नहीं । परन्तु हम कुछ कारणों वश यह विश्वास करते हैं कि वे न्यूनाधिक शान्ति जीवन व्यतीत कर रही हैं । अन्यथा जैसा मैं ने कहा सामान्यतः उन की यह इच्छा होनी चाहिए कि वे हम से अथवा अन्य किसी से मिल कर निकलने का प्रयास करें। श्रीमान् अब मैं आपकी अनुज्ञा से एक दो पत्र पढ़कर सुनाना चाहता हूं—मैं उन्हें सदन पटल पर रखने के लिए तैयार हूं—ये पत्र हमारे विभाग को उन महिलाओं की ओर से आये हैं जो लौटाई गई हैं । श्रीमान्, क्या आप की अनुमति है ?

सभापति महोदय : वे पढ़ कर सुना सकते हैं ।

श्री अनिल के० चन्दा : यह एक पत्र ४ अप्रैल १९५२ को हैदराबाद (सिंध) से लिखा गया है उस में लिखा है कि मैं आप के एक गरीब तथा निराश्रय मुस्लिम लड़की के प्रति दया तथा सहानुभूति पूर्ण व्यवहार के लिये बहुत आभारी हूं मुझे यह गलत सूचना दी गई थी कि मेरे सम्बन्धी जीवित नहीं हैं। फिर उसने अपने सम्बन्धियों से मिलने के सम्बन्ध में लिखा है । अन्त में लिखा है कि मानवता के प्रति जो आप की दयापूर्ण भावना है उस के लिये मेरे सम्बन्धी हार्दिक आभार प्रकट करते हैं ; और कि मैं अन्त में फिर आप का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करती हूं कि ईश्वर आप को दीर्घ आयु और शक्ति दे जिस से आप मानव कल्याण का कार्य कर सकें ।

एक और पत्र हिन्दू लड़की की ओर से है जिस को पाकिस्तान ने लौटाया है । यह १४ सितम्बर १९५३ का है और यदि मेरे माननीय मित्र को इस सम्बन्ध में कुछ संदेह होते वे सुगमता से इस का पता लगा सकते हैं। इस में लिखा है कि मैं आप के प्रयत्नों की प्रशंसा किस प्रकार कर सकती हूं जो आप ने उक्त लड़की को ढूंढने में लगाये हैं । मैं ने देखा है कि आप के संघटन का प्रत्येक पदाधिकारी बंधुत्व-भाव से कार्य करता है और पाकिस्तान में रह गई भाग्यहीन बहनों की सहायता करने के लिये उन में वास्तविक उत्साह है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : क्या मैं नाम जान सकता हूं, क्या यह काश्मीरी लड़की है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मेरे पास बहुत पत्र हैं, मैं वे असली पत्र सदन पटल पर रख सकता हूं ।

इन भाग्यहीन व्यक्तियों ने हमारे कार्य की बहुत सराहना की है और जो कुछ हम कर रहे हैं उस के लिये वे आभारी हैं।

फिर सामाजिक चेतना का प्रश्न है और यह कहा जाता है कि हमारा समाज इतना नव द्वेषी है और जो महिलायें अपहरण कर्ताओं के हाथ पड़ चुकी हैं और उन के बच्चे हो चुके हैं उन के पुराने परिवास उन का स्वागत करनें के लिये तैयार नहीं । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि ऐसी बात नहीं है । सामाजिक चेतना में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। और मैं हाल के एक मामले की ओर निर्देश करता हूं। इस का सम्बन्ध निस्सन्देह पश्चिम पाकिस्तान से नहीं है, जिस के सम्बन्ध में यह विधेयक है वरन् वह मामला पूर्वी पाकिस्तान का है। कुछ समय हुआ मुझे कलकत्ता से एक युवक पति का बहुत हृदय द्रावक पत्र मिला है जिस की पत्नी का किसी गांव से अपहरण हुआ था और घटनावश वह ज़िला सिल्हट है जिस में मेरा घर है। वह मामला इतना निर्दय

तापूर्ण था कि पिछली बार प्रधान मंत्री के कराची जाने पर जब कि मैं भी वहां था मैं ने उस अवसर का लाभ उठाया और पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य मंत्री के साथ जो उस समय वहां थे इस विषय पर बात चीत की। उस के बाद हमें पता लगा कि यह अभागी लड़की निरन्तर मारपीट के कारण परिस्थितियों का शिकार हो कर मर गई है। हम ने समझा कि मामला समाप्त हो गया है। परन्तु भाग्यवश हाल में पता चला है कि वह जीवित है और कि वह कोई और लड़की थी जिस के मरने की सूचना मिली थी। और हाल ही में उस ने पाकिस्तान के एक विधि न्यायालय में आकर स्वेच्छा से वक्तव्य दिया है कि मैं ने इस्लाम को अपना लिया है और किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया है और कि नये पति द्वारा एक बच्चा भी हो गया है। फिर मुझे बंगाली युवक का पत्र मिला—जो कि मध्य वर्ग का व्यक्ति है अथवा बहुत से सदस्यों के समान है—उस ने लिखा है कि चाहे जो कुछ भी हो गया है वह इस महिला को बच्चे सहित वापिस लेने के लिये इच्छुक है। उस ने यह भी लिखा है कि मैं न केवल इस आभागी स्त्री के प्रति केवल इस कारण न्याय करना चाहता हूं कि उस ने अपनी इच्छा से अथवा अन्यथा कुछ किया है अथवा कुछ नहीं किया और वह दुर्भाग्य का शिकार हुई है, वरन् मैं बंगाल की हिन्दू जनता को बताना चाहता हूं कि ऐसे मामले में हमें पीड़ित व्यक्ति को आश्रय देना चाहिये। श्रीमान् मुझे इस बात पर गर्व अनुभव होता है कि मुझे इस प्रकार का पत्र एक बंगाली युवक मेरे देशवासी की ओर से मिला है। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि हमारी सामाजिक चेतनाओं में पर्याप्त अन्तर हुआ है। अब यह भय नहीं कि जो महिलायें उन के परिवारों से छीन ली गईं थीं, जब वे वापस आयें तो उन के परिवार उन का उपयुक्त स्वागत न करें। तो भी इस सम्बन्ध में यदि कुछ संदेह तो हो सकता है कि अन्य लड़कों को उन के पुराने परिवारों को न लौटाया जाये।

श्री एस० एस० मोरे : क्या आप ने उस लड़की को लौटा दिया है।

श्री अनिल के० चन्दा : हम उसे अभी तक लौटा नहीं सके।

श्रीमान् मैं इन शब्दों के साथ प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार आरम्भ किया जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि अपहृत व्यक्ति (पुनःप्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) अधिनियम १९४९ का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर जिस रूप में कि वह राज्य परिषद् द्वारा पारित किया गया, विचार किया जाये।"

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं चाहता हूं कि यह कानून शीघ्र से शीघ्र रद्द कर दिया जाये। यह कानून हमारे लिये शर्म की बात है। इस के अनुसार हम स्त्रियोंको भेड़ बकरी समझते हैं जिन्हें किसी भी बाज़ार में और किसी को बेचा जा सकता है। हो सकता है यह कानून १९४९ में ठीक रहा हो किन्तु १९५४ में इसे बनाये रखने की क्या आवश्यकता है। हमारे संविधान के अन्तर्गत हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें हम से नहीं छीना जा सकता है। यदि हम इस देश के नागरिक हैं—नागरिक की परिभाषा अनुच्छद ५ में कर दी गई है—तो हमें कुछ अधिकार भी प्राप्त हैं। आप ऐसा कानून रख रहे हैं जबकि पाकिस्तान में इस प्रकार का कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान ने किसी भी मूल अधिकार को स्वीकार नहीं किया है।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आप किसी भारतीय नागरिक को भारत से

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

निकाल सकते हैं ? यह एक पेचीदा प्रश्न है जिस का उत्तर आसानी से नहीं दिया जा सकता । वर्तमान कानून में अपहृत महिला के अलावा १६ वर्ष से कम आयु के युवकों को भी शामिल कर लिया गया है । यदि इन में से किसी का भी सम्बन्धी पाकिस्तान में रहता है तो उस महिला या युवक को अपहृत समझा जायेगा । इस सम्बन्ध में अलवर की एक महिला की कहानी तो सब को मालूम ही है । वह अलवर में पैदा हुई । उस का पति १९४७ में मर गया । उस ने बाद में एक स्थानीय बनिये से विवाह कर लिया और उस के दो बच्चे भी हो गये । इस प्रकार ६ वर्ष तक साथ साथ रहने के पश्चात् भी दिल्ली की पुलिस उस महिला को जबरदस्ती पकड़ कर जालन्धर ले गई और पाकिस्तान भेज दिया । यह है आप के वर्तमान कानून का नतीजा । क्या आप के विचार में ऐसे ही मामलों के लिये यह कानून बनाया गया है ? इस विशेष कानून में अपहृत व्यक्ति की जो परिभाषा दी हुई है उस के अनुसार हमें भारतीय दंड संहिता को भूल जाना चाहिये । संविधान के अनुच्छेद १९ के अन्तर्गत हर नागरिक को देश के किसी भी भाग में आने जाने की छूट है । वह जहां चाहे आ जा सकता है । फिर इन व्यक्तियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया ? उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान क्यों भेजा गया ? जब वे भारत के नागरिक थे तो उन्हें पाकिस्तानी नागरिक बना कर क्यों भेज दिया गया ? कानूनी दृष्टि से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है ।

अब मैं एक दूसरे पहलू को लेता हूं । अब तक हम पाकिस्तान की सभी मांगों को स्वीकार करते रहे हैं चाहे वे ठीक थीं या गलत । पर पाकिस्तान हमारी एक भी बात मानने से इन्कार करता है । हम हजारों की संख्या में महिलाओं को जमा कर के सीमा से पार भेज देते हैं । लेकिन पाकिस्तान वाले कितनी महिलायें भेजते हैं, मेरे विचार में एक भी नहीं । मैं पूछता हूं कि पाकिस्तानी अधिकारियों के पास जो २००० युवतियां थीं उन को अभी तक वापस क्यों नहीं किया गया है ? मेरे विचार में सितम्बर १९५३ के पश्चात् से कोई भी महिला पाकिस्तान से भारत नहीं लाई गई है ।

अदला बदली के काम के लिये दो या तीन अधिकारियों को छोड़ कर शेष अधिकारी ऐसे हैं जो अवकाश प्राप्त हैं तथा उन के ऊपर लाखों रुपया व्यय किया जा रहा है । मैं पूछता हूं कि क्या इस कार्य के लिये इतने सारे व्यक्तियों का रखना उचित है ? यह व्यक्ति ऐसे हैं जो भलाई करने की बजाय महिलाओं को दुःख पहुंचा रहे हैं ।

आप ने अपहृत व्यक्ति की जो परिभाषा इस कानून में दी है उसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है । माननीय उपमंत्री ने यह स्वीकार किया है कि अधिकरण में एक पाकिस्तानी सदस्य भी होता है जो १०० में से ९९ मामलों में यही राय देता है कि यदि कोई लड़की किसी भी समय मुसलमान रही हो तो उसे अपहृत समझा जाये और पाकिस्तान भेज दिया जाये ।

माननीय उपमंत्री ने इस अधिनियम की धारा ७ के सम्बन्ध में सफाई देने का प्रयत्न किया था । इस धारा में बतलाया गया है कि अपहृत महिला को उस के संबंधी को सौंप दिया जाना चाहिये । यह नहीं बतलाया गया है कि किस सम्बन्धी को सौंप दिया जाना चाहिये । यदि कोई हिन्दू महिला उस के चाचा के लड़के को लौटा दी जाती है तो वह उसे बहन की तरह रखेगा किन्तु

यदि वही महिला मुसलमान है तो उस के चाचा का लड़का उस से शादी भी कर सकता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह बातें धर्म पर निर्भर करती हैं। पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक महिलाएं प्राप्त हों। वह कम से कम चार औरतें तो रखना ही चाहते हैं। वह तो उन से आनन्द लेना चाहते हैं।

अतः मेरा निवेदन है कि इस कानून की अवधि ३१ मई १९५५ तक बढ़ाने की बजाय केवल २८ फरवरी १९५४ तक सीमित रखी जाये। यह कहना तो कभी भी बन्द न होगा कि अभी ऐसे बहुत से व्यक्तियों को प्राप्त करना है, आदि। मैं पूछता हूं कि यह संख्या कब तक समाप्त होगी? हम तो यहां से महिलाएं भेजे चले जाते हैं और पाकिस्तान है कि एक भी महिला को नहीं भेजता। अन्त में, मेरा यही निवेदन है कि इस कानून की अवधि २८ फरवरी, १९५४ तक ही सीमित रखी जाये।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (करनाल): सभापति महोदय, अभी मुझे आनरेबल मेम्बर की स्पीच को सुन कर बड़ा रंज हुआ। ताज्जुब तो नहीं हुआ लेकिन अफसोस ज़रूर हुआ। उन्हों ने बहुत सी बातें कहीं। कुछ तो उन्हों ने अजीब अजीब किस्से तथा कहानियां भी सुनाईं। पता नहीं उन के पास किस किस्म के फिगर्स हैं। कहते हैं कि एक भी औरत रिस्टोर नहीं हुई, रिकवर नहीं हुई। इन चीज़ों का जवाब तो मेरे लिये देना शायद मुनासिब नहीं है क्योंकि मैं जानती हूं कि इन का जवाब आनरेबल मिनिस्टर देंगे और वही मुनासिब जवाब दे भी सकते हैं।

पहली बात तो उसूल की है। औरतों के नाम से, औरतों के प्रति हमदर्दी के नाम से जो बातें हमारे आनरेबल मेम्बर ने कहीं, मुझे उस से बहुत रंज हुआ। जिन औरतों को आप रिकवर करते हैं वे दो साल, तीन साल या चार साल किसी ऐब्डक्टर के पास रहीं। उस के पहले वे अपने बाप के घर में थीं। कोई किसी के घर की मां थी, कोई किसी के घर की बहू थी, कोई किसी के घर की बेटी थी। हमारे आनरेबल मेम्बर कहा कि "इट इज़ ए डिस्ग्रेस" ("यह एक लज्जास्पद बात है")। पर मैं कहना चाहती हूं कि यह वोमनहुड की डिस्ग्रेस नहीं है, यह मैनहुड की डिस्ग्रेस है। कैसे कैसे वाकयात हुए, हमारे मुल्क में और पाकिस्तान के मुल्क में। लोगों के बच्चे मारे गये, घर उजड़ गये, जाति बदली गई उनकी, और इस के साथ औरतों की इज्जत भी तो गई। औरतों के जुलूस निकाले गये, वह बेची गईं, उन की बेइज्जती की गई और वे ऐब्डक्ट की गईं। कुछ लोगों को हम बचा नहीं सके और उन को वहीं छोड़ छोड़ कर हम आ गये। कुछ को तो वहां छोड़ कर आये और बाकी की यहां इज्जत उतार ली। यह दोनों ही मुल्कों में हुआ और आज जब उनको निकालने का सवाल आता है, उन की इज्जत बचाने का सवाल आता है तो लोग वोमनहुड की आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि उन को निकालना बन्द कर दो। कहते हैं कि ऐब्डक्टर के साथ उस का प्रेम हो गया। मुझे याद है कि पिछली बार जब इसी हाउस में इस बिल पर बहस हो रही थी तो एक साहब ने कहा कि अगर मेरी पत्नी चार, पांच साल बाहर रह ले तो ऐसी हालत में मैं उसे फिर अपने पास रखना मंजूर नहीं करूंगा। मैं नहीं जानती कि कितने मर्द ऐसा सोचते हैं, पर एक औरत होने के नाते मैं कहती हूं कि अगर मेरा पति ऐसा सोचे तो मैं ऐसे बुज़दिल और नालायक पति के पास जाने के बजाय अपने को गोली मार लेना ज्यादा पसन्द करूंगी पर ऐब्डक्टर के पास जाना पसन्द नहीं

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

करूंगी । आनरेबल मेम्बर के कहने से ऐसा मालूम होता है कि जो औरत निकाली जाती है वह किसी को देने के लिए ही निकाली जाती है । अगर उस को निकाला जाय तो किसी न किसी को दिया जाना चाहिये । अगर उस का पति वापस न ले तो फिर उस का क्या हो ? वापस बाप के पास जाय या किसी और के पास जाय । किसी न किसी के पास जरूर जाय । और अगर वह जाने से इन्कार कर दे तो फिर उस औरत को अपने ऐब्डक्टर के पास रहना होगा । जो बात है उसे देख कर तो ऐसा मालूम होता है कि रिकवरी बन्द कर देना चाहिये । लेकिन मैं आप से कहती हूं कि एक औरत जिस की नजरों के सामने उस के घर वालों को मारा गया, उस के बच्चों को मारा गया, उस के घर को जलाया गया या उस की बेइज्जती की गई, अगर उस का इस दुनिया में कोई ठिकाना न हो तो क्या ऐब्डक्टर के पास से निकाल कर फिर उसी के पास भेज देना उस औरत के साथ इन्साफ करना होगा ? मैं तो उसूल की बात कहती हूं । एक स्त्री का अपमान हुआ, खैर जो हुआ सो हुआ लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि हमारे समाज पर इस का क्या असर हुआ ? अगर यह रिकवरी का काम बन्द कर दिया जाए तो हमारे समाज के ऊपर इस बात का क्या असर होने वाला है ? आप उन बदकिस्मत औरतों की हालत का अन्दाजा लगाइये जिन को निकाल कर फैमिली में पहुंचाना है । आप इस सवाल को एक समाज के लिहाज से देखिये । हमारे यहां जब बच्चा पैदा होता है तो इस देश में उसी दिन से हम कहने लगते हैं कि तुम सीता की सन्तान हो । तुम राम की सन्तान हो । हमारे देश में लक्ष्मण सिर्फ सीता के चरणों की तरफ देखता था, वह उन के सिर के जेवर भी नहीं पहचान सकता था । आज पार्टीशन के बाद दोनों मुल्कों में क्या हालत हुई है । आज हमारे मुल्क में जिन घरों में यह बद-किस्मत औरतें हैं उन घरों के बच्चे कहेंगे कि यह वह औरत है जिस को मेरा चाचा भगा लाया था, या जिस को मेरा भाई लूट लाया था या यह वह औरत है जिस को मेरे पिता ने बेइज्जत किया है । यह हालत हमारे घरों में है । मैं नहीं समझती कि यह हमारी आगे आने वाली सन्तान के लिये कोई गौरव की बात होगी । सभापति महोदय, यह जो पूरा रिकवरी का आरगेनाइज़ेशन है, इस के नीचे विचार यह है कि हम इन औरतों को यह अधिकार देना चाहते हैं कि उन को इस बात का मौका दिया जाय कि जहां उन की मर्जी हो वह वहां रह सकें । अगर वह ऐबडक्टर के पास रहना चाहती हैं तो उस के पास रहें और अगर वह अपने कुटुम्ब के पास वापस आना चाहती हैं तो उन को उस का मौका दिया जाय । हम लोग सिर्फ यह चाहते हैं कि उस औरत को ऐसा मौका हो कि अगर वह अपने कुटुम्ब के पास वापस आना चाहती है तो उस को इस का मौका हो और अगर वह अपने ऐबडक्टर के पास से निकल कर अपनी जिन्दगी बिताना चाहती है तो उस को उस का मौका मिले । अब यह मौका किन हालात में दिया जाना चाहिये । जहां तक मैं जानती हूं कि यह जो रिकवरी का आरगेनाइज़ेशन है वह उस औरत को सुरक्षित जगह पर रख कर उस को मौका देता है कि वह फैसला करे । जैसा कि अभी मिनिस्टर साहब ने कहा कि उन औरतों को जो कि इधर या उधर पड़ी हैं यह कहा जाता है कि कोई और जगह नहीं है । अगर तुम जाओगी तो कोई तुम को रखेगा नहीं । पाकिस्तान में यह खबर फैलाई जाती है कि हिंदू समाज में ऐसे पुराने ख्यालात हैं कि कोई इन रिकवर की हुई औरतों को अपने घरों में नहीं रखता है । उन के दिल में ऐसे ख्यालात

भर दिये जाते हैं और जब उन को निकाला जाता है तो वह कहती हैं कि हम जाना नहीं चाहतीं । मैं अपना एक्सपीरियेंस आप को बतलाती हूं । इस आरगेनाइज़ेशन के बनने से पहले इत्तिफ़ाक़ से मुझे दो औरतों का इस तरह का अनुभव हुआ । दिल्ली के मजिस्ट्रेट के सामने दो औरतों ने बयान दिया कि अगर हम को ऐबडक्टर के पास से निकाला गया तो हम अपने को गोली मार लेंगी । इत्तिफ़ाक़ से मैं उधर घूम रही थी । मैं ने सुना कि थानेदार कह रहा था कि बयान हो गये हैं, लड़कियां कहती हैं कि अगर हम को निकाला गया तो हम गोली मार लेंगी । मुझे उस वक्त इस आरगेनाइज़ेशन का पता भी नहीं था । इत्तिफ़ाक़ से मेरा उधर ध्यान गया । मैं ने कहा कि किसी औरत के सामने इन का बयान क्यों नहीं लेते हो । तो जब मैं उन से अकेले में मिली तो वह कहने लगीं कि अगर हम को निकाला गया तो हम गोली मार लेंगी । मुसलमानों के सामने उन से पूछा गया तब भी उन्हों ने यही कहा कि हम को निकाला गया तो हम अपने को गोली मार लेंगी । तो मैं ने उन से कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाना चाहतीं । इस पर वह कहने लगीं कि जिन्हों ने हमारी इज्जत नहीं बचाई वह हमारे कुछ नहीं लगते । हम उन के पास नहीं जाना चाहते । तब मैं ने उन से कहा कि तुम अपने घर वालों से मिल लो और मैं वादा करती हूं कि उस के बाद तुम जहां जाना चाहोगी वहां तुम को पहुंचा दिया जायगा । तो मैं उन औरतों को ले कर दरियागंज में गई जहां कि उन के गांव वाले रहते थे । जब वह वहां पहुंची तो उस ने अपने भाई को दूर से देखा और वह गाड़ी में से कूद कर उस के पास पहुंच गई और अपने भाई के गले मिल गई और रोने लगी और सारा बाजार उन को देख कर रोने लगा । तो यह एक साइकालोजी की बात है जोकि मैं आप के सामने रखना चाहती हूं । उन गरीब औरतों को इस का मौका नहीं है कि वह सोच पायें कि उन के लिये कोई और भी जिन्दगी का मौका है । वह नहीं जानतीं कि वह कहां पहुंच सकती हैं और कैसे निकल सकती हैं । हम चाहते हैं कि उन को मौका मिले और अपने घर वालों से मिलने के बाद जहां उन की मर्जी हो वह वहां चली जायें । अगर वह वापस जाना चाहें तो वापस चली जायें और अगर वह अपने घर में रहना चाहें तो अपने घर में रहें और अपने ऐबडक्टर के पास जाना चाहें तो उस के पास जायें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि यह कहा गया कि इस मुहकमे पर बहुत खर्चा होता है । कहा जाता है कि जो जुल्म की शिकार हुई हैं उन को वहां गये बहुत वक्त हो गया है, उन के बच्चे हो गये हैं । तो हम को यह तमाम बातें देखनी हैं । मैं देखती हूं कि हमारे भाई जो सामान या जायदाद पाकिस्तान में छोड़ आये हैं वह आज भी उस का मुआवजा सरकार से मांगते हैं और उस जायदाद को नहीं भूले हैं । तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि हमारे हजारों भाई जिन की लड़कियां वहां रह गई हैं वह उन को कैसे भूल सकते हैं । जिन लोगों ने लड़कियों को भगाया वह लोग वहीं हैं जो कि पाकिस्तान से यहां आये हैं । ऐसा हो सकता है कि उन में से कुछ ने लूटा हो लेकिन ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जोकि पाकिस्तान से आया हो और जिस की बहिन वहां रह गई हो, या जिस की लड़की वहां रह गई हो, या जिस की मां के साथ बुरा सलूक किया गया हो उस ने किसी लड़की को ऐबडक्ट (अपहृत) किया हो । उन के दिल में अपनी लड़कियों की याद है । वह समझते हैं कि आज भी उन की लड़कियां पाकिस्तान में हैं । वह अपनी बहिनों के दर्द को समझते हैं । पर जो फायदा उठाना चाहते हैं वह यहां कहेंगे कि रिकवरी का मुहकमा

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

बन्द कर दिया जाय। जब लोग उन के पास आवेंगे और आ आ कर औरतें उन के पैरों पर गिरेंगी अ र कहेंगी कि हमारी बच्ची रह गई है, हमारी बहिन रह गई है, तो वह लोग कहेंगे कि सरकार से कुछ होता नहीं है। तुम्हारी इज्जत चली गई पर सरकार कुछ करती नहीं है। एक मुहकमा था उस को भी बन्द कर दिया है। तो जो लोग इस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वह ज़रूर इस बात की कोशिश करते हैं और शोर मचाते हैं कि इस चीज़ को बन्द कर दिया जाय। तो मैं आप से कहना चाहती हूं कि हम को यह उसूल मानना होगा कि औरत कोई जानवर नहीं है या फरनीचर की कोई चीज़ नहीं है कि हम ने उस को उठाया, चुराया और बेच दिया। अगर हम इस चीज़ को मानते हैं तो हम को यह समझना होगा कि जिस मुसीबत में वे हैं उस से हम को उन्हें निकालना होगा। मैं मानती हूं कि इस पर बहुत खर्चा हुआ है। बार बार यह बात कही जाती है। हमारी हुकूमत के जितने मुहकमे हैं मैं उन को आदर से देखती हूं और जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वह मुहकमे बेहतर होते जा रहे हैं। फिर भी मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर यह काम किसी दूस मुकदमे के ज़रिये होता तो मुमकिन है कि खर्चा कुछ कम होता पर जो औरतें रिकवर की जातीं उन का यह हाल होता कि किसी की बीवी किसी के पास होती और किसी की बच्ची किसी के पास होती। इस मुहकमे में कोई ऐसा केस नहीं हो सकता और न हुआ है, मैं ने कोई ऐसा केस सुना नहीं कि रिकवर होने के बाद कोई औरत अपने घरवालों के पास न पहुंची हो और इधर से उधर चली गई हो या कहीं बेच दी गई हो जैसा कि आज रात दिन हमारे शहरों में होता है। तो यह जो आरगेनाइज़ेशन है, वह इतना बड़ा काम कर रहा है; और जो हमारी गलतियां हैं उन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। मुझे अफसोस होता है कि लोग औरतों का नाम तो लेते हैं लेकिन इस चीज़ को समझते नहीं हैं। एक औरत अपने घर में लड़की के तौर पर शायद १६ बरस रही, या २० बरस रही या २५ बरस रही। उस के बाद किसी की बहू हो कर रही और किसी की मां भी हो कर रही। और अगर वह ज़बरदस्ती चार बरस तक बदकिस्मती से दूसरी जगह रही तो क्या उस का वह २० या ३० बरस का रिश्ता इस की वजह से खत्म हो जायगा। तो, सभापति महोदय, जब बार बार इस तरह का सवाल उठता है तो मुझे अफसोस होता है। अगर हमारी हुकूमत की तरफ से यह कहा जाय कि हम सैटिसफाइड हैं कि और रिकवरी नहीं हो सकती और वह कहें कि हम सैटिसफाइड हैं कि बावजूद तमाम कोशिशों के और रिकवरी नहीं हो सकती तब तो अलग बात है, नहीं तो बार बार यह बात नहीं आनी चाहिये कि वह बुड्ढी औरतें हैं, उन को बहुत साल हो गये हैं, उन के बच्चे हो गये हैं यह सुन कर मुझे बहुत रंज होता है। और मैं समझती हूं कि बार बार इस सवाल को उठाने से यही नहीं कि इन औरतों के साथ ज्यादती करना है, बल्कि हमारे लिये भी यह कोई क्रेडिट और तारीफ की बात नहीं है कि हम बार बार इस सवाल को उठाते हैं।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहती हूं। हमारे आनरेबिल मेम्बर ने कहा कि हम जितने आदमी इधर से देते हैं उतने उधर से भी मिलने चाहिये, रेसीप्रासिटी (पारस्परिकता) होनी चाहिये। यह भी एक धारणा है। मुझे यह सुन कर ताज्जुब हुआ, लेकिन यह भी एक ख्याल है कि अगर उधर एक मारा गया तो इधर भी

एक मारा जाना चाहिये । उधर सौ मरे हों तो इधर सौ मारे जायें । एक औरत का अपमान हो तो इधर दस का होना चाहिये, यह भी एक स्पिरिट है, मुझे उस से ताज्जुब नहीं हुआ । लेकिन प्रिज़नर्स आफ़ वार (युद्ध के बन्दी) और औरतों के लिये एक जैसा सलूक करना ग़लत बात है । प्रिज़नर्स आफ़ वार हुकूमतों के पास होते हैं । उन के लिये इंटरनेशनल क़ानून होते हैं कि उन को किस तरह से रखा जाय, कैसे उन को संभाला जाय । यह जो अबडक्टैड औरतें हैं, यह हुकूमतों के पास नहीं हैं । यह अलग अलग घरों में हैं । कोई शादी हो कर घरों में बैठी हैं और उन में से कोई इज्जत से बैठी हैं और कोई बेइज्जती से बैठी हैं । कहीं खरीदी भी जाती हैं और बेची भी जाती हैं और रोज रोज़ उन से बुरे बुरे काम भी कराए जाते हैं । मुझे यह कहना है कि अगर पाकिस्तान में औरतों को यह मालूम हो कि हम को निकाल तो लेंगे लेकिन जब तक हिन्दुस्तान नहीं भेजा जायगा, जब तक उन को यह मालूम नहीं होगा कि हम को हिन्दुस्तान भेजा जायगा, तो औरतें वहां से कैसे निकल सकती हैं । अभी उन से कहा जाता है कि तुम को अपने घरों में रखने वाले नहीं हैं, कभी उन से कहा जाता है कि तुम्हारा कोई है ही नहीं । कभी उन से कहा जाता है कि हिन्दू समाज इतने पुराने ख्यालात का है कि तुम को नहीं ले सकता । अगर उन को यह बात मालूम हो कि निकालने के बाद भी पता नहीं कि हम को कहां रखा जायगा, कैसे रखा जायगा, तो हमारे रिकवरी के काम में बहुत परेशानी होगी । हम तो उन को निकाल रहे हैं, हर एक इंडिवीज्युअल केस को देख रहे हैं कि जिस पर अत्याचार हुआ है, जोकि मरज़ी के खिलाफ़ रखी गई हैं । वह कोई वहां लड़ाई के लिये नहीं गई थीं, वह नौकरी पर नहीं थीं, वह अपने घरों में इज्ज़त के साथ बैठी हुई थीं, लेकिन उन पर ज़ुल्म किया गया ।

इसलिये, सभापति जी, मैं आप से अर्ज़ करना चाहती हूं कि इस बिल को सिर्फ़ यही नहीं कि एक्सटेंशन दे दिया जाय, बल्कि इस क़ानून के बारे में मैं कहूंगी कि यह मुनासिब होगा कि कम से कम इस बात पर बहस न हुआ करे कि यह हुआ और वह हुआ । हां, यह हो सकता है कि मुहकमा कैसा होना चाहिये, कोई त्रुटि हो तो वह ठीक होनी चाहिये, कोई खर्चा हो तो अगर कम हो सकता है तो कम होना चाहिये । लेकिन यह काम इतना अच्छा है कि इस को बन्द नहीं किया जाना चाहिये । यही मुझे कहना है ।

श्री बी० सी० दास (गंजमदक्षिण) : मेरा विचार है कि जब कोई व्यक्ति प्रस्तुत विधेयक का समर्थन अथवा विरोध करने के लिये खड़ा हो तो उसे यह याद रखना चाहिये कि नारियां भी मनुष्य हैं, उन का अपना व्यक्तित्व है और वे आदर की पात्र हैं । श्रीमान्, इन अपहरण की घटनाओं को सात वर्ष बीत गये हैं और मुझे आशंका है कि समय बीतने के साथ विधेयक आंशिक रूप में अपनी उपयोगिता खो रहा है । इस का यह अर्थ नहीं है कि मैं विधेयक के उद्देश्य अथवा उस के मानवीयतापूर्ण अभिप्राय में सन्देह करता हूं । हमें मालूम है कि देश में उन दिनों जो तबाही हुई थी उस ने मनुष्यों को पशु बना दिया था । उन्हों ने स्त्रियों के साथ जघन्य कार्य किये । इन स्त्रियों के सौन्दर्य से मुग्ध हो कर उन्हों ने इन का अपहरण नहीं किया, बल्कि उन के हृदय में यह भावना घर कर गई थी कि जिस वर्ग को नेस्तनाबूद करना है उन के स्त्री समाज को लज्जित और अपमानित कर के ऐसा किया जा सकता है । इसलिये हमें अपहरण की इन घटनाओं को साधारण परिस्थिति की घटनाएं नहीं

[श्री बी० सी० दास]

समझना चाहिये । कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं करेगा कि अपहरणकर्ताओं को यह स्त्रियां वापस कर देना चाहिये ।

लेकिन इस का एक पहलू और भी है । सात वर्ष बीत गये हैं । वे स्त्रियां पशु नहीं हैं, मनुष्य हैं । उनका अपना व्यक्तित्व है, उन की संवेदनाएं हैं; एक स्थान पर रहते हुए उन्हें सात वर्ष हो गये हैं । पाशविकता और दानवता से उन का जीवन विषाक्त बन गया है । सात वर्ष की इस अवधि में उन्हों ने बच्चों को जन्म दिया और मैं यह कल्पना नहीं कर सकता कि कोई स्त्री अपने बच्चों को छोड़ कर नये जीवन में प्रवेश करने को तैयार हो । स्त्री के लिये ऐसा करना सरल नहीं है । लेकिन हम ने ऐसे उदाहरण सुने हैं कि स्त्रियां अपने बच्चों को छोड़ कर जा रही हैं । यह सहज सन्देह उत्पन्न करने वाली बात है । ऐसा क्यों हो रहा है ? कदाचित् इन स्त्रियों को अपने विचार और इच्छाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दिया गया । यह उचित है कि इन स्त्रियों को निरापद स्थान में रखना चाहिये । मुझे भय है कि इस कार्य के लिये वर्तमान समय में जो व्यवस्था हुई है वह अपूर्ण है । मुझे याद है कि न्यायाधिकरण में पुलिस के दो सुपरिटेंडेंट रहते हैं, एक पाकिस्तान का है और एक भारत का । वर्षों से सताई गई स्त्रियां उन के सामने उपस्थित होती हैं । वे स्वयं अपना मामला रखती हैं अथवा कोई दूसरा व्यक्ति उन की ओर से मामला रखता है । पुलिसमैन की मानसिक चित्तवृत्ति मानवीय नहीं हो सकती, वे अधिकांश निर्मम होते हैं और कानून से काम करते हैं । मनुष्यता का उन में अभाव रहता है । मेरा सुझाव है कि अधिकरण में कुछ महिला-कार्यकर्ता भी उपस्थित रहने चाहियें । स्त्रियों के समक्ष उक्त दुःखी स्त्रियां अपने मन की बात निःसंकोच और स्पष्ट रूप में कह सकती हैं । पुलिस पदाधिकारियों के सामने उन के लिये कुछ कहना कठिन है । एक स्त्री एक स्थान पर सात वर्षों से रह रही है । यदि वर्तमान पति उस के प्रति अच्छा व्यवहार करता है, उस ने वहां बच्चों को जन्म दिया है और वह चाहती है कि इन बालकों का उसी विशिष्ट वातावरण में पालन-पोषण किया जाय, ऐसी दशा में इस बात की पूरी संभावना है कि वह स्त्री पुनः उस घर में लौट जाना पसन्द करेगी । मुझे मालूम है कि अधिकरण सामान्यतया अपहृत स्त्रियों के अपने मूल घरों में लौट जाने के पक्ष में ही निर्णय करता है । वह अपहरणकर्ता को किसी अवस्था में नहीं लौटाई जातीं । उसे इन दोनों में से एक बात को चुनना है कि या तो वह अपने मूल घर को लौट जाय अथवा वहीं रहे । यदि वह मूल घर को लौटना चाहे तो वह बच्चों को साथ नहीं ले जा सकती । उसे बच्चों को छोड़ना पड़ता है । संभवतः यही हो रहा है । अतः जब बच्चों वाली स्त्री की वापसी का प्रश्न हो तो उचित ध्यान देने की आवश्यकता है । नारी तो सब से पहले माता है । हमें यह कभी विस्मरण नहीं करना चाहिये कि माता कभी अपने बच्चों को छोड़ना पसन्द नहीं करेगी । यदि कोई माता यह कहती है कि वह अपनी सन्तान को छोड़ने को तैयार है तो अवश्य ही वहां कोई गलती है । उस स्त्री के साथ मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिये । इस कार्य के लिये पुलिस पदाधिकारी उचित व्यक्ति नहीं हैं । इस के लिये सामाजिक कार्यकर्ताओं अथवा ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत है जो नारी की मानसिक दशा से परिचित हों । विधेयक में इस आशय का संशोधन किया जाना चाहिये कि ऐसे गैर सरकारी पदाधिकारी, जो वस्तुतः जन सेवा का कार्य कर रहे हों, इन स्त्रियों को पुनः प्राप्त करने

और लौटाने के इस काम में लगाये जायें। इस शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वी० जी० देशपांडे: इस विधेयक पर हमारे उपमंत्री महोदय ने बड़ा मानवता-पूर्ण दृष्टिकोण अपना कर विवेचन किया है और मेरी बहिन श्रीमती सुभद्रा जोशी ने सीता का आदर्श अपने और जनता के सामने रखने की दृष्टि से इस विषय पर विचार किया। मेरी समझ में यह समस्या केवल मानस शास्त्र, वैधानिक या केवल व्यवहार का ही प्रश्न नहीं है, इस में मानवीय भावना और व्यवहार इन दोनों का सम्मिश्रण आता है।

इस के अलावा मैं उन अद्यावत् (अप-टुडेट) फ़ीगर्स की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिन का ज़िक्र हमारे माननीय उपमंत्री ने इस विधेयक को रखते हुए किया, और हमें बतलाया कि उस पुस्तिका में बिल्कुल अपटुडेट फ़ीगर्स हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह फ़ीगर्स आज एक साल बाद कैसे अपटुडेट रह सकते हैं, वह तो उन्होंने जब पिछले वर्ष यह प्रस्ताव रक्खा था तब एक पुस्तिका यहां रक्खी थी, वे फ़ीगर्स तो आज बहुत पुराने हो जाते हैं और अब जब आज आप इस विधेयक की अवधि को और आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि क्या क्या बातें आप की हैं? मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि यह विधेयक पेश करते वक्त उन के हृदय में स्त्रियों के प्रति कोई दुर्भावना थी, मैं मान सकता हूं कि वह विधेयक जब पहले पारित हुआ, तब उन के हृदय में मानवीय भावना अवश्य होगी और साथ ही मैं इस को भी मानने के लिये तैयार हूं कि कि सन् १९४७ में जो विलक्षण घटनाएं घटीं उन के फलस्वरूप हमारे हिन्दुस्तान की लाखों देवियां पाकिस्तान में चली गईं और वहां की कुछ देवियां यहां रह गईं और तब मानवता के नाते यह भावना उत्पन्न हुई कि कोई एक ऐसा विधेयक बनाया जाय जिस के द्वारा अपहृत देवियों को उन के घरों को लौटाया जा सके। मैं यहां यह चीज़ साफ़ कर देना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक की जो मूलभूत भावना है, उस के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन इस क़ानून का पिछले पांच छै साल से सरकार और उस के अधिकारियों द्वारा जिस प्रकार अमल हो रहा है, वह सन्तोषप्रद नहीं ह और मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या इस क़ानून के अनुसार जो कार्यवाही चल रही है, उस कार्यवाही से स्त्रियों की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा हुई है? मैं इस विधेयक का इस कारण विरोध करता हूं क्योंकि मैं देखता हूं कि स्त्री जाति के साथ बड़ा अन्याय और उस का अपमान ही हुआ है, यह उस विधान में गलती होने के कारण या जो उस क़ानून को चलाने वाले हैं उन की ग़लत नीति के कारण हुआ हो, लेकिन यह सच है कि इस विधान से स्त्री जाति को कोई भी लाभ नहीं हुआ और हम देख रहे हैं कि इस क़ानून को और लम्बा करने का क्या नतीजा हो रहा है। अभी हमारे चन्दा साहब ने पूर्वी बंगाल की एक स्त्री की दर्दनाक कहानी हमें सुनाई, मैं भी पूर्वी बंगाल की बहुत सी ऐसी ही कहानियां जानता हूं। पूर्वी बंगाल के लिये आप विधेयक तो नहीं ले आये, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पूर्वी बंगाल की जो हिन्दू देवियों को मुसलमान पाकिस्तान में ले गये हैं, उन के लिये विधेयक लाने की जुर्रत उन में नहीं है। जहां तक वर्तमान विधेयक का ताल्लुक़ है, उस में कोई बुराई नहीं है और न मैं उस के अन्दर की भावना के विरुद्ध हूं, लेकिन हमें, दोनों सरकारों की प्रवृत्ति में क्या फ़र्क़ है और इधर काम करने वालों और उधर पाकिस्तान में इस विधेयक को अमल में लाने वालों में क्या फ़र्क़ है, इस को देखने के पश्चात्

[श्री वी० जी० देशपांडे]

हमें इस अपने विधेयक को देखना चाहियें कि यह कहां तक कारगर हो सकता है, केवल थ्योरेटिक्ल या बड़ी बड़ी तत्व प्रणाली ले कर और एक स्वप्नमय सृष्टि में जा कर हम इस विधेयक को नहीं देख सकते । पाकिस्तान में आज के दिन हज़ारों हिन्दू देवियां वहां के मुस्लिम कर्मचारियों के घरों में रह रही हैं और पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह बतलाया गया था कि पाकिस्तान से स्त्रियां भारत में कम आ रही हैं, इस का यह मतलब नहीं कि हम इस को सामने रख कर इस विषय में उस सरकार से कोई सौदेबाज़ी करें, मैं इस प्रकार का सौदा करने को नहीं कहता और न ही मैं यह कहता हूं कि चूंकि वहां से आप को कम स्त्रियां प्राप्त हुई हैं, इसलिये वहां आप स्त्रियों को न भेजें । लेकिन यह जो हमारे चन्दा साहब ने यहां बतलाया कि "पाकिस्तानी पदाधिकारियों ने हमें सहयोग दिया है" वह बड़ा बुरा चित्र यहां रक्खा है क्योंकि वास्तविकता तो कुछ और ही है । यह तो ठीक उसी प्रकार हुआ जैसे सूर्य पूर्व में उगने के बजाय पश्चिम में उगने लगे । आज भी पाकिस्तान के सरकारी कर्मचारियों के घरों में हमारी अनेकों हिन्दू देवियां मौजूद हैं और उन की तारीफ़ करना कि वह इस कार्य में हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, यह चीज़ सहज में गले के नीचे उतरती नहीं । मैं किसी धर्म पर आक्षेप नहीं करना चाहता लेकिन आप को यह बतला देना चाहता हूं कि उन्हों ने पालिसी के तौर पर यह निश्चय किया हुआ है कि हिन्दू देवियों को वापिस नहीं भेजना है और यही कारण है कि इस कार्य में उन की ओर से तरह तरह की रुकावटें और बाधायें डाली जाती हैं । जैसा कि त्रिवेदी जी ने बतलाया कि यह जो पाकिस्तान द्वारा दस हज़ार काश्मीरी पुरुष और स्त्रियों को भेजने की बात है, उन स्त्रियों को पाकिस्तान रिकवर्ड वीमेन के नाम से भेजता है और इस तरह यह चाल चर कर भारत सरकार और उस के लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहता है, हालांकि सच बात यह है कि वह हिन्दू स्त्रियों को वापिस नहीं कर रहे हैं । वहां के सामाजिक कार्यकर्ता और सरकार स्त्रियों के बारे में एक विशेष दृष्टिकोण रखते हैं और वह समझते हैं कि स्त्री पर अत्यचार भी होता हो, तो भी उस को भेजना नहीं है । वहां का तो यह दृष्टिकोण है और इधर हमारा और हमारी बहिन श्रीमती सुभद्रा जोशी की मानवीय भावना और आदर्श देखिये, दोनों दृष्टिकोणों में ज़मीन आस्मान का अन्तर है । हमारे सामाजिक कार्यकर्ता एक विकृत दृष्टिकोण रखते हैं । वहां के सामाजिक कार्यकर्ता यह चीज़ सामने रख कर काम करते हैं कि यहां से स्त्रियों को भेजना नहीं है भले ही उन पर वहां अत्याचार होता हो, ऐसी हालत के होते हुए वहां से स्त्रियां निकल कर आ नहीं रही हैं । यह अपवाद क़ानून सन् १९४७ में जो विलक्षण घटनाएं घटीं उन को दृष्टि में रखते हुए निर्मित किया गया ।

इस के कारण आप को यह अपवाद विधान बनाना पड़ा । लेकिन बहुत से केसेज़ आप के सामने रक्खे गये हैं कि जिन स्त्रियों के विवाह हुए, आठ, आठ नौ, नौ साल यहां रही हैं, उन के बच्चे हो गये हैं, उन से बड़े बड़े समाज सुधारक जा कर कहते हैं कि आप अपने भाई के पास पाकिस्तान में क्यों नहीं जाती हैं ? यह कहने के पश्चात् अगर स्त्री कहती है कि मैं वहां नहीं जाना चाहती हूं तो उन को पकड़ कर पाकिस्तान भेजने की तजवीज़ यहां की जा रही है । इस के कारण हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अन्दर जो हिन्दू स्त्रियां हैं उन की सहायता तो कुछ हो नहीं रही है और यहां जो स्त्रियां हैं उन को

विधेयक

जबर्दस्ती भेजने का कानून बन रहा है। इस कानून को बने पांच छः साल हो गये। हम ने इस के कार्य को देखा है और उस को देखने के कारण ही हम इस का विरोध करते हैं। हम मानवता की भावना के अभाव के कारण इस का विरोध नहीं करते। हम कहते हैं कि कोई स्त्री यहां रहती है, वह किसी भी जाति की हो, किसी धर्म की हो अगर वह यहां से जाना चाहती है तो हम उस को बिल्कुल यहां नहीं रक्खेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो यहां रहना चाहती हैं उन को जबर्दस्ती भेजने की बात आप इस कानून में कर रहे हैं। पहले तो पंजाब में और फिर सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि यह कानून अल्ट्रा वायर्स है। उन्हों ने कहा है कि यह ठीक नहीं है। हमारे समाज सेवक लोग यह समझते हैं कि अगर किसी स्त्री का पति यहां से चला जाता है और वह मुसलमान था तो उस स्त्री का स्वातंत्र्य नष्ट हो जाता है, उसे जबर्दस्ती पाकिस्तान भेजा जाता है। जलन्धर के कैम्प में कौन कौन लोग जाते हैं, वहां क्या क्या होता है इस की कहानियां तो आती हैं नहीं, वहां ऐसा आयरन कर्टेन तना हुआ है। हमारे चन्दा साहब ने कहा था कि हम लोगों को भी वहां ले जायेंगे। हम वहां जाने के लिये तैयार हैं ताकि हम देख सकें कि वहां क्या हो रहा है। उन स्त्रियों पर विकृत मनोवृत्तियों के समाज सेवक या सेविकायें जा कर अपना प्रभाव डालती हैं। उन के सेकुलरिज्म में तो हिन्दू स्त्री को मुसलमानों के घरों में भेजना, चाहे उस का जन्म अल्वर में हुआ हो, लेकिन जबर्दस्ती कराची में भेजना, एक बड़ा भारी पुण्य कार्य है। यह विकृत मनोवृत्ति मैं सब जगह देखता हूं। मैं तो कम्यूनलिस्ट हूं लेकिन बन्दुजा साहब की एडवाइज़री कमेटी का क्या होगा? इस की चिन्ता हमारे सेक्यूलेरिस्ट को पड़ी है। क्योंकि जो चीज़ मुसलमानों की है उस चीज के लिये बड़ा प्रेम रखना, यह जातीयता की भावना हम लोगों के हृदय में आ गई है। जहां तक मेरी इन्फार्मेशन है, जहां तक मुझे पता है, हमारे त्रिवेदी साहब ने जो कुछ बताया शायद वह थोड़ा अतिरंजित था, लेकिन पिछले छः महीनों में जितनी अपहृत स्त्रियों को आप वापस लाये हैं, उन की संख्या नहीं के बराबर है। दो दो, चार, चार एक महीने में आती हैं। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि हमारी संख्या बराबर बढ़ रही है। बड़ी अच्छी बात है कि यह इतनी बढ़ गई, यहां कहा गया कि इस कार्य के लिये समाज सेवकों को रक्खा गया। मैं इस देश के समाज सेवकों से बड़ा डरता हूं क्योंकि यह समाज के कार्य करने वाले लोग बड़े भयानक हैं। और मैं समझता हूं कि शायद इसी कारण से हमारे मिनिस्टर साहब स्वर्ण सिंह जी को वहां का काम दिया गया होगा। पी० डब्ल्यू० डी० के मिनिस्टर को वहां भेजने का और क्या प्रयोजन हो सकता है इस का मुझ को पता नहीं। बड़े अच्छे आदमी हैं, घर बसाना उन को आता है। यह काम उन को दिया गया है, इस के पश्चात् मैं आशा करता था कि वहां का काम बड़ा अच्छा होगा। लेकिन मैं ने सुना है कि उन के पास स्वयं ही बहुत काम होने के कारण वह इस की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दे रहे हैं। देंगे तो बड़ा अच्छा काम करेंगे। लेकिन आज पता चलता है और हमारी लीलावती मुन्शी ने भी कहा कि यह तो यतीम डिपार्टमेन्ट हो गया है। हमारी मराठी में कहते हैं कि "मिलयमिलित सौभाग्यापेक्षा टल लित वैधव्य बरें" अर्थात् बुरा पति होने से विधवा होना अच्छा होता है। मैं समझता हूं कि हमारे हाउसिंग के मिनिस्टर स्वर्ण सिंह जी इस की तरफ अच्छी तरह ध्यान देंगे।

हम को बतलाया गया था कि २८ फरवरी, १९५४ के बाद इस विधेयक को लम्बा नहीं किया जायेगा। लेकिन आज

[श्री वी० जी० देशपांडे]

हम देख रहे हैं कि १५ महीने यह चीज़ और चलेगी। इस को देखते हुए मैं पूछता हूं कि क्या यह प्राब्लेम कुछ छोटी हो गई है ? स्त्रियों के बारे में तो हर प्राब्लेम मल्टिप्लाई ही होती है क्योंकि उन से तो संख्या बढ़ती ही है कम नहीं होती है। तो जैसे कहा जाता है, हनुमान की दुम की तरह यह चीज़ चलती रहेगी। यदि इस में सच्चा फायदा होता तो हम मानने के लिये तैयार होते। दस लाख रुपये के बजाय नौ लाख रुपये हो गये, क्योंकि उस में से ९० हजार रुपये पाकिस्तान के लिये खर्च किये जायेंगे। काम कम हो रहा है और खर्च बढ़ रहा है।

जहां तक हमारे समाज सेवकों का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि उन लोगों को किसी मानस शास्त्र का बड़ा ज्ञान है और स्त्री पुरुषों के संबंध का मानस शास्त्र बड़ा नाजुक प्रश्न है। इस के लिये डाग्मैटिक हो कर हम नहीं चल सकते हैं। इस के लिये पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की तुलना भी नहीं हो सकती। जिन का जन्म यहां हुआ है, अगर उन का कोई रिप्यूजी रिलेशन वहां रहता है तो उन को जबर्दस्ती वहां भेजना और वहां से जबर्दस्ती किसी स्त्री को ले आने का कोई संबंध नहीं है। पिछले विधेयक के पास होने के बाद से यहां का खर्च छः हजार रुपये मासिक बढ़ गया है। यह खर्च क्यों बढ़ रहा है, इस का पता नहीं लग रहा है। दोनों ओर की आने और जाने वाली स्त्रियों की संख्या कम हो रही है लेकिन खर्च बढ़ रहा है। इस वक्त तो वही बात हो रही है जिसे कि हम इन्वर्स रेशियो कहते हैं और यह अरिथमेटिक के रूल आफ थ्री में ठीक बैठ नहीं रहा है।

दूसरी बात जो बताई गई उस का भी मैं कुछ ज़िक्र करना चाहता हूं क्योंकि बात ठीक है, हालांकि इस डिपार्टमेंट के बारे में और इस विधयक के समय इस का उल्लेख करना ठीक नहीं है क्योंकि यह बुराई जितने भी आप के मुहकमे जितने विभाग हैं उन सब में यह चीज़ें चल रही हैं और सब जगह खर्च बढ़ रहा है। सभी जगहों पर लोग अपने अपनेदोस्तों और रिश्तेदारों को ला रहे हैं। मैं न सुना है कि लोग एकदम से किसी को ऊपर ले आते हैं और जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उन को अन्डर सेक्रटरी बना देते हैं और जो पुराने अफसर होते हैं, किसी को एक हजार तनख्वाह मिलती है, किसी को ११ सौ मिलती है, किसी को १५ सौ मिलती है, उन को रक्खे रहते हैं ताकि नये बच्चों से काम लिया जा सके। यहां भी ऐसा होता होगा। मैं देख रहा हूं कि यहां का काम कम हो रहा है और जो सेवक वर्ग है उन की संख्या बढ़ाई जा रही है। मैं समझता हूं कि यह जो विधान है उस का विरोध बढ़ता जा रहा है। इसलिये नहीं कि किसी के हृदय में यह भावना है कि चूंकि कोई मुसलमान की स्त्री है इसलिये वह अपन पति के घर में न जाय, या इसलिये नहीं कि पाकिस्तान में रहने वाली स्त्रियों के लिये हमारे हृदय में दुःख नहीं है। मैं समझता हूं कि भारत पर यह एक चिरन्तन कलंक रहेगा जब तक कि एक भी हिन्दू स्त्री पाकिस्तान में रहती है और मैं यह भी मानता हूं कि भारत का यह कर्त्तव्य है कि अगर यहां कोई भी मुसलमान स्त्री हो उसे जबर्दस्ती यहां न रक्खे। यह दोनों ही बातें मैं मानता हूं और इसके लिये १० लाख क्या १० करोड़ रुपये की भी मांग की जाती तो इस सदन में कोई एसा हृदयशून्य पुरुष नहीं जोकि इस का विरोध करने के लिये आता। लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि यह १० लाख रुपया लेकर पाखंड रचने का एक ही परिणाम होता है कि वहां की किसी स्त्री को सहायता नहीं मिलती है और यहां की स्त्रियों को जो घरों में अपन बच्चों के

साथ रहती हैं उन को जबर्दस्ती उधर भेजा जा रहा है और वह हमारे समाज सेवकों की इस घृणित कार्रवाई का परिणाम भोग रही हैं ।

इसलिये मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से इस क़ानून का संचालन हो रहा है, मैं उस का विरोध करता हूं । आप कोई दूसरा बिल ले आइय, आप किसी दूसरे संगठन का निर्माण कीजिये, हम उस के लिये करोड़ों रुपये देने के लिय तैयार हैं और यह सदन उस को स्वीकार करने के लिय तैयार है । इतना ही कह कर मेरी यह प्रार्थना है कि इस विधेयक को समाप्त कर दिया जाय ।

डा० कृष्णस्वामी (काचीपुरम) : इस विधेयक को पुरःस्थापित करने वाले मंत्री महोदय ने हमें उन लोगों के बारे में आंकड़ नहीं दिये जिन्हें पुनः प्राप्त किया जाना अभी बाकी है । इस के बारे में अभी कोई श्वेत-पत्र भी नहीं निकाला गया है । बिना इस सूचना के हम इस अधिनियम को किस तरह जारी रखने की स्वीकृति दे सकते हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं ने आंकड़े इसलिये नहीं दिये क्योंकि मैं यह जानना चाहता था कि इस विधयक के विषय में माननीय सदस्य क्या क्या बातें मालूम करना चाहेंगे । मेरे मित्र माननीय सरदार स्वर्ण सिंह अपने भाषण में ये सब आंकड़े देंगे ।

सभापति महोदयः यदि माननीय सदस्य अब आंकड़े देना चाहते हों, तो वह दे सकते हैं ।

सरदार स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्यों के भाषणों से पता चलता है कि वे यह जानना चाहते हैं कि भारत में और पाकिस्तान में कितन व्यक्ति पुनः प्राप्त किये गय और अपन अपने देशों को लौटाय गये । यह सूचना इस प्रकार है : पहली जनवरी १९५३ से ३१ दिसम्बर १९५३ तक २०४० लोग पुनः प्राप्त किये गये और पाकिस्तान भेजे गये थे । १९५२ में इन लोगों की संख्या ११६२ थी । इसी कालावधि में, यानी पहली जनवरी १९५३ से ३१ दिसम्बर १९५३ तक इसी तरह जो लोग पाकिस्तान से भारत आये उन की संख्या ३२४ थी । १९५२ में यह संख्या ४७४ थी । ३१ दिसम्बर १९५३ तक कुल १९,१४१ व्यक्ति भारत द्वारा पाकिस्तान को लौटाये गये थे; इस अवधि में पाकिस्तान ने ८,६८४ व्यक्ति भारत को लौटाये हैं ।

डा० राम सुभग सिंह (शाहबाद—दक्षिण) : ऐसे लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है जो वापस नहीं भेजे गय हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्यों की इस विषय में जो चिन्ता है उसे समझ सकता हूं कि दोनों ओर से इस तरह के लोगों की संख्या कितनी होगी । परन्तु इस तरह का अनुमान लगाना वास्तव में एक बड़ा कठिन कार्य है क्योंकि यह सूचना लोगों द्वारा खबर देने पर ही मिलती है । इस में अक्सर गड़बड़ हो जाती है, कभी एक ही नाम कई बार दे दिये जाते हैं और कभी लोगों के अलग २ नाम दिये जाते हैं; इस तरह की बातें होती हैं ।

डा० कृष्णस्वमी : क्या धीरे धीरे इस संख्या में कमी नहीं होगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी हां, यह तो स्पष्ट है । ज्यों ज्यों लोगों को पुनः प्राप्त किया जायगा और वापस भेजा जायगा, यह संख्या कम होती जायगी । यही वजह है कि हम इस क़ानून को स्थायी बनाने का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं बल्कि अगले १५ महीनों के लिये इस की अवधि बढ़ा रहे हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं समझता हूं कि इस विषय में सरकार को और अधिक महत्वपूर्ण सूचना देनी चाहिये । जितनी औरतें

श्री एस० एस० मोरे]

यहां से पाकिस्तान गईं, उन में से कितनों का यहां विवाह हुआ था, उन के यहां कितने बच्चे थे, इस के आंकड़े हमें मिलने चाहियें ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं यह जानना चाहती हूं कि दोनों ओर के कितने लोग अपने सम्बन्धियों के पास चले गये और कितने कैम्पों में रह रहे हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह: हमारे पास आंकड़े हैं जिन्हें हम अभी यहां दे सकते हैं । उन लोगों की संख्या के अलावा जिन्हें पुनः प्राप्त कर के वापस लौटा दिया गया है, मैं यह सूचना भी दे सकता हूं कि भारत में १३,००० मामलों में यह छान बीन की गई है कि वास्तव में वे लोग जिन के बारे में पाकिस्तान से उन के सम्बन्धियों आदि से कुछ सूचना मिली है, यहां मौजूद हैं या नहीं; और अगर हैं तो कहां हैं । इसी तरह पाकिस्तान में, पुनः प्राप्त लोगों के अलावा, १८,००० मामलों में छानबीन की गई थी ।

सभापति महोदय: किस कालावधि में ?

सरदार स्वर्ण सिंह: दिसम्बर, १९५३ तक यानी इन सारे वर्षों में ।

स्पष्ट है कि ये आंकड़े अन्तिम आंकड़े नहीं माने जा सकते, क्योंकि ऐसे मामले सामने आये हैं जिन में शुरू की जांच से तो यह पता चला था कि अमुक औरत या तो मर गई है या उसका पता नहीं लगा, परन्तु ६ या ७ महीने बाद वह मिल गई । इस से यह जरूर पता चलता है कि इस दिशा में कितना काम किया गया है । मैं दोनों ओर के अपहृत व्यक्तियों की संख्या न दे कर कोई बात या कोई आंकड़े छिपा नहीं रहा हूं क्योंकि वास्तव में इस संख्या का अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता और जो भी संख्या दी जायेगी वह हमें गलत रास्ते पर जायेगी ।

श्री सिंहासन सिंह : भारतीय और पाकिस्तानी कैम्पों में कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्हें भेजा नहीं गया होगा । उन की संख्या भी बताई जाये ।

सरदार स्वर्ण सिंह : हमारे जालन्धर कैम्प में अब कोई ३०० या ३५० लोग हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : सरकार के कैम्प कितने हैं ?

सभापति महोदय : मालूम होता है कि माननीय सदस्य और अधिक सूचना चाहते हैं । यदि माननीय मंत्री के पास सूचना हो तो वह एक श्वेतपत्र जारी कर दें या उसे आज दे दें जिस से सारे मामले पर विचार हो सके । अधिनियम की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर बहस करने के लिये इस सूचना का होना बहुत आवश्यक है ।

सरदार स्वर्ण सिंह : सभापति महोदय के निर्णय का सम्मान करते हुए, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय श्री मोरे जिस प्रकार की जांच करवा कर सूचना इकट्ठी करवाना चाहते हैं, उसे देना तो बड़ा कठिन है । किसी अपहृत मुस्लिम व्यक्ति का या किसी अपहृत हिन्दू व्यक्ति का ही किसी के साथ केवल कुछ समय रहने को विवाह मानना ठीक नहीं समझा जा सकता । मैं जानता हूं कि माननीय सदस्यों को इस विषय में बहुत चिन्ता होगी परन्तु जब तक कोई खास चीज़ नहीं बताई जाती तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो सूचना हमारे पास है, उसे हम दे चुके हैं । यह सूचना कि पुनः प्राप्त लोगों में से ऐसे कितने हैं जिन का यहां विवाह हुआ या जिन का नहीं हुआ, हमारे पास नहीं है और न ही मैं ऐसी कोई सूचना दे सकूंगा ।

सभापति महोदय : यदि माननीय मंत्री केपास उन औरतों की संख्या हो जिन का

यहां विवाह हुआ बताया गया हो और जिन के बच्चे हुए हों, तो वह सदन को यह आंकड़े दे दें । माननीय मंत्री से हरेक मामले के बारे में सूचना देने की आशा तो नहीं की जा सकती, परन्तु यदि उन के पास यह आंकड़े हों, तो वह दे दें ।

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरे पास जो सूचना थी उसे मैं दे चुका हूं । मैं सूचना इकट्ठी करने के लिये समय नहीं मांग रहा हूं परन्तु जो सूचना उपलब्ध नहीं है उसे मैं इकट्ठी नहीं कर सकता क्योंकि वह विश्वसनीय नहीं होगी । इसलिये, जो सूचना मैं दे चुका हूं वही उपलब्ध सूचना है, यदि मुझे यह बताया जाये कि सदस्यगण दूसरी सूचना किस प्रकार की चाहते हैं तो मैं आप को बता सकूंगा कि वह हमारे पास है या नहीं ।

मैं इतना और कह दूं कि मेरे पास बच्चों के बारे में भी सूचना है; यदि आप चाहें तो मैं अभी दे सकता हूं । यह उन बच्चों के बारे में है जिन्हें पुनः प्राप्त कर लिया गया है ।

सभापति महोदय : यह सूचना कि वहां से कितनी औरतें लाई गईं और क्या इन सात वर्षों में उन के कोई बच्चे हुए .....

सरदार स्वर्ण सिंह : यह सूचना हमारे पास है और मैं इसे, परिचालन के लिये कोई समय मांगे बिना देने को तैयार हूं ।

सभापति महोदय : यदि माननीय मंत्री को असुविधा न हो तो वह यह सूचना आज दे दें ताकि कल इस पर बहस हो सके । या वह कल सवेरे दे दें ताकि वह १२ बजे तक माननीय सदस्यों को मिल जाये ।

सरदार स्वर्ण सिंह : बच्चों के बारे में मैं कल सवेरे सूचना देने को तैयार हूं ।

इस के पश्चात् सभा वृहस्पतिवार २४ फरवरी १९५४ के दो बजे तक के लिये स्थगित हुई ।